द्वादश माला, खंड 9, अंक 17

बुधवार, 17 मार्च, 1999
26 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे० एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

द्वादश माला, खंड 9, चौथा सत्र/1990/1920 (शक)

अंक 17, बुधवार, 17 मार्च, 1999/26 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	5-188
तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3199 से 3340	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	189-192
राज्य सभा से सन्देश	192
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	192
तीसरा प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	192-193
छठे से आठवां प्रतिवेदन	
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	194
नौंवा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	
पैट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति	194
सातवां और नौवां प्रतिवेदन	

लोक सभा

बुधवार, 17 मार्च, 1999/26 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.1/4 बजे

इस समय श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न काल के तुरन्त बाद बोलने का मौका दूंगा। कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न काल समाप्त होने के बाद बोलने का मौंका दूंगा। कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, अगर आप प्रश्न काल के बाद में बोलेंगे तो वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न–काल के बाद सुविधानुसार बुलाऊंगा। आपको प्रश्न काल के बाद बोलने दिया जाएगा और वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपको प्रश्न काल समाप्त होने पर बोलने की अनुमति दूंगा। प्रश्न काल को स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जाइए।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : *प्रश्न काल समाप्त होने पर मैं आपको बोलने* का मौका दूंगा और फिर यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। यह सब करने का क्या फायदा ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य देंगे। कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिंदे जी, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वेच्छा से यह कहा कि वे एक व्यक्तव्य देंगे। अब कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कवाडे जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य देना चाहते हैं। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह हस्तक्षेप न करें। अब माननीय प्रधानमंत्री जी एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ? श्री कवाडे जी, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देने वाले हैं। कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए। आप उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य देने दीजिए। वे वक्तव्य देने वाले हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देने वाले हैं। श्री शैलेन्द्र कुमार जी, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद के सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों ने एक साथ आकर यह मांग की कि उन्हें परिपत्र, जी. आर. वापस ले लेने चाहिए, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण के विरुद्ध जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी को हमें यह बताना चाहिए कि कम–से–कम वे उन सभी परिपत्रों को वापस ले लेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के विरुद्ध जारी किए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.06 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : हम आज कोई प्रश्नकाल नहीं चाहते।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

इस समय श्री बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, क्या आप मुझे सभा में बोलने देंगे ?

श्री सुशील कुमार शिंदे : उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के इच्छुक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, उन्हें वक्तव्य देने दीजिए। क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ? मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जी, मैं बोल रहा हूं। क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ? श्री वीरेन्द्र सिंह जी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : हम आपके आदेश का पालन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आदेश का पालन कहां कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.09 बजे

इस समय श्री बूटा सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मीणा जी, मैं बोल रहा हूं। मैं आपको बाहर निकाले जाने के लिए कहूंगा। हर बात की हद होती है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गवई जी, मैं बोल रहा हूं। कृपया मुझे इस सभा में कुछ कहने दें। आप खड़े होकर क्या कर रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : आप किस नियम के अंतर्गत हमें बाहर निकाले जाने का आदेश दे सकते हैं ? हमने क्या किया है ? हमने आपको लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरे निर्णय को चुनौती दे रहे हैं ? आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

बूटा सिंह : आप हमें बाहर निकाले जाने का आदेश कैसे दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.10 बजे

इस समय श्रीमती मीरा कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, यह सही तरीका नहीं है। आप सभा के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं और आप उन्हें वक्तव्य नहीं देने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं और आप मुझे कुछ भी कहने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी, वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं, कृपया अपने–अपने स्थान पर चले जाइए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री जी कोई वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अदल-बदल कर फसलें बोना

***301. डॉ. चिन्ता मोहन :**

डॉ. सुशील इंदौरा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलों को अदल–बदल कर बोने का तरीका अपनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सामान्य रूप से शस्यावर्तन पद्धति अपनाने की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) सरकार फसल विकास कार्यक्रमों में शस्यावर्तन दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है। इन कार्यक्रमों को विभिन्न स्थितियों के अनुकूल अनुसंधान सिफारिशों के अनुसार समय–समय पर संशोधित किया गया है। वर्तमान में, फसल आधारित कार्यक्रम फसल प्रणाली दृष्टिकोण आधार पर क्रियान्वित किये जा रहे हैं जो प्रणाली में उचित शस्यावर्तन को अपनाया जाना सुनिश्चित करता है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा

***302. श्री बाला साहिब विखे पाटील :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधानमंत्री ने हाल की अपनी लाहौर यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई और दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) लाहौर घोषणा की विषयवस्तु क्या है;

(घ) उक्त घोषणा पर अमरीका, ब्रिटेन, जापान तथा अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पाकिस्तान के साथ किए गए समझौतों को गति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) प्रधानमंत्री ने दिल्ली–लाहौर बस सेवा के उद्घाटन अवसर पर 20–21 फरवरी को पाकिस्तान की यात्रा की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सरकार और लोगों को उनके साथ शांति और मैत्री स्थापित करने तथा दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए सहयोग की एक स्थायी और व्यापक संरचना का विकास करने की अपनी हार्दिक इच्छा से अवगत कराया।

हमारे प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक बातचीत हुई, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी मसले, सार्क के साथ क्षेत्रीय सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय हित के मसले सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के लोग स्थायी शांति और एक ऐसा वातावरण चाहते हैं, जिसमें उनकी सुरक्षा, प्रगति और सम्पन्नता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि हिंसा और आतंकवाद की ताकतों का मुकाबला किया जाए तथा समरता, उदारवाद और यथार्थवाद के समर्थकों के हाथ मजबूत किये जाएं ताकि दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी के संबंध विकसित हो सकें। प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 21 फरवरी, 1999 को लाहौर घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किये। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने विश्वासोत्पादक उपायों पर एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न किया। इस यात्रा के अंत में एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया। इन तीनों दस्तावेजों का उद्देश्य भरोसा और विश्वास बढ़ाने के लिए आपसी लाभकारी सहयोग के मार्गों की खोज करने के जरिए विभिन्न मंचों पर सहयोग को आगे बढ़ाना तथा अनसुलझे मामलों का समाधान निकालना है। यह उल्लेखनीय है कि लाहौर घोषणा–पत्र तथा समझौता ज्ञापन दोनों ने भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते को उसी रूप में कार्यान्वित करने के अपने दृढ़ इरादे की पुनः पुष्टि की है। शिमला समझौता अभी भी पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संचालन का आधार स्तम्भ है।

लाहौर घोषणा में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोनों देश जम्मू और कश्मीर मसले सहित सभी मसलों का समाधान एक–दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परहेज करने, आतंकवाद का इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में मुकाबला करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने, संघर्ष रोकने के उद्देश्य से नाभिकीय और पारंपरिक क्षेत्रों में विश्वासोप्यादक उपायों को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा संकल्पना और सिद्धान्तों पर चर्चा करने, नाभिकीय हथियारों के आकस्मिक और अनधिकृत प्रयोग के खतरे को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने तथा सार्क के उद्देश्यों तथा वर्ष 2000

और उससे आगे के लिए सार्क अभिकल्पना की प्राप्ति की दिशा में कार्य करने के प्रति वचनबद्धता की पुष्टि करने और इससे भी बढ़कर अपने–अपने देश के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सम्मिलित वार्ता प्रक्रिया के द्वारा प्रयास तेज करेंगे।

विदेश सचिवों द्वारा संपन्न समझौता ज्ञापन में दोनों देशों द्वारा किये जाने वाले विश्वासोत्पादक उपायों का विवरण है। इस बात पर सहमति हुई है कि, जब भी आवश्यक हो, 1999 के पूर्वार्द्ध में आपसी सहमत तिथियों पर आयोजित बैठकों में दोनों पक्षों के विशेषज्ञों द्वारा इन उपायों के तकनीकी ब्यौरे तैयार किये जाएंगे ताकि द्विपक्षीय समझौतों पर पहुंचा जा सके।

21 फरवरी, 1999 को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में यह भी निर्णय लिया गया कि आपसी हित के मसलों पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्री सांवधिक बैठक करेंगे, दोनों पक्ष अपनी–अपनी स्थितियों में समन्वय करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मसलों पर परामर्श करेंगे तथा वे सूचना प्रौद्योगिकी, विशेषकर वाई. 2 के. की समस्या का सामना करने के लिए सहयोग के क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने बीजा और यात्रा व्यवस्थाओं को और उदार बनाने के लिए परामर्श करने, तथा नागरिक बंदियों और गुम हुए युद्धबंदियों से संबंधित मानवीय मसलों की जांच करने के लिए दो सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया।

इस्लामाबाद में 5–6 मार्च, 1999 तक आयोजित अधिकारी स्तर की वार्ता के दौरान पहले ही अनेक मानवीय मसलों को उठाया गया। इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप इस बात पर सहमति हुई कि तीन सप्ताह के अन्दर भारत पाकिस्तान के 43 नागरिक बंदियों को तथा पाकिस्तान भारत के 18 नागरिक बंदियों को रिहा कर देगा। दोनों पक्षों ने मंत्रिस्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नागरिक बंदियों के साथ व्यवहार की संशोधित प्रक्रिया पर क्रियाविधि के एक प्रारूप को अंतिम रूप दिया। इन चर्चाओं के दौरान मछुआरों, बीजा प्रक्रियाओं तथा युद्ध बंदियों के मसले पर भी वार्ता की गयी। प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक पहल से उपलब्ध अवसरों का लाभ लेने की भारत की हार्दिक इच्छा है। सरकार का इरादा शिखर सम्मेलन के दौरान सहमत विभिन्न दस्तावेजों में निहित समझबूझों को गंभीरतापूर्वक क्रियान्वित करने का है और यह आशा करती है कि पाकिस्तान भी ऐसी भावना का प्रदर्शन करेगा।

अमरीका और जापान की सरकारों सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रधानमंत्री द्वारा की गयी ऐतिहासिक पहल, लाहौर घोषणा, समझौता ज्ञापन तथा संयुक्त वक्तव्य का स्वागत किया है।

घटिया बीज

***303. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :**

श्री एम. बागा रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को घटिया किस्म के बीजों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या कपास, प्याज और अब मिर्च के बीज खराब पाए गए और इनसे उक्त फसलों की उपज प्रभावित हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने घटिया बीजों की बिक्री रोकने के लिए क्या कड़े उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति के कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि वारंगल एवं गुन्टूर जिलों में अतिवृष्टि के कारण जल भराव जैसी कुछ क्षेत्र स्थितियों के कारण कपास की कुछ किस्में, जैसे नवरत्न, मोती, माणिक, अजीत–II, व्हाइट गोल्ड एवं बायो सीड–6569 की उपज अच्छी नहीं रही एवं इससे क्रमशः 37,762 एकड़ एवं 1500 एकड़ में फसल उपज पर प्रभाव पड़ा है। 200 एकड़ क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा आपूर्ति किए गए प्याज के बीज निम्न गुणवत्ता के पाये गये एवं उन्हें बदल दिया गया है। मिर्च के खराब बीजों की बिक्री के बारे में किसी राज्य से कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 मिलावटी बीजों की बिक्री को रोकने वाले दो विधिक उपाय हैं।

किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, बीज को आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक आवश्यक जिन्स घोषित किया गया है।

बीज कानून के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गयी है। सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित बीज निरीक्षकों को बीज बिक्रेताओं से नमूने लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। घटिया बीजों के बिक्रेताओं के खिलाफ बीज अधिनियम और बीज (नियंत्रण) आदेश में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

फसल बीमा योजना

***304. श्री हरिन पाठक :**

श्री एच. पी. सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसानों द्वारा अपनी मूंगफली की फसल का बीमा कराया जाना अनिवार्य करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को ही फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) व्यापक फसल बीमा स्कीम, जिसका कार्यान्वयन देश में इस समय किया जा रहा है, के अन्तर्गत केवल उन्हीं किसानों को बीमा कवर उपलब्ध है जो वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते हैं। संशोधित व्यापक फसल बीमा स्कीम, जिसे लागू किये जाने का प्रस्ताव है, के अन्तर्गत ऋण न लेने वाले किसानों को भी वैकल्पिक आधार पर कवर किए जाने का विचार है।

चीन के लिए बस सेवा

***305. श्री सत्य पाल जैन :**

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत–पाकिस्तान बस सेवा की तरह भारत और चीन के बीच बस सेवा शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री द्वारा बस से चीन की यात्रा किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त बस सेवा कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दक्षेस सम्मेलन

***306. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री ए. सी. जोस :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के सदस्य देशों में बहुभाषी और मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के निर्बाध प्रसार हेतु समन्वयक और सुविधा प्रदाता के रूप में स्वेच्छा से कार्य करने की इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में बहुभाषी और मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी (एस. एम. आई. टी.) के संबंध में आयोजित दक्षेस सम्मेलन में यह पेशकश की गई थी;

(घ) सम्मेलन में दिए गए सुझावों/की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) 1–4 सितम्बर, 1998 को पुणे, भारत में बहुभाषी एवं मल्टी मीडिया सूचना प्रौद्योगिकी पर एक सार्क सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में सार्क देशों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई तथा इस क्षेत्र में सहयोग करने की सिफारिशें की गईं। ये सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

ये सिफारिशें 24–26 फरवरी, 1999 को नई दिल्ली में हुई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सार्क समिति की बैठक में प्रस्तुत की गईं। समिति की बैठक में इन सिफारिशों पर कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया। यह सार्क देशों पर निर्भर करता है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह के लिए समन्वयक/सुगम बनाने वाले देश से सहमत होकर सहमति–जन्य दृष्टिकोण अपनाएं।

विवरण

1–4 सितम्बर, 1998 को पुणे में "बहुभाषी एवं मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को आगे बढ़ाना" विषय पर आयोजित सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें

1. सार्वभौमिक साफ्टवेयर व्यापार की गतिविधियों में बहुभाषी साफ्टवेयर को अब तक अनाकर्षक समझा गया। अतः बहुभाषी मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार के लिए इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। अतः सदस्य राज्य बहुभाषी मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी के विकास तथा अपने–अपने देशों में बड़े पैमाने पर इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें। इस क्षेत्र में ध्यान आकृष्ट करने के लिए उद्योग विशेष अभिरुचि समूह भी गठित कर सकता है।

2. सार्क मंच सार्क देशों के बीच बहुत से क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्य करता है। दूसरे सार्क शिखर सम्मेलन में जारी कोलम्बो घोषणा सूचना प्रौद्योगिकी के आदान–प्रदान को बढ़ावा देती है। सार्क देशों के बीच बहुभाषी और मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण देने तथा प्रौद्योगिकी और उत्पादों का मुक्त प्रवाह बनाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक सहयोग के अवसरों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए समर्थकारी तंत्र के रूप में प्रत्येक देश में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र बिन्दु बनाए जाने चाहिए जहां बहुभाषी और मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर हो। इस संबंध में उपयुक्त नेटवर्क प्रबंध शुरू किया जा सकता है।

3. बहुभाषी और मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य राज्य सभी डिग्री कॉलेजों तथा अन्य अकादमी संस्थानों में इस क्षेत्र में विशेष पाठ्य माड्यूल शुरू करने को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए श्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए दूरवर्ती शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।

4. विकास के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है :

   (i) मानव मशीन अन्तराफलक प्रणाली जिसमें आवाज पहचानने/आवाज संश्लेषण प्रौद्योगिकी और मुद्रित करेक्टर का फोटो लेकर पहचानने (आप्टि करेक्टर रिकगनीशन) की क्षमता हो।

   (ii) मशीनी सहायता से अनुवाद।

   (iii) प्राचीन भाषाओं में अनुसंधान।

5. इस क्षेत्र की संस्कृति और विरासत के प्रभावी प्रलेखन और इसके प्रचार–प्रसार के लिए बहुभाषी मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सूचना अन्तर्वस्तु तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए जन माध्यम इन्टरनेट और सीडी रॉम आदर्श विकल्प हैं और इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है।

6. बहुभाषी मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के प्रसार के लिए प्रमुख प्रयोगों का शीघ्र ही स्थानीयकरण किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए इस क्षेत्र के साफ्टवेयर उद्योग की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

7. स्कूलों सहित जनमानस सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रसार के लिए बहुभाषी मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में संगत पाठ का अनुवाद किया जाना चाहिए।

8. उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास के अलावा प्रयोक्ता के हित साधन के लिए ग्राहक का ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है।

9. विभिन्न लिपियों का मानकीकरण, एक सी भाषाओं के कोडिंग सेटों का एकीकरण, विभिन्न भाषाओं में कम्प्यूटर की परिभाषा और मल्टीमीडिया उपकरणों का मानकीकरण, बहुभाषी तकनीकों के तेजी से प्रसार तथा विभिन्न अनुप्रयोज्यों और देशों में उनके परस्पर अन्तरण की एक प्रमुख पूर्वपेक्षा है। इस गतिविधि के उपयुक्त समन्वयन के लिए सार्क कार्यदल गठित किया जाना चाहिए।

10. बहुभाषी और मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी के गूढ़ तत्त्व को समझने के लिए इस क्षेत्र में विकास के लिए तथा सभी संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए लोक अधिकार क्षेत्र में सहयोगी उपायों पर सूचना उपलब्ध करने के लिए इन्टरनेट का आश्रय लिया जाना चाहिए। इससे साझी नेटवर्क भाषाओं का क्रामिक विकास भी संवर्धित होगा।

11. इस क्षेत्र के सार्क देशों में बढ़ते हुए हितों की आवश्यकताओं के साथ महसूस किया गया कि सार्क देशों में बारी–बारी से प्रत्येक वर्ष ऐसे सम्मेलन होने चाहिए जिनमें इन सिफारिशों पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की जाए।

12. इस क्षेत्र में उल्लेखनीय निष्पादन के लिए इस क्षेत्र में वार्षिक सार्क बहुभाषी और मल्टीमीडिया सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार की स्थापना की जा सकती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति

***307. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश की बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) वर्तमान में राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति नहीं है। तथापि, वर्ष 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय ने सभी राज्यों को वृहद जलाशय परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए निदेश जारी किए थे। जलाशय परियोजनाओं से प्रभावित लोगों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्यक्रम राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा एक परियोजना से दूसरी परियोजना में भिन्नता रहती है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों को पूरा करने के लिए जलाशय परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के वास्ते राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति अपनाने के प्रयास शुरू किए गए हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा एक नीतिगत मसौदा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के विचार के लिए तैयार किया गया है। तथापि, "भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के कारण बुरी तरह से प्रभावित अथवा विस्थापित लोगों अथवा परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी राष्ट्रीय नीति" और "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का संशोधन", इस समय सरकार के विचाराधीन है, इसे राज्यों तथा अन्य विभिन्न स्वैच्छिक

संगठनों के परामर्श से अंतिम रूप दिये जाने के बाद राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् द्वारा उक्त नीति पर विचार करना/उसे अपनाना आवश्यक समझे जाने पर, होने वाले और संशोधनों पर निर्भर करता है।

मत्स्य उत्पादन

*308. **श्री बिक्रम केशरी देव :**

डॉ. अशोक पटेल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, इस बात की जानकारी है कि देश में मत्स्यन की विशाल क्षमता के बावजूद तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण इस व्यवसाय में लगे लोग इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने मत्स्यन में लगे लोगों को तकनीकी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने हेतु कोई योजना बनाई है ताकि बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) मात्स्यिकी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को मात्स्यिकी तथा प्रशिक्षण के संबंध में तकनीकी ब्यौरों की जानकारी देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि वे अधिक उत्पादन हासिल करने की कोशिश कर सकें। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ मात्स्यिकी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सरल भाषा में साहित्य को तैयार करना और इसका प्रसार, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, श्रव्य-दृश्य के माध्यम से सूचना का प्रसार आदि शामिल है।

आधुनिक जल कृषि प्रणालियों में मछुआरों तथा मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण "ताजा जल जलकृषि का विकास" तथा "एकीकृत तटवर्ती जल कृषि" नामक योजनाओं का एक प्रमुख घटक है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण क्रियाकलापों को 422 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों तथा 39 खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के प्रारंभ होने के बाद से ताजा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से लगभग 5.77 लाख मछुआरों को ताजा जल जलकृषि प्रणालियों में प्रशिक्षण दिया गया है तथा खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से लगभग 12000 मछुआरे प्रशिक्षित किए गए हैं।

उक्त के अलावा, मात्स्यिकी के लिए कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने तथा विस्तार प्रणाली को व्यापक बनाने के उद्देश्य से "प्रशिक्षण तथा विस्तार" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक अन्य योजना को भी क्रियान्वित किया गया है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

— जलकृषि, समुद्री मछली पालन तथा मात्स्यिकी विकास से संबंधित अन्य पहलुओं के संबंध में मात्स्यिकी विस्तार अधिकारियों तथा मत्स्य पालकों के लिए अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत।

— प्रयोगशाला तथा शयनशाला के साथ प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन/स्थापना।

— मात्स्यिकी कार्मिकों तथा मछुआरों/मत्स्य पालकों के प्रयोग के लिए मात्स्यिकी के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रचार सामग्री को प्रकाशित करना।

— मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी पर वीडियो फिल्मों का निर्माण तथा मीडिया के माध्यम से प्रचार करना।

— सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा भावी नीति के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं, सेमिनार, बैठकों का आयोजन तथा संचालन।

योजना के शुरू होने के बाद से 5785 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया है, 32 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना/उन्नयन के लिए मंजूर किए गए थे, 72 विस्तार मैनुअल तथा 2 डॉक्यूमेंटरी फिल्मों को तैयार करने के लिए मंजूरी दी गई थी तथा 16 कार्यशालाएं/सेमिनार/सिम्पोजियम आयोजित किए गए थे।

उपरोक्त के अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत 4 संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 8 अनुसंधान संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 9 मात्स्यिकी कालेज भी मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास क्रियाकलापों में लगे हुए हैं।

[अनुवाद]

जी-15 शिखर सम्मेलन

*309. **श्री माधव राव सिंधिया :**

डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अनेक राष्ट्राध्यक्षों से आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा आपसी हित के मामलों पर व्यापक द्विपक्षीय चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रधानमंत्री ने कुल कितने राष्ट्राध्यक्षों के साथ चर्चा की थी;

(ग) प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष के साथ हुई चर्चा के क्या परिणाम रहे;

(घ) भारत सरकार राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में लिए गए निर्णयों का कितना अनुसरण कर रही है; और

(ङ) जी–15 शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या–क्या अंतिम निर्णय लिये गये ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री ने नौंवे जी–15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए माण्टेगो बे की यात्रा की थी। इस बहुपक्षीय सम्मेलन के दौरान बनाए गए कार्यक्रम के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक हित के मामलों पर अन्य राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ व्यापक बातचीत करना व्यवहार्य नहीं था। तथापि, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ताजा मुद्दों पर अनेक नेताओं के साथ बात की। प्रधानमंत्री और सम्मेलन में उपस्थित नेताओं के बीच विचारों के इस संक्षिप्त आदान–प्रदान में हमारे संबंधों की वर्तमान स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में अधिक मात्रा में आदान–प्रदान तथा घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना शामिल था। इस संबंध में सरकार अनुवर्ती कार्यवाही करेगी।

(ङ) जी–15 शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों की चिन्ताओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें मौजूदा वित्तीय संकटों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत निष्पक्ष और न्यायोचित व्यवस्था पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय धन–संबंधी और वित्तीय स्वरूप में सुधार, दक्षिण–दक्षिण और अन्तर जी–15 सहयोग और जी–15, जी–8 के बीच वार्ता आरंभ होने की संभावना पर बातचीत शामिल है। शिखर सम्मेलन में श्रीलंका जी–15 का सदस्य बना जिसे मिलाकर अब इसके 17 सदस्य हो गए हैं।

शिखर सम्मेलन में हुई बातचीत को शिखर सम्मेलन के अन्त में जारी प्रेस विज्ञप्ति में दिखाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्वरूप में सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी प्रक्रिया की स्थापना के लिए जी–15 देशों की मांग शामिल है। शिखर सम्मेलन में तीसरे विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन की तैयारी में जी–15 देशों की अन्तर–सरकारी बैठक के आयोजन की भेजबानी के लिए भारत की पेशकश का भी स्वागत किया गया। संयुक्त विज्ञप्ति में जी–15 और दक्षिण–दक्षिण सहयोग सम्पर्कों को गहन करने की भी मांग की गई और इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव–प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना के विकास जैसे क्षेत्रों में दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए एक नया सामरिक क्षेत्र का दृष्टिकोण बनाने के लिए भारत के प्रस्ताव का भी समर्थन किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कार्य सूची पर प्राथमिकता वाले मुद्दों पर सभी स्तरों पर जी–15 की जी–8 के साथ बातचीत को जारी रखने और उसमें वृद्धि किए जाने पर भी सहमति हुई।

रोजगार के अवसर

***310. श्री अभयसिंह एस. भोंसले :**

श्री माधवराव पाटील :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सन् 2002 तक सभी को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार सृजन की वार्षिक वृद्धि दर में कितनी वृद्धि की जाएगी; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में रोजगार में लगभग 2.6 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। योजना आयोग द्वारा किए गए एक मूल्यांकन के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए, सामान्य स्थिति के अनुसार रोजगार में 1992–97 की अवधि के दौरान 2.67 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई थी।

(ग) वर्ष 2002 के लिए श्रम दल के मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2002 तक पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1997–2002 के दौरान अपेक्षित रोजगार वृद्धि की दर 2.82 प्रतिशत प्रतिवर्ष अनुमानित की गई है।

(घ) नौवीं योजना में बेरोजगारी की दर में आठवीं योजना की 1.87 प्रतिशत की औसत बेरोजगारी दर से कम होकर नौवीं योजना में 1.66 प्रतिशत तक होने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को रोजगार गहन क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों और कार्यकलापों जैसे कृषि, कृषि और ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण आधार संरचना, छोटे और विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्रक, शहरी अनौपचारिक क्षेत्रक, व्यापार, परिवहन, निर्माण और सेवाओं के तीव्र विकास के आधार पर उत्पादक रोजगार अवसरों की वृद्धि को तेज करके प्राप्त किया जाना है। नौवीं योजना अवधि में चालू स्कीमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.) आदि को जारी रखते हुए रोजगार आश्वासन स्कीम (ई. ए. एस.) और प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) जैसी स्कीमों को सुदृढ़ किया जाएगा।

फसलों को क्षति

***311. श्री रंजीब बिस्वाल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में प्रतिवर्ष कीड़ों द्वारा बड़े पैमाने पर फसलों और सब्जियों को होने वाली क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में जहां फसल और सब्जियों को कीड़ों से क्षति होती है, कोई योजना प्रायोजित की गई है अथवा प्रायोजित किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार को देश में कीटों से फसलों और सब्जियों को हर वर्ष होने वाली हानि की जानकारी है। तथापि, चालू फसल मौसमों के दौरान कीटों से कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार की उड़ीसा समेत विभिन्न राज्यों में कीटों से फसलों और सब्जियों को होने वाली क्षति की रोकथाम के लिए कई केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1. **केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें :**

(i) केन्द्रीय समेकित कृषि प्रबंध केन्द्र;

(ii) टिड्डी नियंत्रण और अनुसंधान;

(iii) कीटनाशी अधिनियम, 1968 का क्रियान्वयन;

(iv) पादप संगरोध सुविधाओं का विस्तार; और

(v) पौध संरक्षण में प्रशिक्षण।

2. **केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रीय स्कीमें :**

(फसल संरक्षण घटक के साथ)

(i) चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी.–चावल)

(ii) गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी.–गेहूं)

(iii) मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी.–मोटे अनाज)

(iv) गहन कपास विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी.)

(v) गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास (एस. यू. बी. ए. सी. एस.)

(vi) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ. पी. पी.)

(vii) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन. पी. डी. पी.)

(viii) समेकित काजू विकास कार्यक्रम

(ix) भारत में समेकित नारियल उद्योग विकास

(x) समेकित मसाला विकास कार्यक्रम (आई. पी. डी. एस.)

केन्द्रीय और राज्य सरकारें पर्यावरण के अनुकूल समेकित कृषि प्रबन्ध दृष्टिकोण अपनाकर फसलों और सब्जियों को हानि पहुंचाने वाले कीटों पर नियंत्रण करने पर मुख्य जोर दे रही हैं।

[हिन्दी]

दुधारू पशु

***312. प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करने और उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई अनुसंधान कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किन–किन पशुओं पर उपरोक्त परीक्षण सफल हुए हैं;

(ग) क्या इन दुधारू पशुओं में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय देश में दुधारू पशुओं की अनुमानित संख्या कितनी है और अगले पांच वर्ष में इनकी संख्या में वृद्धि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों, केन्द्रीय तथा राज्य पशुधन प्रजनन फार्मों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा देसी मवेशियों (शाहीवाल, रैड सिंधी, गिर, थारपारकर, राठी, कांकरेज, ओंगोल, देओनी, हरियाणा) को सुधारने के लिए विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके लिए संकर नस्लों का चयन किया जा रहा है तथा कुछ गैर वर्णित और कुछ देसी नस्ल के मवेशियों का विदेशी दुधारू मवेशियों की नस्लों से संकरण कराया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूध देने वाले पशुओं की देसी नस्लों से संकरण के द्वारा चयन किया जा रहा है और स्थानीय गैर वर्णित गायों के उन्नतिकरण के लिए उनका विदेशी नस्ल के दुधारू पशुओं से संकरण कराया जा रहा है। दूध देने वाले पशुओं की संकर नस्लों में और सुधार किया जा रहा है। संकर नस्लों सहित दूध देने वाले मवेशियों की संख्या वर्ष 1992 में 5.78 करोड़ थी जिसके वर्ष 1999 में 6.17 करोड़ होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

नौवीं पंचवर्षीय योजना

***313. श्री रवि सीताराम नायक :**

श्री चन्द्रशेखर साहू :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल की बैठक में किन–किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं;

(ग) इसमें विभिन्न राज्यों द्वारा उठाई गई मांगें क्या हैं; और

(घ) राज्यों की मांगों विशेष रूप से खाद्यान्नों, उच्च शिक्षा और बिजली पर राजसहायता देने के संबंध में की गई मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय विकास परिषद (एन. डी. सी.) की बैठक 19 फरवरी, 1999 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें कार्य सूची की निम्नलिखित मदों पर विचार किया गया था :

(1) नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997–2002;

(2) राष्ट्रीय विकास परिषद की विद्युत संबंधी समिति की रिपोर्ट;

(3) गेहूं, चावल, चीनी, यूरिया और एल. पी. जी. की निर्देशित कीमतों में संशोधन;

(4) प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन के लिए मानदंड;

(5) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी. एस. एस.) का अंतरण।

निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. राष्ट्रीय विकास परिषद ने परिषद के समक्ष यथा प्रस्तुत नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) का अनुमोदन किया।

2. राष्ट्रीय विकास परिषद ने विद्युत संबंधी एन. डी. सी. समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी तथा संघ, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया कि वे इन सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें।

3. एन. डी. सी. द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि अनिवार्य वस्तुओं की निर्देशित कीमतों में संशोधन करते समय, किसानों और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों, के हितों और राजकोषीय स्थिरीकरण की मैक्रो आर्थिक अनिवार्यताओं तथा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के बीच संतुलन लाने की आवश्यकता है।

4. राष्ट्रीय विकास परिषद ने उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में दो उपसमितियां गठित करने का निर्णय लिया है जिनमें केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों से सदस्य होंगे, जो (क) प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन स्कीमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन संबंधी मानदंड और (ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतरण और इसमें अंतर्निहित कार्यपद्धति की जांच करेंगी।

19 फरवरी, 1999 को हुए विचार–विमर्श के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों ने, अन्य बातों के साथ–साथ, अपने वित्त से संबंधित मुद्दे भी उठाए। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) ने, राज्यों को अग्रिमों के संबंध में संशोधित तरीकों एवं उपायों को 1.3.1999 से कार्यान्वित कर दिया है जबकि पहले यह निर्णय लिया गया था कि अल्पावधिक उपायों के रूप में ऐसा 1.4.99 से किया जाए। राज्य की मध्यम अवधि की राजकोषीय समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त मंत्री, मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे।

खाद्यान्नों पर सब्सिडी के प्रश्न पर, सरकार ने दिसम्बर, 1997 में यह निर्णय लिया कि पी. डी. एस. की निर्गम कीमतें, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए आर्थिक लागत की ५० प्रतिशत होंगी तथा गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए आर्थिक लागत की 90 प्रतिशत होंगी। शिक्षा पर सब्सिडी, उत्तरोत्तर रूप से बुनियादी शिक्षा तक ही सीमित की जा रही है। स्व–वित्तपोषण आधार पर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है। जहां तक विद्युत का संबंध है, संघ व राज्य सरकारों ने विद्युत पर एन. डी. सी. समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि का दुरुपयोग

***314. श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई संसदीय निर्वाचन–क्षेत्रों में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. पी. एल. ए. डी. एस.) के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि का स्थानीय जिला अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त धनराशि के दुरुपयोग को रोकने तथा विकास कार्य के लिए निधियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्य–योजना लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उक्त कार्य योजना को कब तक और किस प्रकार से लागू करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य

मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जिला कलक्टरों द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों के दुरुपयोग के कुछ शिकायतें सांसदों से प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों में यह विषय संबंधित कलक्टरों/राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है तथा आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में योजना की संकल्पना, कार्यान्वयन तथा प्रबोधन के लिए प्रावधान, कार्यों के कार्यान्वयन हेतु क्रियाविधि तथा निधियों के अवमोचन, साथ ही उन कार्यों की विस्तृत सूची निहित है जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए जा सकते हैं तथा वह जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत नहीं किए जा सकते हैं। यदि मार्गदर्शी सिद्धांतों का कठोरता से अनुपालन किया जाए तो कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

कश्मीर मुद्दा

***315. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कश्मीर के मुद्दे का समाधान न करने की स्थिति में भारत के साथ बातचीत स्थगित करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो पाक प्रधानमंत्री द्वारा क्या समयावधि निर्धारित की गई है; और

(ग) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी नहीं, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त वार्ता प्रक्रिया, जिसका पहला दौर 15 अक्तूबर और 13 नवम्बर के बीच सम्पन्न हुआ, को स्थगित करने की पाकिस्तान की इच्छा का कोई संकेत नहीं दिया है। दोनों पक्ष दूसरे दौर की बातचीत के संबंध में राजनयिक माध्यमों से सम्पर्क बनाए हुए हैं जो शीघ्र ही की जाएगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विशेष रोजगार योजना की समीक्षा

***316. श्री डी. एस. अहिरे :**

श्री विठ्ठल तुपे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशेष रोजगार योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके राज्य-वार क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए कोई नई योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सरकार ग्रामीण (गरीबी) उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों, अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.), और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई. ए. एस.) की समय-समय पर केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति (सी. एल. सी. सी.), राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस. एल. सी. सी.), और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी. आर. डी. ए.) के शासित निकायों द्वारा जिला स्तर पर समीक्षा करती हैं। इन कार्यक्रमों की प्रमुख संकेतकों पर राज्यों से प्राप्त नियमित प्रगति रिपोर्टों और केन्द्र, राज्य और कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षणों की गहन प्रक्रिया के जरिए भी समीक्षा की जाती है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति की समीक्षा के लिए ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें और डी. आर. डी. ए. के परियोजना निदेशकों के सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर मानीटरिंग और सतर्कता समितियां गठित की गई हैं जिनमें इन स्कीमों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए जनता से चुने गए प्रतिनिधि सहयोजित किए गए हैं।

इसके अलावा, गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न रोजगार सृजक स्कीमों के समग्र प्रभाव का, उनके विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में, मूल्यांकन करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय मान्यता-प्राप्त स्वतंत्र संस्थानों/संगठनों के माध्यम से इन प्रमुख स्कीमों का समय-समय पर समवर्ती मूल्यांकन करता है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी. ई ओ.) भी मूल्यांकन करता है।

समीक्षाओं और मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर सरकार इन कार्यक्रमों की संपूर्ण प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के लिए इनके योजनाबद्ध मार्गनिर्देशों में समय-समय पर परिवर्तन करती है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना से पहले, मौजूदा गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजक कार्यक्रमों की गहराई से विस्तृत समीक्षा की जाती है और गरीबी पर इसकी, प्रभावोत्पादकता/प्रभाव में सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें तदनुसार पुनः डिजाइन किया जाता है। हाल ही में, नौवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने से पहले इस प्रकार की विस्तृत समीक्षा की गई थी।

रोजगार के सृजन के माध्यम से शहरी गरीबी की समस्या के समाधान के लिए, 1.12.97 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस. जे. एस. आर. वाई.) शुरू की गई थी। यह हाशिम समिति, जो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा और युक्तिकरण हेतु गठित की गई थी, द्वारा मौजूदा तीन

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों अर्थात् नेहरू रोजगार योजना (एन. आर. वाई.), गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा (यू. बी. एस. पी.) और प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी. एम. आई. यू. पी. ई. पी.) की विस्तृत समीक्षा के पश्चात् की गई थी। इन तीनों को समाप्त करके इनका प्रतिस्थापन एस. जे. एस. आर. वाई. द्वारा किया गया था।

(ग) और (घ) वर्तमान में रोजगार के और अधिक अवसरों के सृजन के लिए किसी नई स्कीम को शुरु करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में संशोधन

***317. श्री नरेश पुगलीया :**

श्री के. पी. मुनूसामी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में गाडगिल–मुखर्जी फार्मूले में संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गाडगिल–मुखर्जी फार्मूला कब से लागू है और इस फार्मूले में संशोधन कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां। इस विषय पर राज्य सरकारों के विचार मांगे गए थे। परन्तु, सभी राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) सभी राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद, प्राप्त टिप्पणियों के ब्यौरे समेकित किए जाएंगे और प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) गाडगिल–मुखर्जी फार्मूला राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिसम्बर, 1991 में अनुमोदित किया गया था। इस फार्मूले में परिवर्तन राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयों, जब भी लिए जाएंगे, पर आधारित होंगे।

भू-जल

***318. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

डॉ. असीम बाला :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू–जल बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में संदूषित भू–जल, जो मानव उपयोग के लायक नहीं पाया गया है, के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन क्षेत्रों के लोगों को जहां भू–जल को मानव–उपभोग के लायक नहीं पाया गया है, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में अकार्बनिक तत्त्व, रसायनों एवं भारी धातुओं के कारण भू–जल के संदूषित होने संबंधी अध्ययन किए हैं। इस बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जैविक और कार्बनिक तत्त्वों के कारण संदूषित भू–जल का अध्ययन भी किया है। विभिन्न जिलों के कुछ क्षेत्रों में पाए गए दूषित तत्त्वों के कारण संदूषित भू–जल का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) पेयजल का प्रावधान करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जनता को तथा विशिष्ट उप–मिशन कार्यक्रम के तहत फ्लोराइड, लोहा, आर्सेनिक, नाईट्रेट तथा ब्रेकिशनेस जैसे तत्त्वों से गंभीर रूप से प्रभावित भू–जल वाले क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने में राज्य की सहायता कर रहा है और उन्हें दिशा–निर्देश दे रहा है। प्रभावित जल वाले ऐसे क्षेत्रों में जहां भू–जल पीने के योग्य नहीं है वहां या तो वैकल्पिक स्रोतों से या नलों द्वारा सतही जल से या जल को फ्लोराइड, लोहा एवं आर्सेनिक रहित बनाने जैसे अन्य सुधारात्मक उपाय कर अन्य साधनों से पेयजल आपूर्ति की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भू–जल प्रदूषण की समस्या कम करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(i) केन्द्र सरकार ने भू–जल प्रबंधन एवं विकास को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया है।

(ii) जल के मितव्ययी, कुशल उपयोग, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान (हाइजीन) और सफाई के महत्त्व पर जन–जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है।

(iii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत सीमित कचरा बहाने के लिए उद्योगों को निदेश देने, परिवेशी जल गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने, लघु उद्योगों को साझा बहिस्राव ट्रीटमेंट संयंत्र लगाने के लिए सहायता देने संबंधी स्कीम शुरू करने एवं गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में मानीटरिंग की विशेष स्कीम शुरू करने जैसे अनेक उपाय किए हैं।

विवरण

जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में संदूषकों के कारण भू-जल के संदूषण का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	लवणीयता	लौह	फ्लोराइड	नाइट्रेट	आर्सेनिक	भारी धातुएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुन्टूर, प्रकासम	—	प्रकासम, नेल्लोर, अनंतपुर, नलगोंडा, रंगारेड्डी, आदिलाबाद	विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, प्रकासम, नेल्लोर, चित्तूर, अनंतपुर, कुडप्पाह, कुरनूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, आदिलाबाद, नलगोंडा, खम्माम	—	अनंतपुर, महबूबनगर, प्रकासम, विशाखापत्तनम, कुडप्पा, नलगोंडा
2.	असम	—	ब्रह्मपुत्र का उत्तरी किनारा	—	—	दिगबोई	—
3.	बिहार	बेगूसराय	चम्पारण, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, देवघर, मधुबनी, पटनी, पलामू, नालंदा, नवादा, बांका	गिरीडीह, जमुई, धनबाद	पलामू, गया, पटना, नालंदा, नवादा, भागलपुर, साहेबगंज, बांका	—	धनबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय
4.	गुजरात	बनासकांठा, जूनागढ़, भरूच, सूरत, मेहसाना, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, खेड़ा, जामनगर	—	कच्छ, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद, मेहसाना, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल, खेड़ा	—	—	—
5.	हरियाणा	सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, फरीदाबाद, जींद, गुड़गांव, भिवानी, महेन्द्रगढ़	—	रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद	अम्बाला, सोनीपत, जींद, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, करनाल, कुरूक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़	—	फरीदाबाद

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	कुल्लू, सोलन, ऊना	—	पुरवानू, कलाम्ब
7.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, रायचूर, बेल्लारी, धारवाड़	—	तुमकूर, कोलार, बंगलोर, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर	—	—	भद्रावती—
8.	केरल	एर्नाकुलम, त्रिचूर, अलेप्पी	—	पालघाट	—	—	—
9.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर, भिंड, मुरैना, झाबुआ, खरगांव, धार, शिवपुरी, शाजापुर, गुना, मंदसौर, उज्जैन	—	भिंड, मुरैना, गुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सेओनी, मंडला, रायपुर, विदिशा	सेहोर	—	बस्तर, कोरबा, रतलाम, नागदा
10.	महाराष्ट्र	अमरावती, अकोला	—	भंडारा, चंद्रापुर, नांदेड़, औरंगाबाद	थाणे, जालना, बीड, नांदेड़, लातूर, ओसमानाबाद, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, अमरावती, अकोला, नागपुर, वर्धा, भंडारा, चंद्रापुर, गदचिरोली		—
11.	उड़ीसा	कटक, बालेश्वर, पुरी	तटीय उड़ीसा के हिस्से	बोलनगीर	—	—	अंगुल तालचेड

1	2	3	4	5	.6	7	8
12.	पंजाब	भटिंडा, संगरूर, फरीदकोट, फिरोजपुर	–	लुधियाना, फरीदकोट, भटिंडा, संगरूर, जालंधर, अमृतसर,	पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर, भटिंडा	–	लुधियाना, मंडी गोविन्दगढ़
13.	राजस्थान	भरतपुर, जयपुर, नागपुर, जालौर सिरोही, जोधपुर	बीकानेर, अलवर, डूंगरपुर	बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही	जयपुर, चुरू, गंगानगर, बीकानेर, जालौर, बाड़मेर, बूंदी, सवाईमाधोपुर	–	पाली, उदयपुर, खेतड़ी
14.	तमिलनाडु	कराईकल, पांडिचेरी, नागपट्टनम, कायदेमिलेट, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, नार्थअरकोट–अम्बेडकर, धरमपुरी, सेलम, त्रिची, कोयम्बटूर	–	धरमपुरी, सेलम, नार्थ अरकोट–अम्बेडकर, विल्लीपुरम–पदयाची, मुत्तूरामलिंगम, तिरूचिरापल्ली, पुदुकोट्टई	कोयम्बटूर, पेरियार, सेलम	–	मनाली, नार्थ, अरकोट
15.	त्रिपुरा	–	धरमनगर, कौलेशहर, खोवई, अम्बासा, अमापुर और अगरतला घाटी के भाग	–	–	–	–
16.	उत्तर प्रदेश	आगरा, मथुरा, मैनपुरी, बांदा	–	बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, उन्नाव, राय–बरेली	उरई, झांसी, ललितपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, महाराजगंज–गोरखपुर, देवरिया	–	सिंगरौली, बस्ती, कानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	पश्चिम बंगाल	—	मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, बांकुरा	बीरभूम	उत्तर दिनाजपुर, माल्दा, बीरभूम, नादियां, मिदनापुर, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, पुरूलिया	माल्दा, दक्षिणी 24 परगना, नादिया, हुगली, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, हावड़ा	दुर्गापुर, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, नादिया
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	नजफगढ़, कंझावाला, एवं मेहरौली ब्लाक	—	—	नगर, शाहदरा, एवं मेहरौली ब्लाक		अलीपुर, कंझावाला, नजफगढ़, मेहरौली, नगर और शाहदरा ब्लाक

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका

***319. श्री दिलीप संघाणी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार गुट–निरपेक्ष आंदोलन को एक महत्त्वपूर्ण और प्रासंगिक मंच मानती है जिसका उपयोग करके वह अपनी विदेश नीति के कुछ लक्ष्यों जैसे विश्व में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, दक्षिण–दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करना, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं के लिए एक महान दृष्टिकोण तैयार करना आदि को प्राप्त कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने गुट–निरपेक्ष आंदोलन में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी हां, अधिनिर्णय की स्वतंत्रता और कार्रवाई की स्वायत्तता के आधार पर "नाम" की विचारधारा ने शीतयुद्धोत्तर विश्व में अपनी निरन्तर प्रासंगिकता को बनाए रखा तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मौजूदा एवं उदीयमान चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए "नाम" देशों के लिए मंच प्रदान करता है। "नाम" भारत के महत्त्व के व्यापक मसलों पर सामूहिक दृष्टिकोण तैयार करने में सक्रिय मंच बना रहेगा। डरबन में सितम्बर, 1988 को संपन्न बारहवें गुट–निरपेक्ष शिखर–सम्मेलन ने शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के विश्लेषण से लेकर सार्वभौम आर्थिक मसले शामिल हैं सहित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं के समाधान और दक्षिण–दक्षिण सहयोग संबंधी मसलों के व्यापक स्वरूप पर विचार किया।

(ग) "नाम" के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने सभी वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मसलों पर "नाम" का दृष्टिकोण तैयार करने में योगदान दिया। इन्हें डरबन में सितम्बर, 1998 को बारहवें शिखर–सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित अन्तिम दस्तावेज में दोहराया गया।

अन्तर्राज्यीय जल-विवाद

***320. श्री. ए. वेंकटेश नायक :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली की यमुना नदी के पानी की कुल मांग कितनी थी कि हरियाणा सरकार ने वास्तव में कितने पानी की आपूर्ति की;

(ख) क्या यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों के बीच पुनः विवाद पैदा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विवाद को हल करने के लिए कोई पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल मांग और हरियाणा सरकार द्वारा जल उपचार संयंत्र पर दिल्ली को उपलब्ध

कराये गये यमुना नदी के जल की वास्तविक आपूर्ति का ब्यौरा इस प्रकार है :

(इकाई बिलियन क्यूबिक मीटर)

वर्ष	मांग	वास्तविक आपूर्ति
मार्च, 1996—फरवरी, 1997	0.558	0.558
मार्च, 1997—फरवरी, 1998	0.558	0.557
मार्च, 1998—फरवरी, 1999	0.558	0.556

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अखूपाड़ा अनीकट परियोजना

3199. श्री अर्जुन सेठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अखूपाड़ा अनीकट परियोजना का विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि से आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके आधुनिकीकरण के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां, अखुपाड़ा अनीकट का आधुनिकीकरण विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना के तहत एक घटक है।

(ख) अखुपाड़ा अनीकट के आधुनिकीकरण के लिए कुल 44.05 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान आधुनिकीकरण कार्यपर 4.73 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि मार्च, 2000 है।

जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों को धन

3200. श्री टी. गोविन्दन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फंड्स फॉर जे. एण्ड के. अल्ट्राज फ्रोजन बाई ब्रिटेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षिक किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रिटेन की भूमि भारत विरोधी गतिविधियों के संचालन हेतु प्रयोग न की जाए, भारतीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी हां, ब्रिटिश प्राधिकारियों ने यू. के. के एक विशेष संगठन की निधि पर रोक लगा दी है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस संगठन में दलगत मतभेदों के कारण ऐसा है।

(ग) यू. के. में रहने वाले दलों की भारत–विरोधी गतिविधियों के बारे में सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी चिन्ता जताई है।

बेघर लोगों के लिए घर

3201. श्री चेंगारा सुरेन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष से बेघर लोगों को मकान उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए राज्य को कितनी राशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का प्रयोग संबंधित सांसद द्वारा संस्तुत राशि की सीमा तक, इंदिरा आवास योजना की कार्यविधि और शर्तों के अनुसार आवास उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता था। तथापि केरल सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

जैव पेस्टीसाइडों का उत्पादन

3202. श्री महबूब जहेदी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई. सी. डी. पी. के तहत जैव–पेस्टीसाइडों के उत्पादन हेतु गांवों में कुटीर उद्योग स्थापित करने और आस–पास के किसानों को उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जैव–पेस्टीसाइडों का प्रयोग कपास की खेती में कीट नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) निम्नलिखित आई. सी. डी. पी.

परियोजनाओं के अंतर्गत जैव कीटनाशियों के उत्पादन हेतु गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

1. समेकित सहकारी विकास परियोजना
2. गहन कपास विकास कार्यक्रम
3. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम--चावल
4. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम--गेहूं
5. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम--मोटे अनाज

बहरहाल, जैव कीटनाशियों के उत्पादन और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उन्हें किसानों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को सहायता दी जा रही है।

(ग) और (घ) जैव कीटनाशी, जो कपास की फसल को प्रभावित करने वाले कीटों के नियंत्रण में कारगर सिद्ध हुए हैं, इस प्रकार है :

जैव कीटनाशी	कपास की कीट
बैसिलस	अमेरिकी बॉलवर्म
थुरिंगजिएन्सिस	चित्तीदार बॉलवर्म, स्पोडोप्टेरा
एन. पी. वी.	अमेरिकी बॉलवर्म, स्पोडोप्टेरा
नीम आधारित फार्मूलेशन	बॉलवर्म, व्हाईटफलाई, एफिड एवं
ट्राइकोडर्मा	लीफहॉपर
	मुर्झान रोग

[हिन्दी]

बेरोजगार युवा

3203. श्री रामानन्द सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में रोजगार का लक्ष्य, श्रमबल में सम्मिलित लोगों के साक्षरता स्तर द्वारा तय नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

मछुआरा बचत और राहत योजना

3204. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार समुद्री मछुआरों संबंधी बचत और राहत योजना जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अंतर्देशीय मछुआरों और मछुआरिनों को भी इसके लाभ दने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हालांकि बचत व राहत योजना को, जो इस समय केवल समुद्री मछुआरों को कवर करती है, अंतर्देशीय मछुआरों पर भी लागू करने के संबंध में हम ध्यान दे रहे हैं, मत्स्य के खुदरा विपणन अथवा मात्स्यिकी की अन्य सहायक गतिविधियों में कार्यरत मछुआरिनों के लिए इस योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वेलिगोन्डा सिंचाई परियोजना

3205. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वेलिगोन्डा सिंचाई परियोजना संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 978.96 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की वेलीगोन्डा परियोजना की परियोजना रिपोर्ट मार्च, 96 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई थी। इस परियोजना से लगभग 1,77,200 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ मिलेगा।

(ग) विस्तृत जांच के बाद यह परियोजना रिपोर्ट निम्नलिखित कारणों से नवम्बर, 1996 में राज्य सरकार को लौटा दी गई थी :

(i) रिपोर्ट में जल की उपलब्धता निर्धारित नहीं की गई थी;

(ii) अनुमान में पुनर्वास और प्रतिपूरक वनरोपण सहित पर्यावरणीय प्रबंध और मानीटरी योजनाओं का समुचित प्रावधान नहीं किया गया था।

बाइझाल सिंचाई परियोजना

3206. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा में बाइझाल सिंचाई परियोजना शुरू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इस परियोजना को प्रारंभ करने हेतु केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या इस परियोजना को प्रारंभ करने में अत्यधिक देरी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) चूंकि लघु सिंचाई परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अनुमोदित, निष्पादित और वित्त पोषित किया जाता है अतः बाइझाल परियोजना के एक लघु सिंचाई परियोजना होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे जल संसाधन मंत्रालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

वानिकी और बाग

3207. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में, कृषि पर आधारित वानिकी और बाग को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जहां तक फलोद्यान के विकास का संबंध है, कृषि और सहकारिता विभाग आठवीं पंचवर्षीय योजना से "उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्रीय फलों के विकास" पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अधीन बड़ी और छोटी नर्सरियों के जरिए क्वालिटी पौधरोपण सामग्री के उत्पादन, सार्वजनिक और गैर-सरकारी क्षेत्र में टिशू कल्चर एककों की स्थापना, क्षेत्र विस्तार, पुराने/जराग्रस्त फलोद्यानों की उत्पादकता सुधारने, प्रचार उपाय शुरू करने और कृषकों के प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जा रही है। वर्ष 1997-98 के दौरान 17.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से सभी राज्यों में यह स्कीम शुरू की गई तथा उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों 25.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 1998-99 में भी इसे जारी रखा गया है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को निधियों की निर्मुक्ति के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	आबंटन	निर्मुक्त निधियां
1997-98	90.39	–
1998-99	122.84	20.00 (2/99 तक)

जहां तक कृषि वानिकी का संबंध है, अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई. सी. ए. आर. के वैज्ञानिक

3208. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 95 प्रतिशत से ज्यादा वैज्ञानिकों ने संकाय से इस्तीफा दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के असंतोष को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वैज्ञानिक संशोधित वेतनमानों को शीघ्र लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे थे और उसे परिषद के पत्र सं. 1(15)/98-कार्मिक-IV, दिनांक 27.7.99 के द्वारा पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

नैफेड का बंद होना

3209. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैफेड बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि

3210. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को संशोधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित योजना के अनुसार प्रत्येक संसद सदस्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में संसद सदस्यों को इस योजना हेतु धनराशि जारी अथवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान पश्चिम बंगाल के प्रत्येक संसद सदस्य को कितनी धनराशि जारी की गई और 1999–2000 के दौरान प्रत्येक संसद सदस्य को कितनी धनराशि जारी किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) दिनांक 23/12/1998 को सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में वर्ष 1998 से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का आबंटन प्रति संसद 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति सांसद करने के निर्णय की घोषणा की गई। बढ़ी हुई दर पर निधियां जारी करने हेतु अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की गई है। वर्तमान में 1998–99 के लिए निधियां एक करोड़ रुपए प्रति सांसद की दर से जारी की जाती हैं।

(ग) से (ङ) वर्ष 1997–98 से अनुमोदित मानदंड के अनुसार जिला कलक्टरों से अस्वीकृत शेष राशि 50 लाख रुपये से कम दर्शाने वाले व्यय विवरण प्राप्त होने पर निधियां 50 लाख रुपए प्रति किश्त की दर से दो किश्तों में जारी की जाती हैं। 1997–98 तथा 1998–99 में पश्चिम बंगाल के लोक सभा सांसदों एवं राज्य सभा सांसदों को निधियों के अवमोचन की स्थिति इंगित करते हुए ब्यौरा विवरण I और II में दिया गया है। वर्ष 1999–2000 के लिए सांसदवार निधियां वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को देखते हुए दो किश्तों में जारी की जाएंगी।

विवरण—I

12.03.99 को सां. स्था. क्षे. वि. यो. के अंतर्गत 1997–98 की पहली एवं दूसरी किश्त तथा 1998–99 की पहली एवं दूसरी किश्त के रूप में जारी निधियों का विवरण

राज्य : पश्चिम बंगाल

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र	लोक सभा सांसद का नाम	लोक सभा (1997–98) किश्त पहली	(1997–98) किश्त दूसरी	(1998–99) किश्त पहली	(1998–99) किश्त दूसरी (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अलीपुर दौरस (अनु. ज. जा.)	श्री जोकिम बक्सला	50.0	—	—	—
		श्री जोकिम बक्सला				
2.	आरामबाग	श्री अनिल बासु				
		श्री अनिल बासु	50.0	50.0	50.0	—
3.	आशनसौल	श्री हरधन राय	50.0	—	—	—
		श्री बिद्रण चौधरी	—	50.0	—	—
4.	बालूरघाट (अ. जा.)	श्री रानेन बर्मन	50.0	50.0	—	—
		श्री रानेन बर्मन	—	—	50.0	—
5.	बांकुरा	श्री बासुदेव आचार्या	50.0	—	—	—
		श्री आचार्या बासूदेव	—	50.0	50.0	—
6.	बरासत	श्री चित्ता बसु	50.0	—	—	—
		डॉ. रणजीत कुमार पांजा	—	50.0	—	—

1	2	3	4	5	6	7
7.	बैरकपुर	श्री तारित बरण तोपदार				
		श्री तारित बरण तोपदार	50.0	—	—	—
8.	बसीरहट	श्री अजय चक्रवर्ती				
		श्री अजय चक्रवर्ती	50.0	50.0	—	—
9.	बहरामपुर	श्री प्रमोथेस मुखर्जी				
		श्री प्रमोथेस मुखर्जी	—	—	—	—
10.	बीरभूम (अ. जा.)	श्री रामचन्द्रा दोमे				
		श्री दोमे राम चन्द्रा	50.0	50.0	—	—
11.	बोलपुर	श्री सोमनाथ चटर्जी				
		श्री सोमनाथ चटर्जी	50.0	50.0	—	—
12.	बरदवान	श्री बलाई रे	50.0			
		श्री सर निखिलनन्दा		50.0	—	—
13.	कलकत्ता नॉर्थ ईस्ट	श्री अजित कुमार पांजा	50.0			
		श्री अजित कुमार पांजा	—	50.0	—	—
14.	कलकत्ता नॉर्थ ईस्ट	श्री देवी प्रसाद पाल				
		श्री सुदीप बन्धोपाध्याय	50.0	—	—	—
15.	कलकत्ता दक्षिण	सुश्री ममता बनर्जी				
		सुश्री ममता बनर्जी				
16.	कोनताई	श्री सुधीर गिरि				
		श्री सुधीर गिरि	50.0	50.0	—	
17.	कुचीबहार (अ. जा.)	श्री अमर राय प्रधान				
		श्री अमर राय प्रधान	50.0	50.0	—	
18.	दार्जिलिंग	श्री आर. बी. राय	—	—	—	
		श्री अनन्दा पाठक				
19.	डायमण्ड हारबर	श्री समिक लेहिरी	—	—	—	
		श्री समिक लेहिरी				
20.	डमडम	श्री निर्मल कान्ती चटर्जी	50.0			-
		श्री तपन सिकन्दर	—	50.0	50.0	
21.	दुर्गापुर (अ. जा.)	श्री सुनिल खान				
		श्री खान सुनिल	50.0	50.0	—	

1	2	3	4	5	6	7
22.	हुगली	श्री रूपचन्द पाल	50.0			
		श्री रूपचन्द पाल	—	50.0	50.0	
23.	हावड़ा	श्री प्रिया रंजन दास मुंसी				
		डॉ. विक्रम सरकार	50.0	—	—	
24.	जादवपुर	श्रीमती कृष्णा बोस	50.0			
		श्रीमती कृष्णा बोस	—	50.0	50.0	
25.	जलपाइगुड़ी	प्रो. जितेन्द्र नाथ दास	50.0			
		श्री मिनाती सेन	—	50.0	—	
26.	जंगीरपुर	मो. इदरीस अली				
		श्री अबुल हसंनत खान	50.0	—	—	
27.	झारग्राम (अ. ज. ज.)	श्री रूपचंद मुर्मु				
		श्री मुर्म रूपचंद	50.0	50.0	50.0	
28.	जोयनगर (अ. जा.)	श्री सनत कुमार मंडल	50.0			
		श्री सनत कुमार मंडल	—	50.0	—	
29.	काटवा	श्री महबूब जेहदी	50.0			
		श्री जेहदी महबूब	—	50.0	—	
30.	कृष्णानगर	श्री अजोय मुखोपाध्याय				
		श्री अजोय मुखोपाध्याय	50.0	—	—	
31.	मालदा	श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी	50.0	50.0	—	
		श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी			50.0	
32.	मथुरापुर (अ. जा.)	श्रीमति राधिका रंजन प्रमानिक	—	—	—	
		श्रीमति राधिका रंजन प्रमानिक				
33.	मिदनापुर	श्री इन्द्रजीत गुप्ता				
		श्री इन्द्रजीत गुप्ता	50.0	50.0	50.0	
34.	मुर्शिदाबाद	श्री मसूदल हुसैन	50.0	—	—	
		श्री मइनुल हसन		50.0		
35.	नबाद्विप (अ. ज.)	श्री अशीम बाला				
		श्री अशीम बाला	50.0	—	—	
36.	पंसकुरा	श्रीमती गीता मुखर्जी				
		श्रीमती गीता मुखर्जी	50.0	50.0	50.0	

1	2	3	4	5	6	7
37.	पुरुलिया	श्री बीर सिंह महतो	50.0			
		श्री बीर सिंह महतो	—	50.0	50.0	50.0
38.	रायगंज	श्री सुब्रता मुखर्जी	50.0			
		श्री सुब्रता मुखर्जी		50.0	50.0	
39.	सेरामपुर	श्री प्रदीप भट्टाचार्य	50.0			
		श्री अकबर अली खानदोकर		50.0	—	—
40.	तमलुक	श्री जयंता भट्टाचार्या				
		श्री लक्ष्मण चन्द्रा सेठ	50.0	50.0		
41.	उलुबेरिया	श्री हनन मोल्लाह				
		श्री हनन मोल्लाह	50.0	—	50.0	—
42.	विष्णुपुर (अ. जा.)	श्रीमति संध्या बैरी	50.0			
		श्रीमति संध्या बैरी	—	50.0	—	—

नोट : पहला नाम 11वीं लोकसभा सांसद का है।

दूसरा नाम 12वीं लाकसभा सांसद का है।

विवरण-II

12.03.99 को सां. स्था. क्षे. वि. यो. के अंतर्गत 1997–98 की पहली एवं दूसरी किश्त तथा 1998–99 की पहली एवं दूसरी किश्त के रूप में जारी निधियों का विवरण

राज्य : पश्चिम बंगाल

क्रम सं.	चुना गया जिला	राज्य सभा सांसद का नाम	(1997–98) किश्त		(1998–99) किश्त	
			पहली	दूसरी	पहली	दूसरी (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य सभा के वर्तमान पदस्थ सदस्य						
1.	कलकत्ता	श्री जिबन राय	50.0	—	—	—
2.	कलकत्ता	श्री गुरुदास गुप्ता	—	—	—	—
3.	कलकत्ता	डॉ. बिपलव दास गुप्ता	—	—	—	—
4.	कलकत्ता	डॉ. अशोक मित्रा	—	—	—	—
5.	बर्दवान	श्री रामनारायण गोस्वामी	50.0	50.0	—	—
6.	कलकत्ता	डॉ. श्रीमति चन्द्रा कला पाण्डे	50.0	—	—	—
7.	बीरभूम	श्री प्रणव मुखर्जी	50.0	50.0	—	—
8.	साउथ दिनाजपुर	श्री निलोतपाल बासु	50.0	50.0	50.0	—

1	2	3	4	5	6	7
9.	मलदा	श्री दिपांकर मुखर्जी	50.0	50.0	50.0	—
10.	मुर्शीदाबाद	श्री जयंता राय	50.0	50.0	50.0	50.0
11.	कलकत्ता	श्री मृणाल सेन (नामित)	50.0	50.0	—	—
12.	दार्जिलिंग	श्री दावा लामा	50.0	50.0	—	—
13.	उत्तरी दिनाजपुर	श्री देबाब्रता विश्वास	—	—	—	—
14.	दार्जिलिंग	श्री ब्रतिन सेन गुप्ता	50.0	—	—	—
15.	जलपाइगुडी	श्रीमति भारती राय	50.0	—	—	—
16.	कलकत्ता	मो. सलीम	—	—	—	—

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठन

3211. श्री छत्रपाल सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन–जिन योजनाओं के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किये जाते हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान बढ़ाने हेतु क्या मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया गया और उनके द्वारा जमा किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1998–99 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को जारी किये गये कुल अनुदान का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) स्कीमों, जिनके अन्तर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता मुहैया करा रहा है का विवरण तथा इसके लिए अपनाया गया मापदण्ड निम्न प्रकार है :

(1) **मधुमक्खी पालन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम**

पच्चीस प्रशिक्षुओं के एक समूह के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए प्रति प्रशिक्षु 1000 रुपए की दर से सहायता मुहैया कराई जाती है। चयनित संगठन के पास आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए तथा वे विभाग द्वारा विकसित समरूप पाठयक्रम सामग्री के आधार पर प्रत्येक वर्ष कम से कम 2–3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम होने चाहिए।

(2) **जैव-उर्वरक के विकास एवं प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम**

कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के स्वैच्छिक संगठनों/निजी उद्यमियों को 150 मी. टन की क्षमता की जैव–उर्वरक उत्पादन इकाई की स्थापना व उनके सुदृढ़ीकरण के वास्ते 20.00 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता इस स्कीम के तहत मुहैया कराई जाती है, बशर्ते संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके प्रस्तावों की अनुशंसा की गयी है।

(3) **स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम**

इस स्कीम का उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों को प्रौद्योगिकी अंतरण की प्रक्रिया में शामिल करना तथा राज्य में कृषि विस्तार प्रणाली के साथ उनके प्रयासों को संगठित करना है।

कम–से–कम तीन वर्षों से कृषि एवं ग्रामीण विकास में कार्यरत पंजीकृत गैर–सरकारी संगठनों को प्रति वर्ष प्रति गैर–सरकारी संगठन 5 लाख रुपए की दर पर सहायता मुहैया कराई जा रही है ताकि वे सूक्ष्म स्तर पर कृषि प्रणाली का प्रलेखन कर सकें; श्रृव्य दृश्य सहायता की तैयारी कर सकें, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकें; किसानों के अध्ययन दल आयोजित कर सकें; अनुसंधान केन्द्रों पर कृषक वैज्ञानिकों का पारस्परिक वार्तालाप आयोजित कर सकें तथा कृषि सूचना सामग्री की खरीद कर सकें। निधियां विस्तार निदेशालय द्वारा भारत सरकार के 100 प्रतिशत वित्त पोषण से कपार्ट (सी. ए. पी. ए. आर. टी.) के माध्यम से निर्मुक्त की जाती है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश और अन्य दूसरे राज्यों में संगठनों की संख्या, जिनके लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 1998–99 के दौरान अनुदान सहायता निर्मुक्त की गई थी, का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	राज्य	संगठनों की सं.	स्वीकृत/ निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	2	10.00
2.	असम	1	0.75
3.	बिहार	2	10.00
4.	गुजरात	1	0.75
5.	जम्मू व कश्मीर	1	0.75
6.	कर्नाटक	2	5.25
7.	केरल	1	0.75
8.	मध्य प्रदेश	2	6.60
9.	महाराष्ट्र	1	0.70
10.	मणिपुर	1	5.00
11.	मिजोरम	1	0.25
12.	पंजाब	1	0.75
13.	तमिलनाडु	1	0.75
14.	त्रिपुरा	1	5.00
15.	उत्तर प्रदेश	7	8.50
16.	पश्चिम बंगाल	2	10.00
17.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	1	0.25
	कुल	28	66.05

*उत्तर प्रदेश में लाभानुभोगी सात संगठनों में से छः मधुमक्खी पालन तथा एक विस्तार कार्य से संबंधित है।

[अनुवाद]

हरियाणा में जल-जमाव

3212. श्री अमन कुमार नागरा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में जल–जमाव के कारण कृषि योग्य हजारों एकड़ भूमि प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संकट के समाधान तथा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय (1984–85) द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार, हरियाणा में 6.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जल–जमाव से प्रभावित हैं। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी दल (1991) द्वारा किए गए आंकलन में यह अनुमान लगाया है कि राज्य में सिंचाई कमानों में 2.49 हेक्टेयर क्षेत्र में जल–जमाव होता है।

(ग) जल–जमाव की समस्या को हल करने के लिए जल–संसाधन मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) 1.4.1996 से केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत "सिंचाई कमानों में जल–जमाव क्षेत्रों का पुनरुद्धार" नामक एक नया घटक शामिल किया गया है। राज्यों को 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से केन्द्रीय अनुदान अथवा पुनरुद्धार पर किए गए व्यय के आधे, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ii) प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सम्बद्ध सामग्री आदि के प्रकाशन और परिचालन के जरिए इस समस्या के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाती है।

[हिन्दी]

भारतीयों के प्रवेश पर पाबंदी

3213. श्री रामपाल उपाध्याय :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ खाड़ी के देशों ने भारतीय मूल के लोगों को वहां रोजगार देने हेतु कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और कठोर नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किसानों द्वारा आत्महत्या

3214. श्री चन्दू लाल अजमीरा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों के सामूहिक आत्महत्या के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस सामूहिक आत्महत्या के लिए अमेरिका द्वारा छेड़ा गया जैविक युद्ध जिम्मेदार है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने का कारण फसलों का, विशेषतः कपास की फसल का, नष्ट हो जाना, कृमि आक्रमण तथा किसानों का ऋण में डूबे होना था। कृमि आक्रमण का प्रकोप घटिया रसायनों के अत्यधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग किए जाने से तथा गलत किस्म के स्प्रे उपकरणों के प्रयोग से और अधिक हो गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निविदा आमंत्रित किए बगैर खरीद

3215. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, ऐसे अन्य संस्थानों ने खुली निविदाएं आमंत्रित किए बगैर 1.30 करोड़ रुपये की विभिन्न मदों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो निविदाएं आमंत्रित किए बिना इस अवैध खरीद के क्या कारण हैं; और

(ग) खरीद संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां, यह मुद्दा नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी. ए. जी.) द्वारा वर्ष 1998 की रिपोर्ट के पैरा 8.1 उप पैरा 8.1/4 (ख) में उठाया गया।

(ख) और (ग) संबद्ध संस्थानों से विस्तृत टिप्पणियां एकत्रित की जा रही हैं। उत्तरों की पूरी तरह से जांच तथा रिकार्ड के सत्यापन के बाद उचित कार्रवाई की जायेगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद

3216. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अनुभाग अधिकारी के वर्ष 1996 के लिए आरक्षित 43 पद और वर्ष 1997 के लिए आरक्षित 28 पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुभाग अधिकारी/अशुलिपिक ग्रेड "बी" सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा इन रिक्त पदों के न भरने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों ने सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1996/1997 के माध्यम से भरे जाने हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनुभाग अधिकारी के 43/12 पद सूचित किए। उपर्युक्त परीक्षाओं के आधार पर, निर्धारित अर्हक मानक के अनुसार संघ लोक सेवा-आयोग द्वारा इन रिक्त पदों के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की गई।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि

3217. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इसके गठन के बाद से प्रत्येक वर्ष आज तक उड़ीसा के प्रत्येक संसद सदस्य को कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, आबंटित की गई और जारी की गई;

(ख) क्या जारी की गई कुछ धनराशि अप्रयुक्त रही;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उड़ीसा के संसद सदस्यों द्वारा उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान अनुशंसा किए गए, विचार किये गये और पूरे किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपूर्ण कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के गठन से अब तक इसके अंतर्गत उड़ीसा के प्रत्येक सांसद को जारी तथा स्वीकृत कुल धनराशि का ब्यौरा विवरण I और II में दिया गया है। लोक सभा के संदर्भ में निधियां निर्वाचन क्षेत्रवार जारी की जाती है। संसद राज्य विधानमंडलों तथा पंचायती राज संगठनों के चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने, सांसदों द्वारा अनुशंसाओं में परिवर्तन, भूमि की अनुपलब्धता, कार्यकारी अभिकरणों द्वारा योजना एवं प्राक्कलन देरी से प्रस्तुत करने इत्यादि के कारण शेष राशि का उपयोग नहीं हो पाता है।

(घ) और (ङ) सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा इस विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है। इस प्रकार का ब्यौरा संबंधित जिला कलेक्टरों के पास उपलब्ध होता है।

विवरण—I

राज्य : उड़ीसा

क्रम सं.	सांसद का नाम (12वीं लोक सभा) निर्वाचन क्षेत्र	1993–99	
		भारत सरकार द्वारा जारी (लाख रु.)	स्वीकृत धनराशि (लाख रु.)
1	2	3	4
1.	श्री नवीन पटनायक (लो. स.) अस्का	455.0	403.7
2.	श्री महामेधावहन आयरा खराबेला स्वेन (लो. स.) बालासोर	505.0	420.3
3.	श्रीमती जयंती पटनायक (लो. स.) बहरामपुर	405.0	355.0
4.	श्री अर्जुन चरन सेठी (लो. स.) भद्रक (अ. जा.)	355.0	292.3
5.	श्री प्रसन्ना कुमार पातासनी (लो. स.) भुवनेश्वर	355.0	261.0
6.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (लो. स.) बोलानगीर	455.0	404.9
7.	श्री भारूहारी माहताब (लो. स.) कटक	455.0	396.7
8.	श्री देवेन्द्र प्रधान (लो. स.) देवगढ़	505.0	421.2
9.	श्री तथागत सतपति, (लो. स.) धेनकनाल	455.0	404.4

1	2	3	4
10.	श्री रंजीब बिसवाल (लो. स.) जगतसिंहपुर	455.0	402.9
11.	श्री रामचंद्र मलिक (लो. स.) जाजपुर (अनु. जा.)	455.0	355.3
12.	श्री बिक्रम केसरी देव (लो. स.) कालाहांडी	405.0	347.8
13.	श्री प्रभात कुमार सामंतरे (लो. स.) केन्द्रापारा	405.0	390.0
14.	श्री उपेन्द्र नाथ नायक (लो. स.) कियोजर (अ. ज. जा.)	455.0	380.0
15.	श्री गिरिधर गमांग (लो. स.) कोरापट (अनु. ज. जा.)	405.0	355.0
16.	श्री सलखान मुरमु (लो. स.) मयूर भंज (अ. ज. जा.)	450.0	399.6
17.	श्री खगपति प्रधानी (लो. स.) नौरंगपुर (अनु. ज. जा.)	455.0	399.4
18.	श्री पदमानवा बेहेरा (लो. स.) फूलबनी (अनु. जा.)	455.0	367.7
19.	श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (लो. स.) पुरी	355.0	305.0
20.	श्री प्रसन्ना आचार्य (लो. स.) सम्बलपुर	405.0	325.6
21.	श्री जुआल ओरम (लो. स.) सुन्दरगढ़ (अनु. ज. जा.)	505.0	455.0
	राज्य का कुल	9150.0	7842.7

विवरण—II

राज्य : उड़ीसा

क्रम सं.	सांसद का नाम राज्य सभा जिला	1993–99 भारत सरकार द्वारा जारी (लाख रु.)	स्वीकृत धनराशि (लाख रु.)
1	2	3	4
	संसद के पदस्थ सदस्य		
1.	श्री सनातन बिसी (रा. स.) सम्बलपुर	400.0	316.5
2.	श्री रहस बिहारी वारिक (रा. स.) कियोंजर	505.0	453.0
3.	श्री भागबन माझी (रा. स.) नौरंगपुर	450.0	400.0
4.	श्री एम. एन. दास (रा. स.) बालासोर	50.0	26.5
5.	श्री रामचंद्र खुंतिया (रा. स.) जानपुर	50.0	ला. न.
6.	श्री रंगनाथ मिश्रा (रा. स.) कटक	50.0	40.2
7.	श्री दिलीप कुमार रे (रा. स.) सुंदरगढ़	300.0	242.9
8.	मॉरिस कुजूर (रा. स.) सुंदरगढ़	300.0	250.0
9.	श्री अनंत सेठी (रा. स.) भद्रक	300.0	210.9
10.	सुश्री फरीदा टोपनो (रा. स.) सुंदरगढ़	50.0	50.0
	संसद के पूर्व सांसद		
11.	श्रीमती इला पांडा (रा. स.) रायगढ़	355.0	355.0
12.	श्री सोमप्पा आर. बोम्मई (रा. स.) खुरदा	305.0	139.4
13.	श्री नरेन्द्र प्रधान (रा. स.) कटक	455.0	359.8

1	2	3	4
14.	श्री बसंत कुमार दास (रा. स.) कालाहांडी	205.0	202.1
15.	श्रीमति मीरा दास (रा. स.) जगतसिंहपुर	205.0	105.0
16.	श्री शारदा मोहंती (रा. स.) कटक	205.0	205.0
17.	श्री प्रवत कुमार सामंतरे (रा. स.) केन्द्रापारा	205.0	201.6
18.	श्री के. सी. लेका (रा. स.) कटक	5.0	5.0
19.	श्री मनमोहन माथुर (रा. स.) कालाहांडी	5.0	3.0
20.	श्रीमति जयंती पटनायक (रा. स.) कटक	200.0	102.5
	राज्य का कुल	4600.0	3668.4

[हिन्दी]

हज हाउस का निर्माण

3218. श्री रिजवान जहीर खां : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ओखला, दिल्ली में हज हाउस के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि और चार करोड़ छियासठ लाख रुपए का अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों के लिए इस हज हाउस का निर्माण अब तक नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस हज हाउस का कब तक निर्माण कराने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओखला, नई दिल्ली में 5 एकड़ की भूमि उपलब्ध कराई है। हज हाउस के निर्माण के लिए 466.17 लाख रु. की प्रशासनिक संस्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 अगस्त, 1996 को जारी की गई थी।

(ख) और (ग) आबंटित भूमि दिल्ली मास्टर योजना के हरित पट्टे क्षेत्र में बताई गई है। अतः दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक भवन के नक्शे का अनुमोदन नहीं किया है।

[अनुवाद]

कृषि योग्य भूमि

3219. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति के अंतर्गत देश में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता के आकलन हेतु कोई अध्ययन शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा भूमि उपयोग के अनुमानित आंकड़े विवरण के रूप में संलग्न हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य भूमि उपयोग बोर्डों की सहायता के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत बहुत से राज्य भूमि उपयोग बोर्डों ने भूमि और मृदा का सर्वेक्षण कार्य संपन्न कर लिया है तथा राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूपरेखा के तहत भू–संसाधनों की सूची तैयार कर ली है। अन्य राज्य भूमि उपयोग बोर्ड भी इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं।

विवरण

भूमि उपयोग वर्गीकरण (मिलियन हेक्टे.)

	शीर्षक	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 प्र.	1994-95 अ.	सूचित क्षेत्र का प्रतिशत 1994-95
I.	भौगोलिक क्षेत्र						328.73					
II.	भूमि उपयोग सांख्यिकी (1 से 5) के लिए सूचित क्षेत्र	284.32	298.46	303.76	304.15	304.88	304.86	304.90	304.84	304.88	304.88	100.0
1.	वन	40.48	54.05	63.91	67.47	67.41	67.80	67.87	67.98	68.28	68.39	22.4
2.	कृषि के लिए उपलब्ध नहीं (क + ख)	47.52	50.75	44.64	39.62	40.96	40.48	40.74	40.91	40.90	41.28	13.6
(क)	गैर कृषि उपयोग के तहत क्षेत्र	9.36	14.84	16.48	19.66	21.26	21.09	21.47	21.87	22.21	22.51	7.4
(ख)	बंजर तथा गैर कल्चर योग्य क्षेत्र	38.16	35.91	28.16	19.96	19.70	19.39	19.27	19.04	18.69	18.77	6.2
3.	परती भूमि को छोड़कर अन्य गैर कृषित क्षेत्र (क + ख + ग)	49.45	37.64	35.06	32.31	30.20	30.22	30.05	29.40	29.07	29.08	9.6
(क)	स्थायी चरागाह तथा अन्य चराने योग्य भूमि	6.68	13.97	13.26	11.97	11.30	11.40	11.30	11.07	10.97	11.24	3.7
(ख)	विविध वृक्ष, फसलें एवं बागों जो कुल बुवाई क्षेत्र में शामिल नहीं है, के तहत भूमि	19.83	4.46	4.30	3.60	3.80	3.82	3.76	3.76	3.69	3.63	1.2
(ग)	कल्चर योग्य उपव्यय	22.94	19.21	17.50	16.74	15.10	15.00	14.99	14.57	14.41	14.21	4.7
4.	परती भूमि (क+ख)	28.12	22.82	19.88	24.75	23.97	23.36	24.61	23.83	24.01	23.30	7.6
(क)	वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त परती भूमि	17.44	11.18	8.76	9.92	10.27	9.66	9.94	9.68	9.63	9.77	3.2
(ख)	वर्तमान परती भूमि	10.68	11.64	11.12	14.83	13.70	13.70	14.67	14.15	14.38	13.53	4.4
5.	कुल बुवाई क्षेत्र (6+7)	118.75	133.20	140.27	140.00	142.34	143.00	141.63	142.72	142.42	142.82	46.8
6.	कुल पसल क्षेत्र (सकल फसल क्षेत्र)	131.89	152.77	165.79	172.63	182.27	185.74	182.24	185.70	186.60	188.15	
7	एक बार से अधिक बुवाई वाला क्षेत्र	13.14	19.57	25.52	32.63	39.93	42.74	40.61	42.98	44.18	45.33	
8.	फसल सघनता	111.07	114.69	118.19	123.31	128.05	129.89	128.67	130.10	134.00	131.70	
III.	कुल सिंचित क्षेत्र	20.85	24.66	31.10	38.72	46.70	47.78	49.87	50.30	51.34	53.00	
IV.	सकल सिंचित क्षेत्र	22.56	27.98	38.19	49.73	61.85	62.47	65.68	66.76	68.25	70.64	

*कुल बुवाई क्षेत्र से सकल फसल क्षेत्र को विभाजित करके फसल सघनता प्राप्त की जाती है।

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि सांख्यिकी पर एक नजर।

पानी की दरों को युक्ति संगत बनाना

3220. श्री संदीपान थोरात :

डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में कृषि कार्यों हेतु पानी की दरों में भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो समिति की अनुशंसाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न राज्यों में कृषि प्रयोजनों के लिए प्रभारित जल दरों में काफी अंतर है। राज्य–वार जल दरों के ब्यौरे विवरण–I के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने मौजूदा जल दरों की समीक्षा करने के लिए डॉ. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में अक्टूबर, 91 में सिंचाई जल मूल्य निर्धारण समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1992 में प्रस्तुत की। इसके पश्चात्, योजना आयोग ने समिति की रिपोर्ट की जांच करने और समिति की विभिन्न सिफारिशों पर की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देने के लिए दिसंबर, 1992 में अधिकारियों का एक दल गठित किया जिसमें वित्त, कृषि, जल संसाधन के केन्द्रीय मंत्रालय और नौ बड़े राज्यों के प्रतिनिधि हैं। अधिकारियों के दल ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 1994 में प्रस्तुत की, जिसे योजना आयोग ने स्वीकृत कर लिया है। वैद्यनाथन समिति और अधिकारियों के दल की मुख्य सिफारिशें विवरण—II पर हैं। चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है इसलिए अधिकारियों के दल की सिफारिशें और सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण संबंधी समिति की रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा विचार और अग्रिम कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

विवरण—I

भारत के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कृषि जल दरें

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	जल दरें (रुपये/हेक्टे.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	148.27 से 1235.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं
3.	असम	75.00 से 375.50
4.	बिहार	74.13 से 296.53
5.	गोवा	60.00 से 300.00
6.	गुजरात	25.00 से 830.00
7.	हरियाणा	29.66 से 148.66
8.	हिमाचल प्रदेश	6.86 से 41.09
9.	जम्मू और कश्मीर	7.71 से 289.12
10.	कर्नाटक	19.77 से 556.00
11.	केरल	17.00 से 99.00
12.	मध्य प्रदेश	14.83 से 296.53
13.	महाराष्ट्र	50.00 से 4875.00
14.	मणिपुर	22.50 से 75.00
15.	मेघालय	कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं
16.	मिजोरम	कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं
17.	नागालैंड	कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं
18.	उड़ीसा	25.00 से 465.00
19.	पंजाब	समाप्त कर दिया

1	2	3
20.	राजस्थान	19.77 से 143.32
21.	सिक्किम	कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं
22.	तमिलनाडु	18.53 से 61.78
23.	त्रिपुरा	अभी अधिसूचित नहीं किया गया
24.	उत्तर प्रदेश	20.00 से 474.00
25.	पश्चिम बंगाल	37.06 से 123.00
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं
27.	चंडीगढ़	कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं
28.	दादर एवं नगर हवेली	75.00 से 275.00
29.	दमन एवं दीव	200.00
30.	दिल्ली	4.22 से 237.00
31.	लक्षद्वीप	कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं
32.	पांडिचेरी	कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं

टिप्पणी : जल दरें सामान्यतः फसल, मौसम, सिंचाई के स्रोत, परियोजनाओं के प्रकार के अनुसार भिन्न–भिन्न होती हैं।

विवरण—II

(क) सिंचाई जल दरों के निर्धारण संबंधी वैद्यनाथन समिति की मुख्य सिफारिशें :

* प्रचालन और अनुरक्षण लागत तथा मूल्य ह्रास सहित पूंजी लागत पर ब्याज वसूल करने के लिए सिंचाई दरों में वृद्धि करना। यह वृद्धि चरणबद्ध रूप से प्राप्त की जानी है। राष्ट्रीय जल नीति में की गई परिकल्पना के अनुसार हमारा तत्काल उद्देश्य प्रचालन और अनुरक्षण लागत तथा पूंजी लागत तथा पूंजी लागत पर एक प्रतिशत ब्याज प्रभार वसूल करना होना चाहिये।
* वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के योजना प्रावधान का कम–से–कम 10 प्रतिशत आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए निर्धारित किया जाये।
* आस्थगित अनुरक्षण/विशेष मरम्मत के लिए संचित बकाया की वसूली वापिस ली जाये।
* जल दरों के आकलन और संकलन में सुधार।
* जल प्रभारों के सुधार के साथ–साथ सिंचाई प्रणालियों की बेहतर और सुधरी हुई गुणवत्ता प्रदान करने तथा यह सेवा प्रदान करने की लागत कम करने के लिए ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

नीति की पुनरीक्षा करने, विभिन्न घटकों के लिए अनुरक्षण लागत तथा स्टाफ लागतों के संबंध में मानदंड निर्धारित करने, इन मानदंडों के संबंध में वास्तविक व्यय का जायजा लेने और जल दरों आदि में संशोधन करने के लिए पैरामीटर तथा मानदंड निर्धारित करने के वास्ते राज्य स्तर पर सिंचाई एवं जल मूल्य निर्धारण बोर्ड गठित किया जाना चाहिये।

(ख) अधिकारियों के दल की मुख्य सिफारिशें :

* जल दरों को सेवा प्रभार के रूप में माना जाये न कि कर तथा राजस्व के रूप में। सिंचाई जल दरों में पूर्ण प्रचालन और अनुरक्षण लागत शामिल होनी चाहिये। यह वृद्धि क्रमबद्ध रूप से अर्थात् पांच वर्षों में प्राप्त वर्षों में प्राप्त की जानी है।
* टू टीयर शुल्क व्यवहार्य नहीं पाया गया इसके बदले में प्रत्येक राज्य की स्थिति के आधार पर समग्र रूप से वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई जल मूल्य निर्धारण संरचना के उपयुक्त गठन की सिफारिश की गई है।
* वैद्यनाथन समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें अधिकारियों के दल द्वारा आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गईं।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय मिशनों में वाणिज्य दूतावास

3221. श्री रामशकल : *क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय मिशनों में वाणिज्य दूतावास स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में इन वाणिज्य दूतावासों के कार्यनिष्पादन की कोई जानकारी हासिल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन वाणिज्य दूतावासों के कार्यनिष्पादन को संतोषजनक पाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार ने इन वाणिज्य दूतावासों की स्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारत सरकार ने विदेशों में 30 प्रधान कोंसलावास और 3 कोंसलावास स्थापित किए हैं। विदेशों में इस समय कार्यरत प्रधान कोंसलावासों और कोंसलावासों की अद्यतन सूची विवरण के रूप से संलग्न है।

(ग) और (घ) विदेशों में निर्यात संवर्द्धन सहित इन केन्द्रों के आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंधों के कार्य–निष्पादन की निगरानी एक सतत प्रक्रिया है। आर्थिक और वाणिज्यिक स्कन्ध विदेश और वाणिज्य दोनों मंत्रालयों को मासिक स्थिति रिपोर्ट, मासिक आर्थिक और वाणिज्यिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दोनों मंत्रालय इन केन्द्रों को सभी आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए वे इष्टतम योगदान दे सकें कि निर्यात संवर्द्धन की पहलकदमियां सार्थक सिद्ध हों।

(ङ) से (छ) इन केन्द्रों का कार्य–निष्पादन संतोषजनक पाया गया है। सरकार प्रशासनिक परिपत्रों, सरकारी आदेशों, आवधिक निरीक्षणों और लेखा–परीक्षा दलों, के माध्यम से विदेशों में उनके कार्यकरण का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करती है, वरिष्ठ अधिकारी, जो प्रधान कोंसलावासों और कोंसलावासों की यात्रा करते हैं, उनकी कार्य–प्रणाली की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके स्थापित किए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

विवरण

I. भारत के प्रधानं कोंसलावास (सी. जी. आई.)

क्रम सं.	*देश का नाम*	*मिशन का नाम*
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	सिडनी
2.	ब्राजील	साउ पाउलो
3.	कनाडा	टोरंटो
4.	–वही–	वैनकुवर
5.	चीन	शंघाई
6.	मिस्र	पोर्ट सईद
7.	जर्मनी	फ्रैंकफर्ट
8.	–वही–	हमबर्ग
9.	हांगकांग	हांगकांग
10.	इंडोनेशिया	मेडान
11.	इटली	मिलान
12.	जापान	ओसाका–कोबे
13.	पाकिस्तान	कराची (अस्थायी रूप से बंद)
14.	टियूनियन प्रायद्वीप	सेंट डेनिस
15.	रूस	सेंट पीटर्सबर्ग
16.	–वही–	व्लाडीवोस्टोक
17.	सऊदी अरब	जद्दाह
18.	दक्षिण अफ्रीका	जोहान्सबर्ग
19.	–वही–	डरबन
20.	स्विटजरलैंड	जेनेवा

1	2	3
21.	तंजानिया	जांजीबार
22.	टर्की	इस्तानबुल
23.	संयुक्त अरब अमीरात	दुबई
24.	यू. के.	बर्मिंघम
25.	–वही–	ग्लासको
26.	अमरीका	शिकागो
27.	–वही–	न्यूयार्क
28.	अमरीका	सान फ्रांसिस्को
29.	–वही–	ह्यूस्टन
30.	विएतनाम	ही चि–मिन्ह सिटी
II. भारत का कोंसलावास		
1.	ईरान	शिराज
2.	–वही–	जाहिदान
3.	थाईलैंड	चिंयागआई

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक इकाई

3222. श्री विजय गोयल : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों या फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली में निजी/सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) औद्योगिक नीति, 1991 के अनुसार उद्यमकर्ताओं द्वारा देश के किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना की जा सकती है जिसमें स्थापना स्थल संबंधी कोई बाधा नहीं है। सरकार की भूमिका केवल संवर्धनात्मक है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग से संबंधित सभी सूचनाओं के एक आधारभूत स्रोत के रूप में "भारत में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग गाइड" का वर्ष, 1999 का संस्करण प्रकाशित किया है। इसमें विनिर्माताओं की निर्देशिका, उत्पाद निर्देशिका, निर्यात के लिए उत्पाद निर्देशिका, उत्पादन तथा निर्यात के समयक्रम के अनुसार आंकड़े तथा राज्यों में इलेक्ट्रॉनिकी इकाइयां जैसी व्यापक रेंज की सूचना शामिल है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। दिल्ली सहित देश के किसी भी भाग में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के संसद सदस्यों को निधियों का आबंटन

3223. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के प्रत्येक संसद सदस्य को योजना के प्रारंभ से आज तक प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि स्वीकृत, आबंटित और जारी की गई;

(ख) निधियों के आबंटन में विलम्ब यदि कोई है; के क्या कारण हैं;

(ग) महाराष्ट्र के संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कार्यों का ब्यौरा क्या है जिस पर विचार किया गया और पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरा किया गया; और

(घ) महाराष्ट्र में कब तक कार्य पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) महाराष्ट्र के प्रत्येक संसद सदस्य को सांसद, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इसके आरंभ से अब तक जारी तथा स्वीकृत कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है। लोक सभा के मामले में निधियां निर्वाचन क्षेत्रवार जारी की जाती हैं।

(ख) अनुमोदित मानदंड के अनुसार 50 लाख रुपए से कम अस्वीकृत शेष दर्शाते हुए व्यय विवरण प्राप्त होने पर ही निधियां जारी की जा रही हैं।

(ग) और (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में किए गए कार्यों का मदवार ब्यौरा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है। ऐसे ब्यौरे संबंधित जिला कलक्टरों के पास उपलब्ध होते हैं।

विवरण—I

राज्य : महाराष्ट्र (13)

क्रम सं.	सांसद का नाम (12वीं लोक सभा) निर्वाचन क्षेत्र	1993–99 भारत सरकार द्वारा जारी (लाख रुपए)	स्वीकृत राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	श्री ई. वी. ए. एलियास बालासाहेब विखे पाटिल (लो. स.) अहमद नगर	450.0	400.0
2.	श्री अम्बेडकर प्रकाश यशवंत (लो. स.) अकोला	355.0	334.1
3.	श्री रामकृष्ण सूर्यमान गवई (लो. स.) अमरावती	455.0	359.3
4.	श्री रामकृष्ण बाबा पाटिल (लो. स.) औरंगाबाद	505.0	449.9
5.	श्री पवार शरदवन दा गोविंदराव (लो. स.) बारामती	450.0	397.7
6.	श्री पटेल प्रफुल मनोहरभाई (लो. स.) भंडारा	455.0	386.1
7.	श्री जयसिंह राव गायकवाड पाटिल (लो. स.) बीड	455.0	451.9
8.	श्री राम नाईक (लो. स.) मुम्बई, उत्तर	455.0	377.7
9.	श्री रामदत्त अघ्ठावले (लो. स.) मुम्बई उत्तर केन्द्रीय	505.0	476.5
10.	श्री गुरुदास कामत (लो. स.) मुम्बई उत्तर पूर्वी	455.0	374.7
11.	श्री मधुकर सरपोतदार (लो. स.) मुम्बई उत्तर पश्चिमी	455.0	389.4
12.	श्री देओरा मुरली (लो. स.) मुम्बई दक्षिण	455.0	378.7

1	2	3	4
13.	श्री मोहन विष्णु रावले (लो. स.) बुलधाना (अ. जा.)	455.0	365.4
14.	श्री वासनिक मुकुल बाल कृष्णा (लो. स.) बुलधाना (अ. जा.)	455.0	357.2
15.	श्री पुगलिया नरेशकुमार ए. आर. चुन्ना लाल (लो. स.) चंन्द्रपुर	455.0	399.5
16.	प्रो. जोगेन्द्र कावडे (लो. स.) चिमुर	355.0	266.1
17.	श्री नाम शंकर सरवाराम (लो. स.) दहानू (अ. ज. जा.)	505.0	505.0
18.	श्री डी. एस. अहिरे (लो. स.) धुले (अ. ज. जा.)	405.0	377.9
19.	श्री अन्ना साहेब एम. के. पाटिल (लो. स.) एरानडोल	455.0	380.2
20.	श्री सूर्यकांत पाटिल (लो. स.) हिंशोली	505.0	399.2
21.	श्री आवडे कलप्पा बाबू राव (लो. स.) इचालकरंजी	505.0	455.0
22.	डॉ. उल्हास वासुदेव पाटिल (लो. स.) जलगांव	455.0	367.9
23.	श्री फवार उत्तम सिंह राजधर सिंह (लो. स.) जलाना	505.0	436.5
24.	श्री चावन पृथ्वीराज जे दाजीसाहेब (लो. स.) कराड	455.0	393.5
25.	श्री मोहोल अशोक नागदेवराव (लो. स.) खेड	405.0	405.0
26.	श्री रामसेठ ठाकुर (लो. स.) कुलाना	455.0	523.9
27.	श्री मंडलिक सदाशिव राव दादोवा (लो. स.) कोल्हापुर	505.0	499.2

1	2	3	4
28.	श्री तानपुरे प्रसाद बाबूराव (लो. स.) कोपरगांव	455.0	385.8
29.	श्री पाटिल शिवराज विश्वनाथ (लो. स.) लातूर	455.0	374.6
30.	श्री काइन डोले जेमारू मंगाल (लो. स.) मालगांव (अ. ज. जा.)	505.0	434.9
31.	श्री विलास मुत्तेम्वार (लो. स.) नागपुर	405.0	329.8
32.	श्री पाटिल भास्कर राव बापूराव (लो. स.) नांदेड़	505.0	455.0
33.	श्री गावित मानिकराव होडल्या (लो. स.) नांदुरवार (अ. ज. जा.)	505.0	439.4
34.	श्री पाटिल माचव बलवंत (लो. स.) नासिक	455.0	408.4
35.	श्री अरविंद तुलसीराम कामले (लो. स.) उस्मानाबाद (अ. जा.)	505.0	453.0
36.	श्री थोरात संदीपन भगवान (लो. स.) पंचारपुर (अ. जा.)	505.0	409.1
37.	श्री वारफुडकर सुरेशराव झंवादसराव (लो. स.) परभानी	505.0	452.9
38.	श्री तुपे विट्ठल बाबू राव (लो. स.) पुणे	455.0	356.4
39.	श्री सुरेश प्रभु (लो. स.) राजापुर	405.0	363.0
40.	श्री रानी चित्रलेखा टी. भोसले (लो. स.) रामटेक	305.0	302.7
41.	श्री अनंत गंगाराम गीते (लो. स.) रत्नागिरि	455.0	398.1
42.	पाटिल मदन विश्वनाथ (लो. स.) सांगली	455.0	497.4

1	2	3	4
43.	श्री अभय सिंह शंभुमहमराज भोसले (लो. स.) सतारा	505.0	505.0
44.	श्री शिंदे सुशीलकुमार ए. आर. शंभुजी राव (लो. स.) सोलापुर	455.0	396.2
45.	श्री परांजपे प्रकाश विश्वनाथ (लो. स.) थाणे	505.0	407.0
46.	श्री दत्ता मेघे (लो. स.) वरधा	455.0	373.3
47.	श्री नाईक सुधाकरराव राजू सिंह (लो. स.) वाशिम	355.0	299.6
48.	श्री उत्तमराव देवराव पाटिल (लो. स.) यावतमल	455.0	357.6
49.	ले. जन. (अवकाशप्राप्त) एन. फोले (नामित) (लो. स.) नामित	50.0	ला. न.
	राज्यों का योग	21980.0	19306.7

विवरण—II

राज्य : महाराष्ट्र (13) राज्य सभा

क्रम सं.	सांसद का नाम जिला	1993–99 भारत सरकार द्वारा जारी (लाख रुपए)	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
संसद के वर्तमान पदस्थ सदस्य			
1.	श्री गोविंदराव आदिक (रा. स.) अहमदनगर	505.0	425.0
2.	श्री सुरेश कलमाढ़ी (रा. स.) पुणे	255.0	204.4
3.	श्री वी. एन. गाडगिल (रा. स.) पुणे	355.0	384.4
4.	डॉ. गोपालराव विठ्ठल राव पाटिल (रा. स.) लादूर	505.0	434.9

1	2	3	4
5.	डॉ. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला (रा. स.) पुणे	400.0	353.7
6.	श्री प्रमोद महाजन (रा. स.) मुंबई	50.0	लागू नहीं
7.	श्री सतीश प्रधान (रा. स.) थाणे	450.0	449.5
8.	श्री राम जेठमलानी (रा. स.) मुंबई सिटी	455.0	364.5
9.	कुमारी सरोज खापरडे (रा. स.) नागपुर	305.0	200.5
10.	श्री निरूपम संजय (रा. स.) नागपुर	250.0	160.9
11.	श्रीमति शबाना आजमी (रा. स.) मुंबई सिटी	100.0	44.3
12.	श्री विजय दर्दा (रा. स.) यवतमल	50.0	लागू नहीं
13.	श्री केशवानी सुरेश अटलराय (रा. स.) मुंबई सिटी	150.0	62.1
14.	श्री वेदप्रकाश पी. गोयल (रा. स.) रायगढ़	250.0	159.9
15.	श्री एस. बी. चौहाण (रा. स.) नानदेड़	505.0	440.8
16.	श्री मुकेश आर. पटेल (रा. स.) धुले	300.0	208.2
17.	श्री सूर्यभान रघुनाथ बहादने (रा. स.) अहमदनगर	250.0	200.0
18.	श्री आदिक नारायन शिरोडकर (रा. स.) रांयगढ़	100.0	40.8
19.	श्री एन. के. पी. साल्वे (रा. स.) नागपुर	405.0	349.6

1 2	3	4	
संसद के पूर्व राज्य सभा सदस्य			
20.	श्री गुलाम नबी आजाद (रा. स.) अकोला	200.0	172.4
21.	डॉ. बापू कलदत्ते (रा. स.) लातूर	205.0	205.0
22.	डॉ. श्रीकांत रामचंद्र जिचकर (रा. स.) नागपुर	463.5	374.7
23.	श्री सुशील कुमार सम्बाजीराव शिंदे (रा. स.) शोलापुर	405.0	405.8
24.	श्री जगेश देसाई (रा. स.) मुंबई सिटी	205.0	236.3
25.	श्री शिवाजीराव जी गिरिधर पाटील (रा. स.) धुले	405.0	350.9
26.	श्रीमति चंडिका ए. जैन (रा. स.) मुंबई सिटी	205.0	204.6
27.	श्री वीरेन जे. शाह (रा. स.) भंद्रा	205.0	190.1
28.	श्री आर. के. करंजिया (रा. स.) पुणे	300.0	277.4
29.	श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (रा. स.) अकोला	250.0	247.7
30.	श्री राम कापसे (रा. स.) थाणे	200.0	194.9
31.	श्री विश्वजीत प्रीतिगित सिंह (रा. स.) मुंबई सिटी	5.0	5.0
32.	श्री बाला साहेब भाने (रा. स.) कोल्हापुर	5.0	2.7
33.	अनाबंटित–आर. (रा. स.)	5.0	लागू नहीं
34.	श्री प्रमोद महाजन बीड	205.0	205.0
	राज्यों का योग	8903.5	7475.3

[अनुवाद]

यू. एन. डी. पी. की रिपोर्ट

3224. प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्रीमती भावना कर्दम दवे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव विकास संबंधी यू. एन. डी. पी. की हाल की रिपोर्ट में भारत मानव विकास सूचकांक में विश्व के राष्ट्रों में सबसे नीचे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मानव विकास सूचकांक में देश को विश्व स्तर पर लाने के लिये सरकार कौन–सी नीति अपनाने के बारे में विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) यू. एन. डी. पी. मानव विकास रिपोर्ट 1998, जिसमें मानव विकास सूचकांक (एच. डी. आई.) की संगणना की गई है, में कुल 174 देशों में से भारत का स्थान 139वां है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना, सामाजिक क्षेत्रकों के महत्त्व और गरीबी उन्मूलन पर बल देते हुए, मानव के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर देती है। योजना, अन्य बातों के साथ–साथ (1) पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने, (2) स्थिर कीमतों सहित अर्थव्यवस्था की विकास दर को त्वरित करने (3) सभी के लिए, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए, भोजन और पोषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और (4) सभी को एक समयबद्ध रूप में सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, आश्रय और सम्बद्धता की न्यूनतम मूल सेवाएं उपलब्ध कराने पर, ध्यान केन्द्रित करेगी। ये लक्ष्य, एच. डी. आई. में शामिल मानव विकास के आयामों पर प्रत्यक्ष रूप से बल देते हैं। नौवीं योजना की विकास नीति इन लक्ष्यों की अपेक्षाओं के अनुकूल बनाई गई है।

चावल उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी

3225. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चावल के उत्पादन को बेहतर बनाने हेतु प्रौद्योगिकी के लिए संधि करने के संबंध में किसी केन्द्रीय प्रतिनिधिमंडल ने आस्ट्रेलिया और चीन का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिनिधिमंडल द्वारा विभिन्न किस्म के खाद्यान्नों के पैकेजिंग और उत्पादन के लिए चावल उत्पादक संघ का गठन किये जाने के संबंध में दल द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत में चावल उत्पादन में सुधार लाने हेतु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गठबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का कोई भी केन्द्रीय प्रतिनिधिमंडल आस्ट्रेलिया और चीन नहीं गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तानी ग्रुप द्वारा भारत के समर्थन की मांग

3226. श्री ए. सी. जोस : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी ग्रुप ने भारत का समर्थन मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मांग जम्मू कश्मीर शांति समिति की ओर से आई है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस पेशकश का स्वागत किया है और उक्त ग्रुप की मांग को स्वीकार करने से सहमत है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तानी ग्रुप की मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसी प्रेस रिपोर्ट देखी हैं जिनमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आस्थानी जम्मू और कश्मीर शान्ति समिति ने भारत से समर्थन मांगा है।

(ग) और (घ) सरकार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों की दुर्दशा और इस क्षेत्र, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का अंग है, पर पाकिस्तान के अवैध और बलपूर्वक कब्जे बने रहने के विरोध में वहां के लोगों के बीच मौजूद जन–भावनाओं की जानकारी है। जम्मू और कश्मीर पर 17 अक्तूबर, 1998 को हुई बातचीत के दौरान जो कि भारत–पाकिस्तान संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के भाग के रूप में हुई थी, इस मसले को भारतीय पक्ष द्वारा उठाया गया था।

प्लास्टिकल्चर

3227. श्री सुरेश कुरूप :

श्री आर. एस. गवई :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्लास्टिकल्चर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य–वार प्लास्टिकल्चर के अंतर्गत क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेन्ट्रल ट्यूबर क्रोप्स रिसर्च इंस्टीच्यूट द्वारा

बायोडिग्रेडेबल थर्मो प्लास्टिक्स का विकास किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना से 250.00 करोड़ रु. के परिव्यय से 'कृषि में प्लास्टिक का उपयोग' संबंधी केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत ड्रिप संस्थापन, ड्रिप प्रदर्शन ग्रीन हाउसों का निर्माण तथा प्लास्टिक मल्चिंग जैसे प्लास्टीकल्चर उपयोग के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 1996–97 के दौरान छायाकरण जालों शेडिंग (नैट), पक्षीरोधी जालों, संकरी सुरंगों, ओला रोधी जालों जैसे कुछ अन्य प्लास्टीकल्चर उपयोग प्रारंभ किए गए। कुल 81.00 करोड़ रु. के परिव्यय से स्कीम को वर्ष 1997–98 में जारी रखा गया था। इस स्कीम को वर्ष 1998–99 में 110.00 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ जारी रखा जा रहा है।

(ग) आठवीं योजना के अंत तक विभिन्न प्लास्टीकल्चर उपयोगों के तहत शामिल क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय कन्दमूल फसल अनुसंधान संस्थान ने इजेक्शन मोल्डिंग तथा फिल्म ग्रेड थर्मोप्लास्टिक्स के लिए पोलिथिन में 40 प्रतिशत तक स्टार्च मिलाने की एक विधि विकसित की है। यह स्टार्च टैपियोका (कॅसावा) या कॉर्न (मक्का) से प्राप्त किया जा सकता है। कम घनत्व वाली पोलिथिन (एल. डी. पी. ई.) स्थिरीकरण एजेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। अन्य तत्त्वों में श्लेषीकरण, प्लास्टीकरण एवं संयोजन एजेंट शामिल है। इस प्रकार से विकसित प्लास्टिक फिल्मों का चार माह से 5 वर्ष की अवधि में बायोडिग्रेड के लिए प्रेक्षण किया जाता है जो संयोजन, स्टार्च की मात्रा तथा त्वरित्र (एक्सेलरेटर) की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर निर्भर करता है।

विवरण

(है. क्षेत्र में)

राज्य	ड्रिप संस्थापन	ड्रिप प्रदर्शन	प्लास्टिक मल्चिंग	ग्रीन हाउस
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	13685.0	28.0	38.0	0.7
अरुणाचल प्रदेश	75.0	9.0	0.0	1.5
असम	38.0	0.0	0.0	0.0
बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0
गोवा	277.0	3.0	7.0	0.8
गुजरात	4449.0	42.0	0.7	1.1
हरियाणा	1404.0	54.0	161.0	2.9
हिमाचल प्रदेश	84.8	8.0	27.0	2.8
जम्मू व कश्मीर	33.0	126.0	326.0	136.6
कर्नाटक	31328.0	235.7	320.0	4.1
केरल	4672.0	38.0	13.0	3.5
मध्य प्रदेश	2283.0	162.0	295.7	16.7
महाराष्ट्र	45734.4	652.6	261.2	12.4
मणिपुर	177.0	26.0	141.2	3.6
मेघालय	16.0	8.0	124.0	1.4

1	2	3	4	5
मिजोरम	0.0	10.0	174.0	8.7
नागालैण्ड	250.0	87.0	221.5	10.0
उड़ीसा	1748.0	125.0	0.0	0.2
पंजाब	1034.0	7.0	23.0	2.0
राजस्थान	1706.01	71.5	105.0	0.1
सिक्किम	98.0	6.0	87.0	4.0
तमिलनाडु	10563.2	14.9	386.0	2.6
त्रिपुरा	0.0	5.0	9.0	0.0
उत्तर प्रदेश	608.6	136.0	0.0	1.2
पश्चिम बंगाल	2.0	0.0	0.0	0.0
दादरा व नागर हवेली	3.6	0.0	0.0	0.0
दमन और दीव	23.7	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	4.6	0.0	0.0	0.1
लक्ष्यद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0
चण्डीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0
अंडमान निकोबार	0.0	0.0	0.0	0.0
पांडिचेरी	60.0	2.0	40.0	0.4
योग	128443.9	1870.6	3260.3	211.4

लाइट वाटर रिएक्टर

3228. श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा :

श्री एच. पी. सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कार्यरत प्रत्येक लाइट वाटर रिएक्टर का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और लाइट वाटर रिएक्टर स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 160 मेगावाट क्षमता वाले दो हलका पानी किस्म के रिएक्टर (बायलिंग वाटर किस्म के) महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पर काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार तथा भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच नवम्बर, 1988 में एक अन्तर्सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस अन्तर्सरकारी करार के अन्तर्गत, सोवियत संगठनों द्वारा, तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थान मर 2×1000 मेगावाट के. वी. वी. ई. आर. किस्म (हलका पानी रिएक्टर किस्म) के परमाणु बिजलीघर

का निर्माण "तैयार करके चलाने हेतु सौंपने" के आधार पर करने की व्यवस्था थी। अगस्त, 1991 में, भूतपूर्व सोवियत संघ में हुए राजनैतिक परिवर्तनों की वजह से गतिविधियों में ठहराव आ गया था किन्तु बातचीत जारी रही है। निरन्तर बातचीत के परिणामस्वरूप, इस परियोजना का क्रियान्वयन "तैयार करके चलाने हेतु सौंपने" के आधार पर करने की बजाय तकनीकी सहकार के आधार पर करने के लिए संशोधित शर्तों को शामिल करने हेतु भारत और रूसी परिसंघ के बीच, सन् 1988 के अन्तर्सरकारी करार के "अनुपूरक" पर 21.6.98 को हस्ताक्षर किए गए। बाद में, रूसी पक्ष द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने संबंधी एक अनुबंध पर 20.7.98 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

तिब्बत मामला

3229. श्री दत्ता मेघे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन के साथ हुई वार्ता के दौरान तिब्बत के मामले पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और चीन लोक गणराज्य के विदेशी मामलों के मंत्रालय के बीच संपन्न सहयोग संबंधी प्रोतोकोल की रूपरेखा में भारत और चीन के बीच विदेश मंत्रालय स्तर की पहली परामर्शी बैठक 25–26 फरवरी, 1999 को बीजिंग में हुई। चीनी पक्ष ने तिब्बत के संदर्भ में हाल की गतिविधियों का जिक्र किया। हमने इस विषय पर अपनी अटल, सर्वविदित स्थिति को दोहराया।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया

3230. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन को सरल और सुव्यवस्थित बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि और खर्च की गई राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को 17.2.1997 को संशोधित किया गया था।

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1998–99 के दौरान जारी राशि की तुलना में व्यय की गई राशि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1998–99 के दौरान 12.3.99 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जारी निधियों का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	राज्यों का नाम	जारी की गई कुल निधियां (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	33.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.5
3.	असम	6.5
4.	बिहार	41.0
5.	गोवा	1.0
6.	गुजरात	24.5
7.	हरियाणा	7.5
8.	हिमाचल प्रदेश	5.0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3.0
10.	कर्नाटक	23.5
11.	केरल	12.5
12.	मध्य प्रदेश	39.5
13.	महाराष्ट्र	37.5
14.	मणिपुर	3.0
15.	मेघालय	1.0
16.	मिजोरम	1.0
17.	नागालैण्ड	2.0
18.	उड़ीसा	16.5
19.	पंजाब	7.5
20.	राजस्थान	20.5
21.	सिक्किम	1.0
22.	तमिलनाडु	35.5
23.	त्रिपुरा	1.0

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	76.5
25.	पश्चिम बंगाल	8.5
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.0
27.	चंडीगढ़	0.5
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0.5
29.	दमन एवं दीव	0.5
30.	दिल्ली	7.5
31.	लक्ष्यद्वीप	0.0
32.	पांडिचेरी	0.0
	कुल	419.5

विश्व बैंक सहायता

3231. **श्री रामचन्द्र बैंदा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 के दौरान विश्व बैंक द्वारा राज्यों में कृषि विकास के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उससे क्या मुख्य लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में कोई शर्त रखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) दो परियोजनाएं हैं, नामतः समेकित पनधारा विकास परियोजना, चरण–II हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित है तथा उड़ीसा ग्रामीण विकास परियोजना उड़ीसा राज्य में क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित है। यह परियोजना वर्ष 1999–2000 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक के विचाराधीन है।

ये परियोजनाएं इन राज्यों में कृषि, अवसंरचना और ग्रामीण विकास के लिए होगी। विश्व बैंक की सहायता की विस्तृत शर्तें विश्व बैंक के साथ विचार–विमर्श और वार्ता के बाद सामने आएंगी।

चंदन की लकड़ी का घोटाला

3232. **डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरूपत्तूर में चंदन की लकड़ी के तस्करी के मामले और कोडियाकुलम पुलिस अत्याचार मामले में सी. बी. आई. द्वारा जांच के आदेश दे दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सी. बी. आई. द्वारा की जा रही जांच किस चरण में है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरक्षित वन, तिरूपत्तूर क्षेत्र से चंदन की लकड़ी की आरोपित तस्करी के बारे में मद्रास उच्च–न्यायालय के आदेश पर नियमित मामला संख्या 20 (ए)/98–ए. सी. बी. चेन्नई, दर्ज किया। तमिलनाडु–सरकार के अनुरोध पर, कोडियकुलम गांव में पुलिस के आरोपित अत्याचार के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो द्वारा दो नियमित मामले संख्या आर. सी. 9 (एस)/96, एस.सी.बी. तथा 10 (एस)/96, एस.सी.बी. चेन्नई दर्ज किए गए। इन तीनों मामलों में अन्वेषण किया जा रहा है और इन्हें कानून के अनुसार निबटाया जाएगा।

बीजों की उपलब्धता

3233. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज परियोजना–3 (एन. एस. पी.–3) के अन्तर्गत बीजों की उपलब्धता तथा विकास के लिए राज्य बीज निगम को कोई वित्तीय सहायता मुहैया करायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम की देश में और बीज परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित करने की योजना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय बीज परियोजना–3 के तहत वर्ष 1995–96 से 1997–98 के दौरान विभिन्न राज्य बीज निगमों को प्रदान की गयी सहायता विषयक विवरण।

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य बीज निगम का नाम	निर्मुक्त निधियां 1995–96	1996–97	1997–98
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बीज निगम, हैदाराबाद।	219.60	107.64	—
2.	गुजरात राज्य बीज निगम, गांधीनगर।	30.00	4.00	—
3.	कर्नाटक राज्य बीज निगम, बंगलौर।	82.67	—	—
4.	महाराष्ट्र राज्य बीज निगम, अकोला।	9.00	223.00	—
5.	मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, भोपाल	85.00	313.00	—
6.	उड़ीसा राज्य बीज निगम, भुवनेश्वर।	—	348.00	—
7.	राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर।	—	280.00	—
8.	हरियाणा राज्य बीज निगम, चण्डीगढ़।	19.50	—	—
9.	असम बीज निगम, गौहाटी।	—	714.80	100.00
	योग	445.77	1990.44	100.00

[हिन्दी]

बीजों के लिए ऋण

3234. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को बीजों और उर्वरकों इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विश्व बैंक से निकट भविष्य में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। हालांकि ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले फसल ऋण के दो घटक यथा 'क' तथा 'ख' हैं। इनमें से 'ख' उर्वरक और बीज समेत आदानों के रूप में किये जाने वाले वितरण से संबंधित है।

(ख) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उद्‌वहन सिंचाई प्रणाली

3235. श्री बी. एम. मेनसिंकाई : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार, कर्नाटक राज्य में किसी उद्‌वहन सिंचाई प्रणाली को वित्तपोषित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कर्नाटक सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव हाल ही में केन्द्र सरकार के पास भेजा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जल संसाधन मंत्रालय कर्नाटक की किसी लिफ्ट सिंचाई स्कीम का वित्तपोषण नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र की स्थापना

3236. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई. सी. ए. आर. ने देश में प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य–वार कितने केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि जारी करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (ए. टी. आई. सी.) स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि निर्णय लेने और कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान संस्थानों की विभिन्न यूनिटों को किसानों के साथ जोड़कर एक ही स्थान पर (सिंगल–विंडो) सहायता प्रणाली उपलब्ध कराई जा सके।

(ख) चुने हुए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भा. कृ. अ. प. के संस्थानों में चालीस कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 1999–2000 के लिए 352.50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

विवरण

देश में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों का राज्य–वार वितरण

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	चरण–I	चरण–II	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	1	–	1
3.	असम	1	–	1
4.	बिहार	1	–	1
5.	दिल्ली	1	–	1
6.	गुजरात	1	–	1
7.	हरियाणा	2	–	2
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1	3
9.	कर्नाटक	2	1	3
10.	केरल	2	3	5
11.	मध्य प्रदेश	–	3	3
12.	महाराष्ट्र	1	4	5
13.	मेघालय	–	1	1
14.	उड़ीसा	–	2	2
15.	पंजाब	1	–	1
16.	राजस्थान	1	1	2
17.	तमिलनाडु	1	1	2
18.	उत्तर प्रदेश	3	1	4
19.	पश्चिम बंगाल	–	1	1
	कुल	20	20	40

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा निधि का उपयोग

3237. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1997–98 के लिए योजना और गैर–योजना बजट में प्रदान की गई निधियों का पूरा–पूरा प्रयोग दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1998–99 के लिए योजना और गैर–योजना बजट में प्रदान की गई निधियों का प्रयोग भी पूर्णरूपेण किए जाने की संभावना नहीं है; और

(घ) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1998–99 के दौरान दोनों शीर्षों के अंतर्गत निधियों का पूर्णरूपेण उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) 1997–98 के दौरान एक करोड़ रुपए के योजना बजट प्रावधान के तहत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सिविल तथा बिजली कार्यों को पूरा करने के लिए 58 लाख रुपए प्रदान किए गए थे तथा शेष 42 लाख रुपए में से 41.54 लाख रुपए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च किए गए थे।

गैर–योजना के तहत, 1997–98 के दौरान 158 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे, जिसमें से 156.20 करोड़ रुपए वास्तव में खर्च हुए थे। दुग्ध आपूर्तिकर्त्ताओं से मार्च, 1998 के अंतिम सप्ताह के कुछ बिल 31.3.1998 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए खर्च नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) दिल्ली दुग्ध योजना को योजना तथा गैर–योजना के तहत प्रदान की गई धनराशि का उपयोग होने की संभावना है।

खरीफ फसल का उत्पादन

3238. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान खरीफ फसल के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खरीफ फसलों का कुल अनुमानित उत्पादन क्या है;

(घ) किन–किन क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है और गत दो वर्षों के दौरान कुल कितना अनुदान दिया गया है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान वस्तुतः किसानों को दिया जाए, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, हां। खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों एवं चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) कृषि विकास के लिए फसल उत्पादन, बागवानी, कृषि मशीनरी/उपकरणों, पौध संरक्षण आदि के संबंध में केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वर्ष 1996–97 व 1997–98 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को क्रमशः 908.76 करोड़ रुपये और 857.29 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(ङ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे स्कीमों का प्रभावी तरीकों से कार्यान्वयन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सहायता का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए इसे मुहैया कराया गया है।

विवरण

वर्ष 1998–99 के लिए खरीफ फसलों का उत्पादन–लक्ष्य एवं अनुमानित उत्पादन

(मिलियन मी. टन/मिलियन गांठें)

फसल	लक्ष्य	अनुमानित उत्पादन
चावल	73.20	70.23
ज्वार	7.00	5.33
बाजरा	7.00	6.50
रागी	2.50	2.30
छोटे कदन्न	0.80	0.67
मक्का	10.50	8.41
दलहन	6.10	5.26
तिलहन	15.90	15.10
कपास*	14.80	14.01
पटसन एवं मेस्ता**	9.75	9.28
गन्ना	300.00	289.71

* 170 कि.ग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठें

** 180 कि.ग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठें

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत का उत्पादन

3239. श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :

श्री यू. वी. कृष्णमराजु :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने परमाणु विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक इकाई द्वारा विद्युत का कितना उत्पादन किया गया;

(ग) क्या इन संयंत्रों की स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करके विद्युत का और अधिक उत्पादन करने की संभाव्यताओं का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) देश में काम कर रहे परमाणु विद्युत संयंत्रों की संख्या और चालू वित्त वर्ष में जनवरी, 1999 तक प्रत्येक द्वारा उत्पादित बिजली का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

बिजलीघर का नाम तथा अवस्थिति	यूनिट	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन–मिलियन यूनिट 98–99 (जनवरी, 99 तक)
तारापुर परमाणु	टी. ए. पी. एस.–1	160	1073
बिजलीघर, महाराष्ट्र	टी. ए. पी. एस.–2	160	767
राजस्थान परमाणु	आर. ए. पी. एस.–1	100	663
बिजलीघर, राजस्थान	आर. ए. पी. एस.–2	200	733
मद्रास परमाणु	एम. ए. पी. एस.–1	170	884
बिजलीघर, तमिलनाडु	एम. ए. पी. एस.–2	170	1018
नरोरा परमाणु	एन. ए. पी. एस.–1	220	1258
बिजलीघर, उत्तर प्रदेश	एन. ए. पी. एस.–2	220	1192
ककरापार परमाणु	के. ए. पी. एस.–1	220	1088
बिजलीघर, गुजरात	के. ए. पी. एस.–2	220	1223

(ग) जी, हां।

(घ) परमाणु विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए, स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए किए गए प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) अनुकूलन मानीटरन और निवारन तथा भविष्यसूचक अनुरक्षण को सुदृढ़ करना; (ii) आउटेज प्रबन्धन को बेहतर बनाना; (iii) अनुरक्षण तथा परिचालन स्टॉफ के लिए गहन प्रशिक्षण विशेषकर, सिमुलेटरों के उपयोग आदि के साथ; (iv) ग्रिड के लिए आवृत्ति नियंत्रण को बेहतर बनाने के वास्ते क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के साथ प्रभावी समन्वय–कार्य तथा (v) अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के माध्यम से तकनीकी जानकारी तथा अनुभव का आदान–प्रदान।

पीपॅल प्लानिंग स्कीम

3240. श्री बासवराज पाटील सेडाम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीपॅल प्लानिंग स्कीम (जनकीय आसुथनम) को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा केरल सरकार को कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस योजना के क्रियान्वयन में हुए व्यापक भ्रष्टाचार का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) योजना आयोग, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केरल के स्थानीय निकायों (जन आयोजना) हेतु 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय पर सहमत हो गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पाक जेलों में मछुआरे

3241. श्री एस. एस. ओवेसी :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

श्री मित्रसेन यादव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान द्वारा कितने भारतीय मछुआरों का पकड़ा गया तथा जेलों में बंद किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा कितने पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा गया तथा जेलों में बंद किया गया;

(ग) प्रत्येक देश में कितने मछुआरों के मरने की सूचना प्राप्त हुई और उसके लिए उन्होंने क्या कारण बताए;

(घ) क्या भारत पाकिस्तान एक दूसरे देश के मछुआरे को छोड़ने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) मार्च, 1996 से 343 भारतीय मछुआरे पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये थे और 214 पाकिस्तानी मछुआरे भारतीय प्राधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए थे।

(ग) मार्च 1996 के बाद से 4 भारतीय मछुआरों और 3 पाकिस्तानी मछुआरों की एक–दूसरे की हिरासत में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी।

(घ) और (ङ) 5–6 मार्च, 1999 को इस्लामाबाद में भारत सरकार के गृह मंत्रालय और पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुए विचार–विमर्श के दौरान इस बात पर सहमति हुई है कि दोनों पक्ष इस समय अपनी हिरासत में रखे गए मछुआरों को एक माह के अंदर रिहा कर देंगे। इस पर भी सहमति हुई कि जो मछुआरे अनायास ही एक–दूसरे के जल क्षेत्र में घुस जाते हैं उन्हें आवश्यक जांच पूरी हो जाने पर तथा यात्रा दस्तावेजों की उपलब्धता के आधार पर उनकी नौकाओं सहित तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए।

स्वीकृति हेतु परियोजनाएं

3242. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास वर्ष 1997 के उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग के कितने प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) कोई निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर वरिष्ठ पद

3243. श्री पी. शंकरन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ वरिष्ठ पदों के लिए चयन संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन पदों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर करने के लिए कुछ और वरिष्ठ पदों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कदम से संघ लोक सेवा आयोग में रोष उत्पन्न हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक में राष्ट्रपति को संघ–लोक–सेवा–आयोग के कार्य–क्षेत्र से मुक्त रखे जाने वाले पदों के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस खंड के अन्तर्गत बनाए गए सभी विनियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं और ये विनियम ऐसे परिवर्तनों के अधीन हैं जो संसद के दोनों सदन निरसन अथवा संशोधन के जरिए करें। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों (शक्तियों) का प्रयोग करते हुए, 1985 से, 1334 पद, संघ–लोक–सेवा–आयोग के कार्य–क्षेत्र से मुक्त रखे गए हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक विकास–विभाग के अधीन एकस्व (पेटेंट) कार्यालय में कुछ पद उपर्युक्त आयोग के कार्य–क्षेत्र से मुक्त रखने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संवैधानिक उपबंधों में राष्ट्रपति को कोई भी पद उपर्युक्त आयोग के कार्य–क्षेत्र से मुक्त रखने का अधिकार प्रदान किया गया है।

सियाचिन का मामला

3244. श्री चमन लाल गुप्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौर में प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सियाचीन मामले पर चर्चा हुई थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कितने व्यक्ति मारे गये हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान इस क्षेत्र में युद्ध विराम का सम्मान नहीं कर रहा है; और

(घ) सियाचिन मामले पर लाहौर में हुई इस चर्चा के दौरान क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1996–98 के दौरान इस क्षेत्र में कुल अट्ठाईस (28) थलसेना के कार्मिक मारे गए।

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त वार्ता के एक भाग के रूप में 6 नवंबर, 1998 को सियाचिन के संबंध में हुई बातचीत के दौरान विश्वास के वातावरण की दिशा में पहले कदम के रूप में भारत ने सियाचीन क्षेत्र में युद्ध–विराम का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3245. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक दी गई धनराशि का वर्ष--वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1997–98 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का वर्ष–वार ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	जारी की गई निधियां (लाख रुपए में)
1995–96	2204.13
1996–97	2022.60
1997–98	3057.83

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान फील्ड चैनलों, फील्ड नालियों और वाराबंदी क्रियाकलापों संबंधी निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्षेत्र हजार हेक्टेयर में

वर्ष	फील्ड चैनल		फील्ड नालियां		वाराबंदी	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1995–96	75.00	117.08	49.66	39.24	300.00	198.42
1996–97	121.00	126.00	65.42	53.77	225.00	205.79
1997–98	99.63	112.82	58.45	45.64	155.00	170.26

[हिन्दी]

बारगी बांध

3246. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बारगी बांध के विस्थापितों ने बांध की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में धरना दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के दृष्टिकोण के साथ–साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा जल संसाधन मंत्रालय को ऐसे किसी भी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

फसल खराब होना

3247. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने फसलों को हुई क्षति का आकलन करने हेतु राज्यों में कोई केन्द्रीय दल भेजा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में किसानों को हुए नुकसानों के मद्देनजर उन्हें कोई राहत/सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्राकृतिक आपदाओं (फसलों को होने वाले नुकसान सहित) के आने पर हुए नुकसान के समय आपदा राहत निधि के आबंटन का उपयोग करके राहत एवं पुनर्वास उपाय करना प्रथमतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। सभी राज्य सरकारों को वर्ष 1998–99 के लिए आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश की समस्त धनराशि, जो 996.11 करोड़ रुपये है, पहले ही जारी कर दी गई है।

आपदा राहत निधि के अलावा, गंभीर किस्म की आपदाएं आने पर राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से भी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने दिनांक 15.3.1999 को आयोजित बैठक में राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से सहायता के बारे में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया और कुल 497.10 करोड़ रुपये की सहायता के लिए मंजूरी दी।

गन्ने का खरीद मूल्य

3248. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादकों ने कृषि आदानों के बढ़ते मूल्यों को देखते हुए गन्ने का खरीद मूल्य प्रति क्विंटल एक सौ रुपए निर्धारित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, न कि गन्ने का प्रापण मूल्य। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत मूलभूत वसूली पर 52.70 रुपये प्रति क्विंटल पहले ही निर्धारित कर दिया है।

[अनुवाद]

यूरिया पर राजसहायता का बिल

3249. श्री यू. वी. कृष्णमराजू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष यूरिया के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के बावजूद राजसहायता बिल पर संभवतः कम प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने आम आदमी पर कोई प्रभाव डाले बिना यूरिया पर से राजसहायता हटाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) यूरिया का विक्रय मूल्य दिनांक 29.1.1999 से 3660 रुपये प्रति मीटरी टन से बढ़कर 4000 रुपये प्रति मीटरी टन कर दिया गया जिससे इसमें मात्र 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यूरिया की कीमत में हुई वृद्धि से चालू वित्तीय वर्ष में 4.83 करोड़ रुपए तथा पूरे वर्ष में 715 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

(ग) खेती की लागत पर यूरिया की कीमत में वृद्धि का प्रभाव एक प्रतिशत से भी कम होने की संभावना है, जबकि सामान्य मूल्य स्तर पर इसका प्रभाव नगण्य होगा।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर बांध

3250. श्री हरिभाई चौधरी :

श्री चन्देश पटेल :

श्री महेश कनोडिया :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरदार सरोवर परियोजना के बारे में कोई निर्णय सुनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब से आरंभ हुआ, आरंभ में इस पर आने वाली अनुमानित लागत कितनी आई और आज तक वर्ष–वार इस पर कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) उन स्रोतों का ब्यौरा क्या है जिनसे वह राशि जुटाई गयी;

(ङ) क्या इस परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक विलंब और इसके कारण लागत में कई गुना वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो इस कई गुना वृद्धि के क्या कारण हैं;

(छ) इस परियोजना की मौजूदा स्थिति, संशोधित लागत क्या है और यह कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ज) परियोजना के कारण हुए विस्थापितों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इनके पुनर्वास और कल्याण के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 314/94 में, 18 फरवरी, 1999 को एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें बांध की सुरक्षा के लिए अपेक्षित हम्प्स को छोड़कर सरदार सरोवर बांध को 85 मी. की ऊंचाई तक उठाने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, गुजरात सरकार ने 19 फरवरी, 1999 से सरदार सरोवर बांध पर कार्य शुरू किया है।

(ग) सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्य 6,406.04 करोड़ रु. (1986–87 मूल्य स्तर) की अनुमोदित अनुमानित लागत से 24 अप्रैल, 1987 को शुरू किया गया था और उस पर अब तक हुआ वर्षवार व्यय इस प्रकार है :

	वित्तीय वर्ष	किया गया कुल व्यय (रुपए करोड़ में)
	1	2
1.	1987–88	496.19
2.	1988–89	162.25

	1	2
3.	*1989–90*	*198.19*
4.	1990–91	422.67
5.	1991–92	600.08
6.	1992–93	536.12
7.	1993–94	749.06
8.	1994–95	681.75
9.	1995–96	777.27
10.	1996–97	901.22
11.	1997–98	1117.23
12.	1998–99	931.43
	जनवरी, 1999 तक	
	कुल	7573.46

(घ) इस परियोजना के लिए निधि के मुख्य स्रोत है : गुजरात सरकार द्वारा किए गए बजटीय प्रावधान, गुजरात सरकार द्वारा किए *गए व्यय के लिए नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निर्णय के अनुसार* निर्धारित किया गया भागीदार राज्यों से प्राप्त हिस्सा, गुजरात सरकार/सरदार सरोवर नर्मदा निमग लि. द्वारा पब्लिक डिपाजिटों, बांडों, ऋणों और अंतर–निगमित डिपाजिटों द्वारा निधियां जुटाना है। गुजरात सरकार विश्व बैंक ऋण और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत बकाया शेष के स्थान पर भारत सरकार से केन्द्रीय ऋण सहायता भी प्राप्त कर रही है।

(ङ) जी, हां।

(च) परियोजना की उच्च लागत वृद्धि का मुख्य कारण भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा परियोजना के निर्माण के विरुद्ध दायर रिट याचिका (सिविल) सं. 319/94 में दिए गए स्थगन आदेश के कारण परियोजना के पूरा होने में विलम्ब तथा निर्माण लागत में वृद्धि है।

(छ) जनवरी, 99 तक परियोजना के विभिन्न घटकों की वास्तविक प्रगति इस प्रकार है :

क्र. सं.	घटक	उत्खनन %	कंक्रीटिंग %	ड्रिलिंग %
(क) बांध				
1.	मुख्य बांध	101.88	83.26	84.40
2.	नदी तल विद्युत गृह खुले	95.44		
	भूमिगत	91.01		
3.	नहर शीर्ष विद्युत गृह	100.00		
4.	वडगाम सैडल बांध	100.00		

(ख) नहरें

		मिट्टी कार्य %	पक्का करने का कार्य %	संरचनात्मक कंक्रीट कार्य %
1	2	3	4	5
5.	नर्मदा मुख्य नहर (0 से 144.5 कि.मी. तक)	99.42	99.95	96.66
6.	शाखा नहरें फेज–I (0 से 144.5 कि.मी. तक)	93.40	83.32	94.83
7.	वितरण प्रणाली (0 से 144 कि.मी. तक)	82.30	91.80	91.12

1	2	3	4	5
8.	फेज–II			
	(144 से 263 कि.मी. तक)			
	(क) नर्मदा मुख्य नहर	–	80.24	81.22
	(ख) सात वृहद संरचनाएं	91.79	20.37	67.78

इस परियोजना का संशोधित प्राक्कलन गुजरात सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह परियोजना सन् 2000 तक पूरी की जानी थी। तथापि, इस परियोजना का पूरा होना उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के निपटान, निधियों की उपलब्धता और नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एन. डब्ल्यू. डी. टी.) के निर्णय के अनुसार पक्षकार राज्यों द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनः स्थापना और पुनर्वास उपायों के साथ–साथ कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

(ज) मौजूदा आकलनों के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना के कारण होने वाली जलमग्नता के कारण 40727 परिवारों के प्रभावित होने की आशंका है। इनमें से 4600 गुजरात से, 3113 महाराष्ट्र से और 33014 मध्य प्रदेश से हैं।

मौजूदा आकलनों के अनुसार 31.1.1999 तक 10,447 परियोजना प्रभावित परिवार को बसाया जा चुका है तथा शेष 30,280 परिवारों को स्थानांतरित किया जाना है। संबंधित राज्य सरकारें अपनी नीतियों के आधार पर इन परिवारों की पुनः स्थापना के लिए आवश्यक उपाय कर रही हैं जो कि नर्मदा जल–विवाद अधिकरण के निर्णय में निहित नीतियों से कहीं अधिक उदार हैं तथा सचिव, केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पुनः स्थापन और पुनर्वास उपदल द्वारा उसकी गहन मानटरिंग की जा रही है।

उत्तर प्रदेश की लंबित योजनाएं

3251. **श्री आदित्यनाथ :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कुछ विकास परियोजनाएं योजना आयोग के पास स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पनधारा विकास योजना

3252. **श्री महेश कनोडिया :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के जल प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर पाटन में राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धि रही ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) आठवीं योजना के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत गुजरात में, 3,34,261 हैक्टे. के लक्ष्य के मुकाबले 2,92,579 हैक्टे. क्षेत्र विकसित किया गया। पाटन में किसी भी पनधारा क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया।

कृषि उत्पाद

3253. **श्री रामनारायण मीणा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई नीति बनायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि उत्पाद का आयात किया जा रहा है;

(घ) यादि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा घोषित खाद्य सुरक्षा नीति में दस वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन दोगुणा करने तथा भारत को भूख–मुक्त बनाने का प्रस्ताव है। कृषि जलवायु क्षेत्रगत आयोजना के आधार पर क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीति अपनाई जाएगी, ताकि कृषि के

विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र के पूर्ण क्षमता को कार्यरूप दिया जा सके।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सरकार की आयात की नीति मुख्यतया स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने तथा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करणकर्त्ताओं/निर्माताओं को उचित मूल्य पर आदान मुहैया कराने पर आधारित है।

[अनुवाद]

लाहौर और दिल्ली के बीच बस सेवा

3254. श्री मोहन रावले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : नई दिल्ली और लाहौर के बीच नियमित बस सेवा कब शुरू हो जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : नई दिल्ली और लाहौर के बीच नियमित बस सेवा 16 मार्च, 1999 से शुरू हो गई है।

तिलहन के रूप में नारियल

3255. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल को तिलहन घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा नारियल की खेती करने वालों को क्या लाभ दिए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) अक्तूबर, 1990 में नारियल को वृक्ष मूल का तिलहन घोषित किया गया।

(ख) कृषि मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड के जरिए नारियल उत्पादकों को दी जा रही सहायता विवरण में दी गई है। साथ ही, भारत सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष मिलिंग कोपरा और बाल कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। वर्ष 1999 मौसम के लिए अच्छी औसत गुणवत्ता के मिलिंग कोपरा के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल तथा बॉल कोपरा के लिए 3,325 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया जो पिछले वर्ष से 200 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। किसानों को नारियल सहित सभी बागवानी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली की संस्थापना के लिए भी 25,000 रुपये प्रति हेक्टे. की सीमा तक सहायता दी जाती है।

विवरण

वर्ष 1998–99 के दौरान नारियल उत्पादकों को दिए गए प्रोत्साहन/सुविधाएं

कार्यक्रम		दिए गए प्रोत्साहन/सुविधाएं
1		2
1.	पौधरोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण	1. नारियल के लिए प्रदर्शन–सह–बीज उत्पादन फार्मों की स्थापना और रख–रखाव के लिए 100 प्रतिशत सहायता।
		2. प्रदर्शन–सह–बीज उत्पादन फार्मों पर क्वालिटी पौध के उत्पादन और वितरण के लिए नर्सरी स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत की सहायता।
		3. नारियल लम्बे/बौने संकर पौध के उत्पादन और वितरण के लिए 50 प्रतिशत सहायता।
2.	क्षेत्र विस्तार	तीन वार्षिक किस्तों में 6000 रुपये प्रति हैक्टेयर।
3.	उत्पादकता सुधार के लिए नारियल जोतों में समेकित कृषि	
	1. रोगग्रस्त/जराग्रस्त पामों को हटाना	200 रुपये प्रति पाम
	2. पुनः पौधरोपण के लिए क्वालिटी पौध की राजसहायता प्राप्त दर पर आपूर्ति	5 रुपये प्रति पौध
	3. उर्वरक प्रयोग और पादपरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजसहायता	8 रुपये प्रति पाम (1280 रुपये प्रति हैक्टे.)

1	2
4. हरी खाद वाले पौधे सहित बहु–प्रजातीय फसल लगाने के लिए सहायता	पौध रोपण सामग्री की लागत के लिए 200 रुपये प्रति हैक्टेयर
4. मुख्य कृमियों और रोगों पर समेकित नियंत्रण	पत्ती भक्षक सुंडियों के समेकित नियंत्रण के लिए 50 प्रतिशत राजसहायता।
5. नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र :	
1. शिल्पकारों को वित्तीय सहायता	प्रति यूनिट अधिकतम 5000 रुपये
2. नारियल प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता	1.00 लाख रुपये अथवा संयंत्र और मशीनरी की पूंजी लागत का 25 प्रतिशत
3. सक्षम एक्सपेलर संस्थापित करने के लिए छोटे और मध्यम मिलिंग यूनिटों को वित्त पोषण	1.00 लाख रुपये अथवा ब्याज की कम दर पर ऋण के रूप में एक्सपेलर की लागत का 75 प्रतिशत
4. उन्नतम कोपरा ड्रायर को लागू करना	नारियल को कोपरा बनाने के लिए नारियल उत्पादकों को ड्रायर की लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये, जो भी कम हो, दिया जाता है
6. विस्तार और प्रचार कार्यकलाप :	
1. प्रशिक्षण	नारियल की कटाई और पौध रक्षण में बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण।
	नारियल हस्तशिल्प बनाने के लिए बेरोजगार युवकों और ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण।
	नारियल की वैज्ञानिक खेती में किसानों को प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

3256. श्री आर. एस. गवई : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का आर्थिक आंकड़ों के संग्रहण और प्रसार के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के गठन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आंकड़ों के प्रसार के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सरकार ने वर्तमान सांख्यिकीय प्रणाली की कमियों की आलोचनात्मक जांच–पड़ताल करने के लिए एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। नीति–निर्माण तथा आयोजना हेतु सामयिक तथा विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता तथा यह विश्वास योग्य है कि आर्थिक नियंत्रण की प्रणाली के उत्तरोत्तर विघटन से आंकड़ों के प्रवाह की गुणवत्ता शिथिल हो गई है। आयोग को सांख्यिकीय प्रणाली को क्रमबद्ध तरीके से नवीनीकरण करने के उपायों की अनुशंसा करनी है।

(ग) जी, हां।

(घ) अन्य बातों के साथ–साथ, ब्यौरा इस प्रकार है :

'सरकारी सांख्यिकी की रिपोर्टों, तदर्थ तथा नियमित प्रकाशनों आदि के रूप में प्रसार; जैसा कि इस समय है, जारी रहेगा। वैधीकृत आंकड़े जो अप्रकाशित हैं, जिसमें यूनिट/परिवार/प्रतिष्ठान स्तर के आंकड़े शामिल हैं, की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनकी पहचान ब्यौरों को मिटाने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा प्रयोक्ताओं को भी हार्ड कापियों के रूप में और मैगनेटिक मीडिया पर भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। आंकड़ों के मूल्य में लेखन सामग्री, कम्प्यूटर उपभोग्य वस्तुएं और सूचना को पृथक करने के लिए संगणक समय की लागत शामिल होगी परन्तु आंकड़ों के संग्रहण और वैधीकरण की लागत शामिल नहीं होगी। ऐसे आंकड़े, जो सरकारी आंकड़ा स्रोत अभिकरण द्वारा संवेदनशील प्रकृति के माने जाते हैं और जिनकी जानकारी देना राष्ट्र–हित, अखण्डता और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है, की आपूर्ति नहीं की जाएगी। सर्वेक्षण परिणामों/आंकड़ों को क्षेत्र कार्य के पूरा करने के बाद से तीन वर्षों

की अवधि बीतने के बाद अथवा सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित रिपोर्टों के जारी होने के बाद, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा प्रयोक्ताओं को साथ–साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। सांख्यिकी विभाग केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा उत्पादित सरकारी आंकड़ों के प्रसार के लिए नोडल एजेंसी होगा। इस प्रयोजन के लिए सांख्यिकी विभाग में एक आंकड़ा भंडारगृह बनाना सुनियोजित है।

पांव और मुंह के रोग

3257. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केरल में हाल ही में फैली जानवरों की महामारी से पांव और मुंह के रोग होने के कारण कई जानवर मर गए;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार जानवरों के व्यापक रूप से टीकाकरण हेतु टीका उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रबंध करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

भारत सरकार को केरल में खुरपका और मुंहपका रोग की अत्यधिक घटनाओं के बारे में दिनांक 12.3.99 को तब पता चला जब उसे 12.3.99 को एक पत्र मिला, (पत्र संख्या ई–I–6877/99 दिनांक 9.3.1999)।

(ख) राज्य सरकार से इस घटना के बारे में विस्तृत महामारीजन्य सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है ताकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक इसके बारे में और अधिक जांच–पड़ताल कर सकें।

(ग) भारत सरकार योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर "पशु रोग नियंत्रण" नामक केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत अनुदान सहायता प्रदान करेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

काली मिर्च और नगदी फसलों की ज्यादा उपज देने वाली किस्में

3258. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) या अन्य अनुसंधान संस्थानों में काली मिर्च और अन्य नगदी फसलों की ज्यादा उपज देने वाली किस्मों पर अनुसंधान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) काली मिर्च और अन्य नगदी फसलों पर अनुसंधान कार्य भा. कृ. अ. प. के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और संबंधित फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजनाओं के विभिन्न केन्द्रों में किए जा रहे हैं। भा. कृ. अ. प. के अनुसंधान संस्थान और विकसित की गई किस्में संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(क) काली मिर्च और अन्य नगदी फसलों से संबंधित भा. कृ. अ. प. के अनुसंधान संस्थानों की सूची।

1. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालिकट, केरल (काली मिर्च)
2. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर (महाराष्ट्र)
3. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
4. गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।
5. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुन्द्री (आंध्र प्रदेश)।
6. केन्द्रीय पटसन और समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल)।

(ख) विकसित की गई किस्में

1.	काली मिर्च	पन्नियूर 1 से 5, श्रीकर, श्रीकारा, पूर्णमि और पंचमी।
2.	कपास	एफ. 414, एच. 777, आर. एस. टी. 9, जी. कॉट. 12, एल. आर. ए. 5166, एम. सी. यू. 7, आर. जी. 8, आई. डी. 327, संकर–4, जे. के. एच. वाई.–1, मैक–1, सविता, डी. सी. एच. 32, फतह।

3.	गन्ना	को 205, को 658, को 6806, को 6907, को 7219, को 7314, को 7527, को 7508, को सी. 671, को जे. 64, को एल. के. 8001, को एल. के. 8102, को पंत 84211।
4.	पटसन	जे. आर. ओ. 632, जे. आर. ओ. 878, जे. आर. ओ. 524, जे. आर. सी. 321, जे. आर. सी. 212, जे. आर. सी. 7447, के. टी. सी.–1, पी. बी. ओ. 6।
5.	मेस्ता	सी. 583, ए. एम. सी. 108।
6.	तम्बाकू	जयश्री, गोदावरी विशेष, स्वर्ण, हेमा, भव्य, गौतमी, सी. एम.–12, वरजीनिया, गंडक, बोहर, सोना, वैराम, भाग्यलक्ष्मी।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई/जल जमाव

3259. श्री शकुनि चौधरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मोकामा, बड़हिया लखीसराय, सूर्यगढ़ और टाल सिंचाई परियोजना को अब तक लागू नहीं किया गया है और इस क्षेत्र में जल जमाव को अब तक नहीं निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां तो उक्त परियोजना के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) मोकामा ताल क्षेत्र में जल निकास सुधार/विकास के संबंध में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13.9.97 को निरीक्षण किया गया। इसके बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बिहार सरकार के जल संसाधन और कृषि मंत्रियों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ 14.9.97 को एक बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बिहार सरकार द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के परामर्श से 30 दिनों के भीतर मोकामा ताल क्षेत्र में जल निकास सुधार संबंधी एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। तदनन्तर, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने तात्कालिक (2–3 वर्ष), अल्प कालिक (3–5 वर्ष) और दीर्घ कालिक (5–10 वर्ष) उपायों सहित तीन चरणों में ताल क्षेत्र का विकास दर्शाने वाला एक टिप्पण प्रस्तुत किया। अभी तक राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जल निकास सहित बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण रिपोर्ट को तैयार करना और उसका निष्पादन शुरू करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

भारी जल संयंत्र

3260. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नौवीं योजना के दौरान देश में विशेषकर बिहार में, भारी जल संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बीहड़ विकास परियोजना

3261. श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में यूरोपियन इकोनामिक कम्यूनिटी द्वारा वित्तपोषित बीहड़ विकास परियोजना को शुरू करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को स्वीकृति मिल गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस संबंध में कब तक निर्णय लेने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से तंगघाटी स्थिरीकरण कार्यक्रम के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) जी, हां। परियोजना को 1997 में मंजूरी दी गई।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

3262. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री :

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए कोई विशेषज्ञ दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राज्यों में बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए किए गए अन्य वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ के प्रकोप की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ दल नहीं भेजा है। तथापि, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए स्कीमों को अभिज्ञात करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के वास्ते अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में नवम्बर, 1998 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस विशेषज्ञ दल ने अब तक एक बैठक आयोजित की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मलिहान झील

3263. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इलाहाबाद की मलिहान झील की बाढ़ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य, सरकार को लिखा है कि वह यह बताए कि क्या इलाहाबाद जिले में मलिहान झील की सुरक्षा के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्य संबंधी विस्तृत सर्वेक्षण पूरा हो चुका है अथवा नहीं और साथ ही विस्तृत स्कीम की तैयारी की वर्तमान स्थिति के बारे में भी सूचित करें। दिनांक 26.3.97 और 27.3.97 को समस्याग्रस्त क्षेत्र का गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी. एफ. सी. सी.) और राज्य सरकार के अधिकारियों के एक संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया था तथा दल ने क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा से संबंधित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सिफारिशें की थीं/सुझाव दिए थे। चूंकि बाढ़ प्रबंधन स्कीम के प्रारूपण, वित्त–पोषण और निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित राज्य की होती है, इसलिए दल की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेज दी गयी थी।

बीज अधिनियम, 1966 और कीटनाशक अधिनियम, 1968

3264. श्री के. एस. राव :

श्री यू. वी. कृष्णमराजु :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कीटनाशक अधिनियम, 1968 और बीज अधिनियम, 1966 में संशोधन किए जाने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने कीटनाशी अधिनियम, 1968 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है। प्रस्तावित संशोधनों की जांच एक समिति द्वारा की गई है, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है। उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने बीज अधिनियम, 1966 में भी कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है। श्री एम. वी. राव की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य सरकारों की सलाह से इन पर विचार किया है। बीज अधिनियम, 1966 में संशोधन करने संबंधी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

3265. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा असम में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) योजना आयोग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की संबंधित मंत्रालय/विभाग, योजना आयोग के सहयोजन से समय–समय पर मानीटरिंग और समीक्षा करते हैं।

जाली पासपोर्ट

3266. श्री सी. पी. राधाकृष्णन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान जाली पासपोर्ट वाले तथा वीजा प्राप्त करने के लिए झूठे वक्तव्य देने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे; और

(ख) इन गैर–कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) अपेक्षिति सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, चूंकि वीजा भारत स्थित विदेशी मिशनों द्वारा किए जाते हैं, अतः सरकार के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जब कभी कोई व्यक्ति जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा जाता है, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कानूनी प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाती है और पासपोर्ट जब्त/रद्द कर दिया जाता है।

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु योजना

3267. डॉ. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माधवराव पाटील :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा की तरह महाराष्ट्र के अति पिछड़े और अभावग्रस्त क्षेत्रों के विकास हेतु कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं। किसी क्षेत्र की आयोजना और उसका विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन मूलतः संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्यों के बीच सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले में पिछड़ेपन को उचित महत्त्व देकर, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों की सहायता करती है। इसके अलावा, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों जैसे पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, जनजातीय उपयोजना, आदि तथा विभिन्न गरीबी उन्मूलन स्कीमों के लिए अतिरिक्त सहायता आबंटित की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हज यात्री

3268. श्री टी. गोविन्दन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हज यात्रियों के साथ जाने वाले भारतीय अधिकारियों पर वर्षवार किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट को, देखते हुए इस व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस वर्ष इस संबंध में कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हज प्रतिनियुक्तियों पर हुआ व्यय नीचे दिए अनुसार :

वर्ष	कुल व्यय (रुपयों में)
1995–96	1,64,95,182/–
1996–97	5,53,45,940/–
1997–98	5,87,92,045/–

हालांकि मितव्ययिता बरतने के हरसंभव प्रयास किए गए तथापि गौरतलब है कि विगत तीन वर्षों में हज समिति के जरिये हज करने वाले यात्रियों की संख्या 50,000 से 63,000 तक बढ़ गई है जिसकी वजह से प्रतिनियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई। हज, 1998 के लिए सरकार ने 398 लोगों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा था जिनमें चिकित्सा मिशन तथा प्रशासनिक कर्मचारी भी शामिल थे। इस वर्ष न्यूनतम आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर, सरकार ने प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की संख्या घटाकर 362 कर दी है।

हज–1999 के लिए इन प्रतिनियुक्तियों पर लगभग 5,83,56,000/– रुपए खर्च होने का अनुमान है।

उड़ीसा में भारी जल संयंत्र

3269. श्री अर्जुन सेठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तालचेर में भारी जल संयंत्र इस समय काम नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे चालू करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) तलचर स्थित भारी पानी संयंत्र का काम करना पूर्णतः मैसर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों के काम करने पर तथा उनसे फीड स्टॉक (अमोनिया संश्लेषण गैस) की उपलब्धता पर निर्भर करता है। चूंकि फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड संयंत्र के काम करने की स्थिति अनियमित तथा अनिश्चित बनी हुई है, इसलिए वर्तमान में भारी पानी संयंत्र को क्रियाशील बनाने के लिए विभाग कोई विशेष उपाय नहीं कर सकता है।

अनुभाग अधिकारियों/डेस्क अधिकारियों के वेतनमान/भत्ते

3270. श्री अजीत जोगी :

श्री पी. शंकरन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों और अनुभाग अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन करने और डेस्क अधिकारियों का डेस्क भत्ता भी देने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा और इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) दिल्ली–अंडमान निकोबार सिविल सेवा/दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सेवा इत्यादि के समतुल्य ग्रेडों के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन–आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों से समानता के आधार पर, केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों को उच्चतर वेतनमान दिए जाने के बारे में केन्द्रीय सचिवालय सेवा–मंच (फोरम) इत्यादि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली–अंडमान निकोबार सिविल सेवा/दिल्ली–अंडमान निकोबार–पुलिस–सेवा के अधिकारियों के लिए संस्तुत वेतनमान तथा डेस्क अधिकारियों के लिए संस्तुत डेस्क–भत्ते से जुड़े मुद्दे सरकार के विचाराधीन हैं किन्तु इन मुद्दों के बारे में निर्णय किए जाने में लगने वाला संभावित समय निश्चित रूप से बता पाना संभव नहीं है।

कॉस्मिक किरणें

3271. श्री अमन कुमार नागरा :

श्री एच. पी. सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्य राष्ट्रों के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों तथा विस्फोटक सामग्रियों के भंडार को नष्ट करने के लिए कॉस्मिक किरणों के विकास हेतु एक विशेष वैज्ञानिक दल के गठन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकसित राष्ट्रों के वैज्ञानिक कॉस्मिक किरणों को विकसित करने की दिशा में काफी प्रगति कर चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) ऊपर (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च

3272. श्री विठ्ठल तुपे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद अमरीकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का टाटा इन्स्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान के वैज्ञानिकों ने सरकार से इस स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अवकाश के लिए मानदंड

3273. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवरात्रि पर्व को राजपत्रित या प्रतिबंधित अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) त्यौहारों को अवकाश दिवस के रूप में घोषित करने के क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में, वर्षभर में 17 अवकाश होते हैं। इनमें पूर्व अधिसूचित अवसरों पर होने वाले 14 अनिवार्य अवकाश सम्मिलित हैं। शेष 3 अवकाश, प्रत्येक वर्ष, 12 अवसरों की एक अन्य अधिसूचित सूची में से चुने जाते हैं, और शिवरात्रि उनमें से एक है। उपर्युक्त तीन अवकाशों के चयन के बाद, शेष 9 अवसर वैकल्पिक अवकाश की सूची में सम्मिलित कर दिए जाते हैं। तथापि, वर्ष, 1999 के दौरान, शिवरात्रि, रविवार, फरवरी 14, को पड़ी जो कि अन्यथा एक साप्ताहिक अवकाश होता है।

[हिन्दी]

दुधारू पशुओं के लिए चारा

3274. डॉ. चिंता मोहन :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ दुधारू पशुओं की संख्या का मूल्यांकन किया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनको उपलब्ध कराए गए चारे की मात्रा क्या है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में दुधारू पशुओं की अनुमानित संख्या औरप प्रतिदिन प्रति पशु उपलब्ध कराए गए चारे की मात्रा क्या है;

(ग) क्या देश में पशुओं को उपलब्ध चारे की मात्रा पशु के स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी मात्रा से कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा देश में पशुओं को चारे की पर्याप्त मात्रा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में दुधारू पशुओं सहित पशुधन संख्या की गणना पंचवर्षीय गोपशु संगणना में की जाती है।

चारे की मात्रा के बारे में अब तक कोई क्रमबद्ध अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, पर्यावरण और वन मंत्रालय के नीति सलाहकार दल द्वारा 1993 में किए गए अनुमान के अनुसार सभी पुशओं की संख्या के लिए देश में सूखे और हरे चारे की उपलब्धता क्रमशः 398.68 और 573.50 मिलियन टन थी।

(ख) 1992 की पशुधन संगणना के अनुसार देश में दुधारू गोपशुओं की संख्या नीचे दी गई है :

पशुओं की किस्म	संख्या हजार में
स्वदेशी दुधारू गाएं	52001
वर्ण संकरित दुधारू गाएं	5792
दुधारू भैंसें	40275

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए सूखे और हरे चारे की उपलब्धता विवरण में दी गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन प्रति गोपशु के लिए हरे और सूखे चारे की उपलब्धता क्रमशः 3.3 से 20 किलोग्राम और 3.4 से 6 किलोग्राम तक होती है।

(ग) जी, हां।

(घ) चारे की कम उपलब्धता के प्रमुख कारण हैं : चारागाहों और पाश्चरों में आई कमी तथा चारा उत्पादन के लिए कम भूमि की उपलब्धता। देश में गोपशुओं के लिए चारे की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) केन्द्रीय आहार और चारा विकास संगठन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन जिसमें तीन घटक शामिल हैं अर्थात्, (1) क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, (2) केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, और (3) चारा फसलों का केन्द्रीय मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम।

(2) आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन जिसमें 7 घटक शामिल हैं :

(1) चारा बीज उत्पादन फार्म का सुदृढ़ीकरण (75 : 25)

(2) चारा बैंकों की स्थापना (75 : 25)

(3) पंजीकृत उत्पादकों के जरिए बीज उत्पादन (25 : 75)

(4) सिल्वीपाश्चर पद्धति की स्थापना (100 प्रतिशत)

(5) घास रिजर्व सहित चारागाहों का विकास (100 प्रतिशत)

(6) क्षेत्र, आवश्यकता और चारा फसलों के उत्पादन के लिए नमूना सर्वेक्षण (100 प्रतिशत)

(7) भूसा और सेल्यूलोसिक अवशिष्टों का संवर्द्धन करना (100 प्रतिशत)

विवरण

अंतिम तीन वर्षों के दौरान हरे और सूखे चारे की उपलब्धता और प्रति दुधारू गोपशु के लिए दैनिक उपलब्धता

क्रम सं.	राज्य संघ शासित प्रदेश	1996		1998 (मिलियन टन)		1998		दैनिक उपलब्धता कि.ग्रा.	
		हरा	सूखा	हरा	सूखा	हरा	सूखा	हरा	सूखा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	40.32	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	0.005	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	गोवा	—	—	—	—	6.00	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—	—	26.00	9.60	—	—
7.	हरियाणा	—	—	—	—	28.07	9.76	15.00	6.0
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	4.00	3.70	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	3.96	1.91	10.00	5.0
11.	केरल	5.00	—	5.20	—	—	5.50	9.00	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	87.60	68.43	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	40.00	—	42.00	—	39.50	—	5.0
14.	मणिपुर	—	—	—	—	1.50	—	—	—
15.	मेघालय	0.41	—	0.44	—	0.20	0.10	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	0.03	.034	20.00	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	—	2.65	11.75	—	—
19.	पंजाब	49.00	19.00	50.00	19.00	52.00	18.00	18.00	—
20.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—	—	7.60	9.81	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	0.01	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	71.14	62.08	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संघ शासित प्रदेश									
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	0.04	—	10.00	—
2.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	8.33	4.4
3.	दादरा एवं नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	पांडिचेरी	1.10	—	1.25	—	1.26	—	14.20	—
	आई. जी. एफ. आर. आई. झांसी	—	—	—	—	—	—	3.30	3.4

[अनुवाद]

जल का अन्यत्र उपयोग

3275. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि प्रयोजन हेतु जल देश के विभिन्न जलाशयों से औद्योगिक क्षेत्र को दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अन्यत्र उपयोग के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण आदि जैसे विभिन्न प्रयोगों के लिए की जाती है। इनमें से कुछ परियोजनाओं में औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए विशिष्ट आबंटन भी किया जाता है। सिंचाई के लिए रखे गये जल को औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने के संबंध में केन्द्र में कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेलुगू-गंगा सिंचाई परियोजना

3276. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की तेलुगु–गंगा सिंचाई परियोजना इस समय किस चरण में है;

(ख) इसका कार्य शीघ्र पूरा कराने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्तर्राज्यीय मुद्दे का समाधान हुए बिना मार्च, 1996 में 1977 करोड़ रु. की तेलुगु गंगा परियोजना का संशोधित आकलन प्रस्तुत किया था अतः जुलाई, 1996 में यह परियोजना राज्य को वापस भेज दी गई थी।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के लिए योजना आयोग के विचार–विमर्शों के लेखा रिकार्ड के अनुसार इस परियोजना को पूरा करने के लिए 2149 करोड़ रु. की राशि की आवश्यकता है। इस परियोजना के नौवीं योजना के बाद पूरा होने की संभावना है।

बकरोल सिंचाई परियोजना

3277. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात की बकरोल सिंचाई परियोजना को तकनीकी स्वीकृति देने के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में

राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने के कारण केन्द्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

मूंगफली का उत्पादन

3278. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष में भी मूंगफली के उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मूंगफली के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य विशेषकर मध्य प्रदेश को प्रदान की गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान मूंगफली का उत्पादन तथा वर्ष 1998–99 के दौरान मूंगफली के अनुमानित उत्पादन का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन (लाख मी. टन)
1995–96	75.79
1996–97	86.43
1997–98	78.45
1998–99	81.68 (अनुमानित)

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 1998–99 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम की स्कीम के तहत राज्यों को मुहैया की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्कीम में मूंगफली विकास के लिए सहायता भी शामिल है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995–96 से 1997–98 तक तथा चालू वर्ष अर्थात् 1998–99 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यक्रम की स्कीम के तहत राज्यों को मुहैया की गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	निर्मुक्तियां			
		1995–96	1996–97	1997–98	1998–99 (फरवरी, 99 तक निर्मुक्त)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1413.39	1299.67	1502.00	1100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.10	34.32	40.00	40.00
3.	असम	166..02	50.00	–	70.00
4.	बिहार	97.98	74.00	–	–
5.	गुजरात	549.45	666.00	1142.00	330.00
6.	हरियाणा	162.50	226.00	296.36	250.00
7.	हिमाचल प्रदेश	29.50	10.00	–	40.00
8.	जम्मू व कश्मीर	–	23.32	–	80.00
9.	कर्नाटक	183.38	694.85	653.14	700.00
10.	केरल	132.24	26.66	50.00	50.00
11.	मध्य प्रदेश	1144.43	1590.45	1249.00	1200.00
12.	महाराष्ट्र	1032.27	1325.66	1050.00	1100.00

1	2	3	4	5	6
13.	मणिपुर	108.26	164.00	110.00	100.00
14.	मेघालय	6.00	10.00	20.00	25.00
15.	नागालैण्ड	—	—	—	80.00
16.	उड़ीसा	444.00	632.00	500.00	500.00
17.	पंजाब	7.60	40.32	100.00	100.00
18.	राजस्थान	1332.50	1603.53	1650.00	1230.00
19.	सिक्किम	48.68	46.66	55.00	60.00
20.	तमिलनाडु	951.70	894.32	832.50	625.00
21.	त्रिपुरा	21.09	33.92	35.00	50.00
22.	उत्तर प्रदेश	730.21	932.32	921.00	600.00
23.	पश्चिम बंगाल	205.70	200.00	250.00	196.00
	योग	8820.00	10569.00	10456.00	8526.00

[अनुवाद]

एक्वाकल्चर

3279. श्री विक्रम केशरी देव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्तमान समय में कितने उद्योग "एक्वाकल्चर" में लगे हुए हैं;

(ख) राज्य में "एक्वाकल्चर" उद्योगों की स्थापना हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित हैं; और

(ग) सरकार ने वर्ष 1997 और 1998 के दौरान कितने आवेदन पत्रों का अनुमोदन किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) उड़ीसा में लगभग 6,500 यूनिटें झींगा मछली पालन में लगी हुई हैं।

(ख) और (ग) जल कृषि प्राधिकरण द्वारा उड़ीसा सरकार से प्राप्त 1071 आवेदनों में से 1998 के दौरान 43 मामलों में मंजूरी दी गई थी। 1997 के दौरान कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे।

परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं किए जाने संबंधी प्रतिबद्धता

3280. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिन्दे :

श्री के. एल. शर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और भारत ने हाल ही में परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं किये जाने पर प्रतिबद्धता जताई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों के बीच किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए संयोगवश कि परमाणु युद्ध की संभावना न बन पाए, क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत ने 'पहले प्रयोग नहीं' तथा परमाणु हथियार रहित राष्ट्रों के विरुद्ध नाभिकीय हथियारों का प्रयोग न करने की एक नीति की घोषणा की है। हमने द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय स्तरों पर 'पहले प्रयोग नहीं' की नीति पर बाध्यकारी करारों पर वार्ता करने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है। नाभिकीय हथियार संपन्न राज्यों के विरुद्ध प्रथम प्रयोग नहीं तथा नाभिकीय हथियार रहित राज्यों तथा नाभिकीय हथियार मुक्त क्षेत्रों के विरुद्ध प्रयोग नहीं करने की चीन की एक घोषित नीति है। चीन ने नाभिकीय हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं किये जाने पर एक करार संपन्न किये जाने के उद्देश्य से नाभिकीय हथियार संपन्न राज्यों से वार्ता आरंभ करने का आह्वान किया है।

(ग) भारत की नाभिकीय नीति अचानक आरंभ होने वाले नाभिकीय युद्ध के खतरे को कम करती है। भारत और चीन पारंपरिक क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने ताले अनेक उपायों पर सहमत हो गये हैं। नाभिकीय क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की है।

दालों का उत्पादन

3281. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना के अन्तर्गत किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य विशेषकर महाराष्ट्र में चलाये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) महाराष्ट्र में उक्त परियोजना के अन्तर्गत किसानों को प्रदान किए गए उन्नत उपस्करों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषक प्रशिक्षण और प्रदर्शन राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की स्कीम के घटक हैं।

(ख) जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा सूचना दी गई है, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई है, महाराष्ट्र में किसानों को दिए गए उन्नत उपकरणों की कुल संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	उन्नत उपकरणों की कुल संख्या
1996–97	5,497
1997–98	3,044
1998–99	1,670 (लक्ष्य)

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम की राज्य–वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या		
		1996–1997	1997–98	1998–99 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	42	64	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	12	6	20
5.	गोआ	—	—	—
6.	गुजरात	3	11	20
7.	हरियाणा	6	9	10
8.	हिमाचल प्रदेश	6	2	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	15	3	10
10.	कर्नाटक	21	21	20
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	32	40
13.	महाराष्ट्र	27	20	20
14.	मणिपुर	12	40	—
15.	मेघालय	—	—	—

1	2	3	4	5
16.	नागालैंड	—	—	—
17.	उड़ीसा	16	20	10
18.	पंजाब	5	8	10
19.	राजस्थान	18	22	10
20.	सिक्किम	—	—	—
21.	तमिलनाडु	31	10	10
22.	त्रिपुरा	—	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	39	49	20
24.	पश्चिम बंगाल	4	—	—
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
26.	दिल्ली	—	—	—
	कुल	257	317	230

परियोजनाओं के विकास हेतु धनराशि

3282. श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने परियोजनाओं के विकास के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को हाल ही में धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी राशि जारी की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना आयोग ने कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के लिए चालू वर्ष में राज्य योजना हेतु प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त और कोई निधियां स्वीकृत नहीं की हैं। जबकि सामान्य केन्द्रीय सहायता समुच्चय रूप से दी जाती है तथा इसे किसी विशिष्ट स्कीम/परियोजना के साथ संबद्ध नहीं किया जाता है, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता विशिष्ट परियोजनाओं के लिए दी जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न घटकों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

मत्स्यन बंदरगाह

3283. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नौवीं योजना के दौरान कुछ मत्स्यन बंदरगाहों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मत्स्यन बंदरगाह किन राज्यों में निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य पत्तनों के विकास के लिए दस स्थलों की विस्तृत जांच-पड़ताल करने की सिफारश की है। प्रस्तावित स्थलों के नाम इस प्रकार है :

स्थल	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	2
1. ओखा	गुजरात
2. अगरडंडा	महाराष्ट्र
3. गंगोली	कर्नाटक
4. मुथालापोझी	केरल
5. डायमंड हारबर	पश्चिम बंगाल
6. कृष्णापत्तनम	आंध्र प्रदेश
7. करईकाल	पांडिचेरी
8. रामेश्वरम	तमिलनाडु
9. धामरा चरण-2	उड़ीसा
10. वनकवारा	दमन एवं दीव

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

3284. प्रो. प्रेमसिंह चंदूमाजरा :

डॉ. सुशील इंदौरा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्न की खेती का क्षेत्र विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में प्रति हेक्टेयर खाद्यान्नों की उपज विश्व में औसत खाद्यान्नों उत्पादन की अपेक्षा कहीं कम है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन–किन देशों में खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर सबसे अधिक/सबसे कम उपज होती है और उसकी मात्रा कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) विश्व का भारत में खाद्यान्नों के तहत सर्वाधिक क्षेत्र है। हालांकि, पैदावार की औसत विश्व औसत से कम है।

(घ) खाद्य एवं कृषि संगठन की उत्पादन इयर बुक–1997 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1997 में गेहूं और धान आदि सहित खाद्यान्न उत्पादक देशों में प्रति हैक्टेयर पैदावार फ्रांस में सर्वाधिक (6774 कि.ग्रा.) तथा कजाकिस्तान में सबसे कम (792 कि.ग्रा.) रही।

[अनुवाद]

भारतीयों पर हमले

3285. श्री रवि सीताराम नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को और रूस के अन्य शहरों में भारतीय नागरिकों पर किसी समूह विशेष द्वारा किए जाने वाले हमलों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूस में बस गए भारतीयों और छात्रों पर ऐसे हमले रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। रूसी परिसंघ में भारतीय समुदाय को विशेषतः लक्ष्य बनाकर कोई धमकी नहीं दी गई। ये लोग उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो अन्य विदेशी नागरिक करते हैं। 1998 में कुछ असामाजिक तत्त्वों "स्किन हेड्स" द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों के प्रति घटित 14 ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं। इस वर्ष ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं है।

(ग) मास्को स्थित हमारा राजदूतावास और सेन्ट पीटर्सवर्ग एवं ब्लाडिवोस्टक स्थित हमारे प्रधान कोंसलावास नियमित तौर पर संघीय तथा अन्य स्तरों पर रूसी प्राधिकारियों को भारतीय राष्ट्रिकों पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं के बारे में बताते रहते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रूसी प्राधिकारियों ने अन्ततः कई कदम उठाए हैं। व्यापारियों, शिक्षार्थियों, पत्रकारों आदि सहित भारतीय समुदाय के साथ निरन्तर सम्पर्क कायम किया गया है। ताकि उन्हें पुनः आश्वस्त किया जा सके। उन्हें पर्याप्त सावधानी बरतने और किसी भी घटना की पुलिस प्राधिकारियों को तत्काल सूचना देने तथा राजदूतावास/प्रधान कोंसलावास को उस बारे में पूरी तरह से अवगत कराने की भी सलाह दी गई है। भारतीय समुदाय को स्वयं को एवं परिवार के सदस्यों को हमारे मिशनों/केन्द्रों में पंजीकरण कराने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें तत्काल एवं उपयुक्त कोंसली सलाह एवं सहायता प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के लाभदायक मूल्य

3286. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को उनके उत्पादों के लाभदायक मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उनके उत्पादों का लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए सरकार कृषि उत्पादों के लाभदायक मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सरकार मुख्य कृषि जिन्सों के लिए हर मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है तथा सार्वजनिक और सहकारी अभिकरणों के माध्यम से क्रय संबंधी गतिविधियां आयोजित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा अन्य संगत तथ्यों के आधार पर घोषित किए जाते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल उत्पादन लागत को कवर करते हैं, बल्कि किसानों को निवेश के लिए तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार हेतु प्रोत्साहन के रूप में यथोचित लाभ भी प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

अपूर्ण केन्द्रीय परियोजनाएं

3287. श्री डी. एस. अहिरे :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक में निर्धारित अवधि में पूरी नहीं हो पायीं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन अपूर्ण परियोजनाओं में प्रत्येक की अनुमानित लागत राशि में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं पर कितनी अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

रेल, मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा विलंब, लागत वृद्धि तथा 9वीं योजना में खर्च की जाने वाली शेष राशि के साथ, संलग्न विवरण में दिया गया है। पनवेल करजात नई लाईन नामक एक परियोजना 10वीं योजना में पूरी होगी।

विलंब के कारण परियोजनावार भिन्न–भिन्न होते हैं। कारणों में सामान्यतया सम्मिलित हैं : भूमि के अधिग्रहण में विलंब पर्यावरणीय तथा अन्य अनुमतियों में विलंब, अपर्याप्त निधियां, ठेका सौंपने में विलंब, उपकरणों की आपूर्ति में विलंब, तथा सिविल कार्यों में भी विलंब।

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए मजबूत कदम निम्न हैं :

(1) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मासिक तथा साथ ही तिमाही प्रबोधन। इससे प्रबोधन करने वाले अभिकरण अवरोधों को चिन्हित करने तथा प्रबंधकों को उपचारात्मक उपाय करने में मदद करने में सक्षम हो पाते हैं।

(2) विलंब में कमी लाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ प्रगति की गहन विवेचनात्मक समीक्षा।

(3) अंतर–मंत्रालयी समन्वय।

(4) ठेका पैकेजों, भूमि अधिग्रहण का समाधान, तथा अन्य समस्याओं को शीघ्रता से अंतिम रूप देने हेतु अधिकृत समितियों का गठन।

(5) परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध करवाना।

विवरण

कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों में कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय परियोजनाएं

इकाई : (लागत/व्यय : करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	चालू होने की राशि			लागत			मूल लागत पर % वृद्धि	संचयी व्यय	नौवीं योजना के अन्तर्गत खर्च होने वाली शेष लागत
			सरकारी अनु. की तिथि मूल (संशो.)	मूल (संशो.)	प्रत्याशित (एल.आर. ई.पी.)	समयावृद्धि मूल संशोधित (महीने)	अनु. मूल संशोधित	प्रत्या.			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्य : कर्नाटक											
सेक्टर : परमाणु ऊर्जा											
एन.पी.सी.											
1.	केगा परमाणु ऊर्जा करवाड़, कर्नाटक	एम.डब्ल्यू. 2×235	1987/06 1996/10	1995/12 1998/11	1999/10	46 11	730.72 2275.00	2275.00	211	2211.24	63.76

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सेक्टर : रेलवे											
जी.सी.											
2.	अरसीकेर–हासन–किमी.		1995/04	1996/03	2000/03	48	186.16	219.63	18	88.10	131.53
	मंगलौर, द. रे.	236	1997/03	2000/03		0	219.63				
	कर्नाटक										
डब्ल्यू. एस. तथा पी. यू.											
3.	व्हील शॉप कैप		1989/03	1996/03	1999.03	36	21.43	21.43	0	17.84	3.59
	आंगमेंट, वैप										
	बंगलौर, द.रे.										
	कर्नाटक										
सेक्टर : भूतल परिवहन											
पत्तन											
4.	क्रूड एवं पी.ओ.एल.	6.5	1994/06	1996/12	1998/09	21	238.14	238.14	0	209.67	28.47
	एम.आर.पी.एल.	मिलियन									
	मंगलौर	टन पी.ए.									
	कर्नाटक										
राज्य : महाराष्ट्र											
सेक्टर : नागर विमानन											
ए.आई.											
5.	आवासीय परिसर	1525	1983/08	1993/10	1998/12	62	22.00	49.00	123	40.71	8.29
	तथा अन्य	मकान		1994/04		36	45.00		9		
	नई मुंबई			1995/12							
	महाराष्ट्र										
6.	हैंगर सं. 4 का	1993/11	1996/12	1998/12	24	49.00	66.53	36	30.31	36.22	
	निर्माण										
	मुंबई										
	महाराष्ट्र										
	ए.ए.आई.										
7.	टर्मिनल कॉम्पलेक्स सं.		1993/05	1996/10	1999/08	34	84.12	142.32	69	96.86	45.46
	फेस–III	2100					105.49		35		
	मुंबई										
	महाराष्ट्र										

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सेक्टर : कोयला											
डब्ल्यू.सी.एल.											
8.	पीम्पलगांव	0.60	1991/03	1997/03	1999/03	24	44.51	44.51	0	41.21	3.30
	ओ.सी.	एम.टी.वाई.									
	चंदरेपुर										
	महाराष्ट्र										
सेक्टर : सूचना एवं प्रसारण											
दि.दू.											
9.	टी.वी. विस्तार		1989/03	1994/03	1998/12	57	20.18	39.36	95	27.56	11.80
	मुंबई		1995/11	1996/03		33					
	महाराष्ट्र										
सेक्टर : पेट्रोकैमिकल्स											
आई.पी.सी.एल.											
10.	इथिलीन विस्तार	टी.पी.ए.	1992/05	1995/11	1998/09	34	177.58	177.58	0	131.54	46.04
	एम.जी.सी.सी.	एल.ए.सी.									
	नाबीथाने										
	महाराष्ट्र										
11.	होप पोलिथिलीन	टी.पी.ए.	1992/05	1995/11	1998/09	34	158.78	169.97	7	113.69	56.28
	एम.जी.सी.सी.	75000									
	नाबोथाने										
	महाराष्ट्र										
सेक्टर : पेट्रोलियम											
एच.पी.सी.एल.											
12.	एम.एस. मैवजी	बी.एस.डी.	1993/09	1996/06	1998/12	30	45.27	45.27	0	31.86	13.41
	माईजेशन	14000									
	मुंबई										
	महाराष्ट्र										
सेक्टर : रेलवे											
जी.सी.											
13.	गोंदिया चंदाफोर्ट	किमी.	1992/12	1996/12	1999/03	27	158.83	232.82	47	221.23	11.59
	द.पू.रे.	258.50	1994/04	1997/03		24	215.14				
	महाराष्ट्र						232.52				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एन.एल.											
14.	पनवेल करजात, के.रे. मुंबई महाराष्ट्र	किमी. 28.05	1996/02	1997/03	2002/12	69	89.00	106.89	20	0.95	20.00 (लगभग 85.94 करोड़ रु. 10वीं योजना में खर्च किया जाएगा)

परमाणु संरक्षा अनुसंधान संस्थान

3288. **श्री नरेश पुगलीया :**

डॉ. शकील अहमद :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में परमाणु संरक्षा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने कलपाक्कम, तमिलनाडु में एक "सुरक्षा अनुसंधान संस्थान" (एस. आर. आई.) की स्थापना की है। इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में परमाणु विद्युत संयंत्रों की र.क्ष" विकिरणात्मक तथा पर्यावरणीय सुरक्षा, अग्नि तथा औद्योगिक सुरक्षा से संबद्ध अनुसंधान के चुनिंदा पहलुओं पर कार्य किया जाएगा। "सुरक्षा अनुसंधान संस्थान" का मुख्य उद्देश्य, नियामक संबंधी निर्णय लेने से संबद्ध चुनिंदा क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी अनुसंधान-कार्य करना और उसे आगे बढ़ाना होगा। सुरक्षा अनुसंधान संस्थान, सुरक्षा संबंधी मुद्दों को हल करने के लक्ष्य वाले अनुसंधान कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए डिजायनरों, परिचालकों और नियामकों को एक साथ जोड़ेगा।

जल प्रबंधन कार्यक्रम

3289. **श्री अशोक नामदेव राव मोहोल :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार निर्माणाधीन उप-योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन कृषि योग्य कमान क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत लाए जाने की संभावना है;

(ग) उन पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई; और

(ङ) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत सरकार ने अधिक विश्वसनीय, पूर्वानुमेय और न्यायसंगत सिंचाई सेवा के प्रावधान के जरिए चुनिंदा स्कीमों में कृषि उत्पादकता तथा खेत आय बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 1987-88 में 93.2 मिलियन एस.डी.आर. (114.0 मिलियन अमेरिकी डालर के समकक्ष) की विश्व बैंक ऋण सहायता के साथ राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना शुरू की थी। राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के तहत कुल मिलाकर 11 सहभागी राज्यों में 114 स्कीमें शुरू की गई हैं जिनमें 5.529 मिलियन हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र शामिल है। राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना अब 31.3.1995 को समाप्त हो गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गन्ना अनुसंधान केन्द्र

3290. **श्री दत्ता मेघे :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में स्थित गन्ना अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा कितना आबंटन किया गया और वर्ष 1999-2000 के लिए कितना आबंटन किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) महाराष्ट्र में विभिन्न सेपटरों द्वारा

चलाये जा रहे गन्ना अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(i) क्षेत्रीय गन्ना तथा गुड़ अनुसंधान केन्द्र, कोल्हापुर।

(ii) केन्द्रीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र (म.फु.कृ.वि.), पाडेगांव।

(iii) वसन्तदादा चीनी संस्थान, मंजारी, जिला पुणे।

(iv) गन्ना नर्सरी तथा प्रदर्शन फार्म, देवलालीप्रवाड़ा, जिला अहमदनगर।

(v) केन्द्रीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर, अकोला।

(vi) क्षेत्रीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र, बसंत नगर, जिला परभणी।

(vii) गन्ना अनुसंधान केन्द्र, ढपोली, जिला रत्नागिरी।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मध्य क्षेत्र के लिए किया गया आबंटन इस प्रकार है :

(रु. लाख में)

		95–96	96–97	97–98	1999–2000 के लिए प्रस्तावित
(1)	अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना				
(i)	के.ग.अनु. केन्द्र, पाडेगांव	4.51	4.35	4.35	12.74
(ii)	क्षेत्रीय ग. तथा गुड़ अनु. के., कोल्हापुर	4.25	2.80	2.80	7.00
(2)	कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया आबंटन :				
	गन्ना विकास पर केन्द्र द्वारा आयोजित स्कीम	9.52	2.64	3.75	5.25

गन्ना आदि पर अनुसंधान केन्द्रों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता देने के लिए गन्ना विकास निधि से अनुदान सहायता दी जाती है। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, बसन्तदादा चीनी संस्थान, पुणे को 1997–98 के लिए 159.721 लाख रुपये तथा 1998–99 के लिए 32.13 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इस संस्थान को वर्ष 1998–99 में 158–951 लाख रुपये की राशि दी गई है। वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्र–वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

मुर्गी पालन

3291. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में मुर्गी पालन एवं पशु–धन विकास हेतु गैर–सरकारी संगठनों को ऋण/अनुदान के रूप में उपलब्ध की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गरीब लोगों को मुर्गी पालन हेतु अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने का है तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को दिए गए ऋणों को माफ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने महाराष्ट्र में कुक्कुट विकास और पशुधन विकास के लिए गैर–सरकारी संगठनों को कोई ऋण/अनुदान नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सुझाव

3292. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन करने हेतु कतिपय सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनम) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय

सतर्कता–आयोग (सी.वी.सी.) ने भ्रष्ट लोक–सेवकों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए एक उपयुक्त अधिनियम बनाए जाने की हिमायत की है जिस पर अभी विधि आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत नियम और कार्य विधियां बनाए जाने के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से मिला सुझाव वित्त–मंत्रालय के विचाराधीन है।

लोकतंत्र को मजबूत बनाना

3293. श्री के. सी. कोडयुया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1999 के दौरान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के उपाय पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन–किन राष्ट्रों ने भाग लिया; और

(ग) सम्मेलन से क्या निष्कर्ष निकले और सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। नेशनल इन्डोमेंट फार डेमोक्रेसी, वाशिंगटन के सहयोग से नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली और भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली द्वारा 14–17 फरवरी, 1999 तक नई दिल्ली में 'लोकतंत्र पर प्रथम सार्वभौमिक सम्मेलन' एक गैर–सरकारी सम्मेलन आयोजित किया गया।

(ख) चूंकि यह एक गैर–सरकारी सम्मेलन था इसमें भाग लेने वालों ने अपनी निजी हैसियत से इसमें भाग लिया, न कि अपने–अपने देशों के प्रतिनिधि के रूप में। ऐसा समझा जाता है कि 70 देशों के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) इस सम्मेलन में सरकार के सर्वाधिक स्वीकार्य रूप प्रजातांत्रिक मूल्यों और प्रजातंत्र की पुष्टि की गई। इस सम्मेलन से उन देशों में एक व्यापक नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई जो प्रजातांत्रिक विकास के विभिन्न चरणों में है।

विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के रूप में सरकार प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों का समर्थन करती है।

शीरा मूल्य

3294. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 1999 के "द इकोनॉमिक टाइम्स" में "शुगर आउटपुट सीज क्रैश इन प्राइसिंज ऑफ मोलैसेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा और शीरे के मूल्य के संरक्षण के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) वर्तमान चीनी मौसम (अक्तूबर से सितम्बर, 1998–99) के दौरान चीनी का प्रत्याशित उत्पादन 150 लाख मीटरी टन है, जिसमें महाराष्ट्र का अंशदान लगभग 52.50 लाख टन बनता है। चीनी कारखानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1997–98 मौसम के दौरान शीरे का मूल्य 30 से 292 रुपए प्रति क्विंटल था और चालू पेराई मौसम (10 फरवरी, 1999 तक) के दौरान यह 13 से 189 रुपए प्रति क्विंटल है। चूंकि चीनी का उत्पादन पिछले पेराई मौसम के दौरान 128 लाख मीटरी टन की तुलना में चालू पेराई मौसम (अक्तूबर से सितम्बर) के दौरान 150 लाख मीटरी टन होने की संभावना है, अतः शीरे की कीमत कम ही रहने की आशा है। इसके अलावा, दिनांक 10 जून, 1993 से शीरे को विनियंत्रित कर दिया गया है और इसे निर्यात के प्रयोजनार्थ खुले सामान्य लाइसेंन्स की श्रेणी में भी रखा गया है।

कावेरी जल-विवाद

3295. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कावेरी जल बंटवारे संबंधी विवाद को सुलझा लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बेसिन–राज्य ने पानी के कितने भाग का दावा किया है और वर्तमान में ये राज्य कितने पानी का उपयोग कर रहे हैं;

(ग) सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यह मुद्दा कब तक सुलझा लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) कावेरी नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद संघ सरकार द्वारा 2 जून, 1990 को गठित कावेरी जल विवाद अधिकरण के समक्ष निर्णयाधीन है। इस अधिकरण ने अब तक 25.6.1991 को एक अंतरिम आदेश दिया है। इस अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन की मानीटरिंग "कावेरी जल (अधिकरण के 1991 के आदेश और सभी अनुवर्ती संबंधित आदेशों का कार्यान्वयन) स्कीम, 1998" नामक स्कीम के अंतर्गत गठित और 11.8.1998 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कावेरी नदी प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

(घ) कावेरी जल विवाद अधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

हज तीर्थयात्री

3296. श्री एस. एस. ओवेसी: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मक्का–मदीना में हज तीर्थयात्रियों को ठहरने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए किये जा रहे प्रबधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ठहरने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए अपनाए जा रहे मापदंडों और निर्देशों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक तीर्थयात्री को कितना स्थान दिया जायेगा और वह मक्का–मदीना में हरम शरीफ से कितनी दूर होगा; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हज तीर्थयात्रियों से कितनी धन–राशि एकत्र की गई और ठहरने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) मक्का में भवनों का चयन भारत की राज्य हज समितियों द्वारा भेजे गए भवन चयन दलों द्वारा किया जाता है। दल का प्रत्येक सदस्य तीन सप्ताह की अवधि तक मक्का में ठहरता है और मुअल्लिमों, भूस्वामियों, पट्टाधारकों, एजेंटों तथा मुख्तारनामा धारकों द्वारा दिखाए गए भवनों का चयन किया जाता है, जद्दाह स्थित भारत का प्रधान कोंसलावास दूरी तथा भवनों की क्षमता को जांचने में उन्हें सहायता उपलब्ध कराता है।

मदीना में हज समिति का शिष्टमंडल भारतीय हाजियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए यात्री सेवा दलों के साथ एक करार सम्पन्न करता है।

विभिन्न श्रेणियों अर्थात् श्रेणी-I और श्रेणी-II भवनों के चयन का मानदंड हज समिति मुम्बई द्वारा निर्धारित किया गया है। मदीना में आवास के लिए केवल एक ही समान श्रेणी है।

श्रेणी-I के आवास में नए भवन होते हैं जिसमें चार से अधिक मंजिलों के लिए लिफ्ट सुविधा भी होती है। ये भवन हरम शरीफ से 600 कि. मी. की दूरी पर स्थित होने चाहिए।

श्रेणी-II के आवास हरम शरीफ से 1000 मी. की दूरी तक स्थित होते हैं। इस श्रेणी में हरम शरीफ से दूरी के अनुसार निम्नलिखित तीन उप–श्रेणियां होती हैं :

(i) हरम शरीफ से 0-800 मी. की दूरी पर

(ii) हरम शरीफ से 800-850 मी. दूरी के बीच

(iii) हरम शरीफ से 850-1000 मी. दूरी के बीच।

मदीना में निर्धारित प्रक्रिया इस प्रकार है :

30% यात्रियों को पहले रिंग रोड के भीतर ठहराया जाएगा।

25% यात्रियों को रिंग रोड़ पर और

45% यात्रियों को मस्जिद–ए–नब्वी से 750 मी. के इर्द–गिर्द।

मक्का में, प्रत्येक यात्री को 2.5 वर्ग मी. का आवास उपलब्ध कराया जाता है। मदीना में स्थानीय सरकार के निर्णय पर निर्भर करते हुए कुछ भवनों में यह स्थान 4 वर्ग मी. तक भी हो सकता है।

हज समिति, मुम्बई ने पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्रियों से एकत्रित की गई कुल राशि और आवास व्यवस्था पर हुए कुल व्यय के आकंडे नीचें दिए हैं :

		1996	1997	1998
		रुपए में	रुपए में	रुपए में
(क)	एकत्रित			
	राशि	242,76,12,305/	2,63,02, 78,470	35662,22,81
(ख)	व्यय की गई राशि	56,58,12,12125,/	73,81,88,603	103,64,04,837/

गत तीन वर्षों के दैरान व्यय की गई कुल राशि, जिसमें यात्रियों को विदेशी मुद्रा का भुगतान और अनिवार्य बकाया राशि इत्यादि भी शामिल है, इस प्रकार है :

1996	1997	1998
रुपए में	रुपए में	रुपए में
203,18,00,594/	2,58,83,67,194	अभी तक आंकड़े नहीं मिले हैं।

संवर्ग समीक्षा

3297. श्री पी. शंकरन: क्या **विदेश** मंत्री सह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में संवर्ग समीक्षा वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान पूरी की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक निर्णय

ले लिए जाने की आशा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राज्य): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी ऐसोशिएशन को दिसम्बर, 1998 में अवगत कराया गया था कि अधिमानतः लगभग दो महीने की अवधि के भीतर संवर्ग समीक्षा के संबंध में शीघ्र और निश्चित निर्णय लेने के प्रयास किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन की संवर्ग समीक्षा सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विशेषज्ञ समिति

3298. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल उत्पादकता संबंधी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई. सी. ए. आर.) की विशेषज्ञ समिति ने पंजाब और हरियाणा में फसलों के विविधीकरण की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने यह पाया कि धान और गेहूं के बुवाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है और गेहूं-धान फसल प्रणाली प्रमुख हो गई है। समिति ने अन्य फसलों, जैसे मक्का, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि के साथ विविधीकरण का सुझाव दिया है।

समिति ने ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर ग्रीष्मकालीन मूंग (60-65 दिन की फसल) की बुवाई करने तथा हरी खाद को लोकप्रिय बनाने एवं सब्जियों और फलों की खेती के साथ विविधीकरण का भी सुझाव दिया है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, पंजाब व हरियाणा की राज्य सरकारों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को यह रिपोर्ट विचारार्थ और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए मुहैया कराई गई है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार जो कृषि विकास के लिए केन्द्रक (नोडल) विभाग है, ने इन सिफारिशों को मानीटर करने तथा लागू करने के लिए एक विषय निर्वाचन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कृषि एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव (फसल) हैं तथा सदस्य, कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार, पंजाब व हरियाणा के कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से हैं। समिति ने सिफारिशों की मॉनीटरिंग तथा उन्हें लागू करने के लिए दिल्ली व चंडीगढ़ में बैठकें की हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान के योग्य मुद्दों पर तथा अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में विचार-विमर्श किया है तथा मक्का, दलहन, तिलहन, चारा व शाक फसलों और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान गतिविधियों में तेजी लाने पर विचार किया है।

प्रत्यर्पण सन्धि

3299. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत का निकट भविष्य में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत सरकार ने अब तक दस देशों (बेल्जियम, भूटान, कनाडा, हांगकांग, नेपाल, नीदरलैंड, रूस, स्विटरलैंड, यू. के., यू. एस. ए.) के साथ प्रत्यर्पण संधि संपन्न की है। तथा जिन 22 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि के पाठ को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत की प्रक्रिया चल रही है वे हैं-ब्राजील, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, कजाकस्तान, लिथुआनिया, मलेशिया, मारीशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, ओमान, पोलैंड, रोमानिया, स्पेन, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, उगान्डा और उक्रेन।

पुलिस उप अधीक्षकों की सीधी भर्ती

3300. श्री सत्यपाल जैन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नए भर्ती नियमों में पुलिस उप-अधीक्षक के स्तर पर सीधे रंगरूटों का प्रतिशत 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ग्रेड में सीधी भर्ती का मौजूदा कोटा 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत पुनः निर्धारित किए जाने के बारे में इस विभाग के प्रस्ताव के प्रति संघ लोक सेवा-आयोग की सहमति मांगी गई है। सरकार द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप सीधी भर्ती के कोटे का उपर्युक्त पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ऐसा कोई भी अभिवेदन नहीं मिला है जिसमें यह मुद्दा-विशेष उठाया गया हो।

[हिन्दी]

तेल प्रसंस्करण इकाई

3301. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन. सी. डी. सी.) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से तिलहन संघ (ऑयल सीड एसोसिएशन) द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन और सरसों पर आधारित तिलहन प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र कब स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या इस समय ये सभी संयंत्र कार्य कर रहे हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन और सरसों के प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिये तिलहन संघों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के लिए निधियां

3302. डॉ. सरोजा वी. : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की विभिन्न विकास योजनाओं की निधियां केन्द्र सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

फसल की बीमारियां

3303. श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :

श्री यू. वी. कृष्णमराजु :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फसलों की बीमारियों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने देश में फसलों की बीमारियों में ऐसी वृद्धि को रोकने के लिए क्या रणनीति तैयार की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) देश में फसल में रोग होने की घटनाओं की मानीटरिंग करने और फसल-रोगों को रोकने के लिए कार्यनीति तैयार करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न संगठन फसलों का नियमित सर्वेक्षण करते रहते हैं। इन्हीं सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप देश में .फसल रोगों को फैलने नहीं दिया जा रहा है।

समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें शामिल हैं :

प्रतिरोधी कल्टीवार्स, गुणवत्ता बीजों का प्रयोग तथा बेहतर सफाई जैव नियंत्रण और केवल आवश्यकता आधारित कीटनाशियों का प्रयोग जैसे कल्चरल विधियों का प्रयोग।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3304. श्री ए. सी. जोस : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमान-क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड-चैनल के निर्माण के लिए इस समय प्रति हेक्टेयर क्या हदबंदी तय की गई है;

(ख) क्या यह हदबंदी प्रत्येक राज्य पर लागू है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से इस हदबंदी को बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में फील्ड चैनल के निर्माण की प्रति हेक्टेयर वर्तमान उच्चतम लागत नीचे दिए गए अनुसार है :

राज्य		लागत
(i)	पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल और राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना	10,000 रु. प्रति हेक्टेयर जिसका वहन राज्य और केन्द्र द्वारा बराबर–बराबर आधार पर किया जाना है।
(ii)	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर राजस्थान, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।	6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर जिसका वहन राज्य और केन्द्र द्वारा बराबर–बराबर आधार पर किया जाना है।

उपर्युक्त (i) में उल्लिखित राज्यों के संबंध में इन क्षेत्रों में कठिन भू–भाग और अन्य विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से अधिक दर अनुमोदित की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। केरल सरकार ने जुलाई, 1996 में फील्ड चैनलों के निर्माण की लागत 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और अब (मार्च, 1999) 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस मामले में भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

3305. श्री के. एस. राव :

श्री यू. वी. कृष्णमराजु :

क्या **प्रधानमंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य में कुछ और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इनकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) आंध्र प्रदेश में 16 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं ?

(ख) और (ग) जी, हां। राज्य सरकार ने सात जिलों, अर्थात् नेल्लोर, प्रकाशम, आदिलाबाद, कृष्णा, खमन, निजामाबाद और कुडपा में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का आवेदन किया है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नवीं योजना के दौरान नेल्लोर, प्रकाशम और आदिलाबाद जिलों के अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए मौजूदा क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। शेष 4 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का कार्य इस प्रयोजन के लिए परिषद को अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

असम के लिये धनराशि

3306. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान असम के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) असम में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग के पास कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, योजना आयोग पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पूर्वोत्तर परिषद और जनजातीय उपयोजना सहित विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकार को उसके द्वारा कुछ क्षेत्रों में अनुभव की जा रही विशेष समस्याओं के समाधान में सहायता करता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय झंडे का जलाया जाना

3307. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री तारिक अनवर :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारतीय गणतंत्र दिवस परेड समारोह के दौरान भारतीय राष्ट्रीय झंडा जला दिया गया था;

(ख) क्या सरकार को इस घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) क्या ब्रिटेन की पुलिस ने उस समय कोई कार्यवाही नहीं की जब उनकी उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय झंडा जलाया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने इस संबंध में ब्रिटिश सरकार से कोई विरोध जताया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्रिटिश पुलिस ने पूछे जाने पर लंदन में भारत के हाई कमीशन को बताया है कि "दुर्भाग्य से यू. के. में किसी राष्ट्र ध्वज को जलाना अपराध नहीं है"।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन

3308. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

श्रीमती रीना चौधरी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कृषि उत्पादन में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उत्पादन में कितनी कमी आई है;

(ग) उक्त अवधि में कृषि उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य/उपलब्धि क्या रहे/रही; और

(घ) देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जलवायु की स्थिति में उतार-चढ़ाव के बावजूद कृषि उत्पादन में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति है। वर्ष 1996-97 के दौरान कृषि फसलों में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, किन्तु मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के कारण वर्ष 1997-98 के दौरान 5.8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। वर्ष 1998-99 के उत्पादन में लगभग 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान विभिन्न फसलों का लक्ष्य/उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(मिलियन मीटरी टन)

फसल समूह	1996-97		1997-98	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
खाद्यान्न	193.5	199.4	200.0	192.4
तिलहन	23.0	24.4	25.5	22.0
गन्ना	270.0	277.6	280.0	276.3
कपास×	13.0	14.2	14.8	14.0
पटसन और मेस्ता*	9.0	11.1	9.8	11.1

× प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें

* प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें।

(घ) विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार फसल विशिष्ट केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इनके अधीन क्वालिटी बीजों और स्थान विशिष्ट अधिक उपज देने वाली/संकर किस्मों के उपयोग, समेकित कृमि प्रबंध के प्रयोग, सूक्ष्म सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध के प्रचार, उन्नत कृषि उपकरणों आदि के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रभावी प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए कृषक और खेतिहर मजदूरों के प्रशिक्षण सहित किसानों की जोतों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय अभिशासन कार्यसूची के अधीन सरकार ने क्षेत्र विशिष्ट वृद्धि कार्यनीति अपनाकर, कृषि अवसंरचना के सृजन और संसाधनों के कुशल उपयोग के जरिए अगले दस वर्षों में खाद्य उत्पादन दोगुणा करने पर फिर से जोर दिया है।

[हिन्दी]

आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि

3309. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से देश इन गतिविधियों को समर्थन और संरक्षण प्रदान कर रहे हैं;

(ग) क्या इन गतिविधियों को रोकने के संबंध में इन देशों के साथ वार्ता हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) सरकार को उत्तर-पूर्व में हो रही आतंकवादी घटनाओं की

जानकारी है। रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि भारत के हितों के प्रति बैर–भाव रखने वाली एजेंसियों, विशेषकर पाकिस्तान द्वारा उत्तर–पूर्व में कुछ आतंकवादी समूहों की सहायता की जा रही है। इन समूहों द्वारा भूटान, म्यामांर तथा बंगलादेश सहित अन्य पड़ोसी देशों के क्षेत्र के दुरुपयोग की सूचना मिली है। सरकार इन पड़ोसी देशों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराती रही है। इन देशों ने इस संबंध में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इस मामले को पाकिस्तान के साथ भी उठाया गया है।

उत्तर–पूर्व राज्यों में विद्रोह की इन गतिविधियों का सामना करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन, संशोधित समन्वय और आसूचना में भागीदारी, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, केन्द्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात करना, सुरक्षा से संबंधित व्यय अदा करना, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करना तथा बड़े विद्रोही समूहों की 'गैरकानूनी संगठन के रूप में' अधिसूचित करना इत्यादि शामिल हैं। स्थिति पर नजर रखी जाती है तथा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का अधिकृत किया जाना

3310. श्री माधव राव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव इंडियन कांउसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स को अधिकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके वस्तुनिष्ठ कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1990 में इस विषय में जारी किया गया एक अध्यादेश उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अधिकार के परे रद्द कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) विदेश मंत्रालय से संबद्ध संसद की स्थायी समिति की जुलाई, 1998 की रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किए गए हैं कि 'जब तक सरकार भारतीय विश्व कार्य परिषद को अपने हाथ में नहीं लेती है, तब तक इस संस्था की स्थिति और बिगड़ती रहेगी'। इस समिति ने यह सिफारिश की है कि विदेश मंत्रालय को आगे आना चाहिए तथा सरकार द्वारा भारतीय विश्व कार्य परिषद् को अपने हाथ में लेने से संबंधित प्रस्ताव को फिर से लाने के प्रयास करने चाहिए। इस प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है।

(ग) और (घ) जून, 1990 में सरकार ने भारतीय विश्व कार्य परिषद आध्यादेश की घोषणा की जिसके आधार पर भारतीय विश्व कार्य परिषद को एक राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था के रूप में घोषित किया गया और इसे एक निगमित स्वायत्त निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तथापि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक–सदस्यीय जज पीठ ने अपने 10.9.1990 के निर्णय में इस अध्यादेश को संविधान के अधिकार से बाहर घोषित करने, संसद की क्षमता के बाहर और संविधान के अनुच्छेद 14,19 (i) (क) तथा 19 (i) (ग) के उल्लंघन संबंधी रिट याचिका की अनुमति दी।

लंबित वृहत् परियोजनाएं

3311. श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री विट्ठल तुपे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की 60 प्रतिशत वृहत् परियोजनाएं समय से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन परियोजनाओं की लागत में 50 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि की गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति के हल हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी 1999 तक 39 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाएं अद्यतन अनुमोदित अनुसूची के संदर्भ में निर्धारित समय से पीछे चल रही थीं।

(ग) 39 मेगा परियोजनाओं में से 12 की लागत में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

(घ) विलंब के कारण परियोजनावार भिन्न–भिन्न होते हैं। तथापि सामान्य तौर पर कारणों में शामिल है : भूमि अधिग्रहण में देरी, पर्यावरणीय तथा अन्य अनुमतियों की उपलब्धि में विलंब, अपर्याप्त निधियां, कार्य के ठेकों तथा पैकेजों को देने में देरी, सिविल ठेकेदारों की असफलता, उपकरणों की आपूर्ति में देरी तथा कानून और व्यवस्था की समस्याएं।

(ङ) कार्यान्वयन के दौरान परियोजनाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले ठीक उपाय, उन समस्याओं पर निर्भर करते हैं, जिनका सामना परियोजनाओं द्वारा किया जाता है। सामान्यतः किए जाने वाले मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) सरकार द्वारा मासिक तथा साथ ही तिमाही प्रबोधन। इससे

प्रबोधन करने वाले अभिकरण अवरोधों को चिन्हित करने तथा प्रबंधकों को उपचारात्मक उपाय करने में मदद करने में सक्षम हो पाते हैं।

(2) विलंब में कमी लाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ प्रगति की गहन विवेचनात्मक समीक्षा।

(3) अंतर–मंत्रालयी समन्वय।

(4) ठेका पैकेजों, भूमि अधिग्रहण का समाधान, तथा अन्य समस्याओं को शीघ्रता से अंतिम रूप देने हेतु अधिकृत समितियों का गठन।

(5) परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध करवाना।

भारत-श्रीलंका संबंध

3312. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन समझौतों की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच तीन करार संपन्न हुए हैं :

(i) भारत और श्रीलंका के बीच जनवरी, 1997 को निवेश संवर्धन और संरक्षण से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

(ii) श्रीलंका की सरकार को 150 लाख अमरीकी डालर की दूसरी किश्त उपलब्ध कराने के लिए जनवरी, 1999 में एक ऋण करार पर हस्ताक्षर हुए।

(iii) भारत और श्रीलंका के बीच दिस्वर, 1998 में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए एक करार पर हस्ताक्षर हुए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

झींगा उत्पादन

3313. श्री रवि सीताराम नायक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार झींगा का वार्षिक उत्पादन कितना रहा;

(ख) झींगा उत्पादन में अत्यधिक कमी होने के क्या कारण रहे; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में झींगा की मांग में वृद्धि को देखते हुए इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक के दौरान वार्षिक झींगा उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	झींगा उत्पादन (000 टन)
1995–96	331
1996–97	361 (अनन्तिम)
1997–98	362 (अनन्तिम)

(ख) उक्त अवधि के दौरान झींगा उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) झींगा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्य बातों के अलावा सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) खारा जल मत्स्य किसान विकास एजेंसियों के माध्यम से वैज्ञानिक झींगा पालन का विकास और झींगा उत्पादकों को तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार सहायता संबंधी पैकेज प्रदान करना;

(2) सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में एकीकृत झींगा फार्मों तथा बीज हैचरियों आहार मिल आदि जैसी समर्थन सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देना;

(3) प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करके मानव संसाधन विकास; और

(4) दिशा–निर्देश जारी करना जिसमें सतत खारा जल कृषि प्रणालियों इत्यादि के विकास और प्रबंधन के लिए उपाय विनिर्दिष्ट होंगे।

[हिन्दी]

सिंचाई सुविधाएं

3314. श्री शैलेन्द्र कुमार :

श्री कांतिलाल भूरिया :

कर्नल सोनाराम चौधरी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी राज्यों अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में लाखों एकड़ भूमि, जल संसाधनों की कमी, भू–जल के स्तर में गिरावट और पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण असिंचित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का अभाव है वहां कार्यनीति शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीति और कार्यक्रम शुरू किए हैं/करने का प्रस्ताव किया है। इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) का संशोधन, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जल की कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल का हस्तांतरण करने के वास्ते राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना, जल प्रबंधन पद्धतियां, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के कुशल और किफायती उपयोग को बढ़ावा देना, जल के विविध उपयोगों के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग और जल के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी सहित विभिन्न पद्धतियों के जरिए जल संरक्षण पर बल देना और केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण द्वारा भूजल के अतिदोहन को नियंत्रित करने के लिए नियामक उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा हाल ही में अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में सभी चल रही परियोजनाओं, विशेषकर उन परियोजनाओं को, जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पहले किए गए निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए पूरा करने के वास्ते सिंचाई विकास की एक कार्य नीति बनाई गई है। इस कार्य नीति को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा चल रही वृहद् एवं मध्यम सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करके सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996–97 में शुरू किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए. आई. बी. पी.) को नौवीं योजना में जारी रखा जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (सी. एल. ए.) को दर्शानेवाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता		
		1996–97	1997–98	1998–99 (आज तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	35.25	74.00	79.67
2.	असम	5.23	12.40	13.95
3.	बिहार	13.50	14.04	12.03
4.	गोवा	--	5.25	—
5.	गुजरात	74.773	196.90	217.71
6.	हरियाणा	32.50	12.00	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	6.50	2.50
8.	जम्मू और कश्मीर	1.30	—	—
9.	कर्नाटक	61.25	90.50	83.50
10.	केरल	3.75	15.00	—

1	2	3	4	5
11.	मध्य प्रदेश	63.25	114.50	85.50
12.	महाराष्ट्र	14.00	55.00	40.30
13.	मणिपुर	4.30	26.00	—
14.	उड़ीसा	48.45	85.00	31.25
15.	पंजाब	67.50	100.00	—
16.	राजस्थान	2.675	42.00	53.47
17.	त्रिपुरा	3.773	5.10	3.05
18.	तमिलनाडु	20.00	—	—
19.	उत्तर प्रदेश	43.50	78.00	46.50
20.	पश्चिम बंगाल	5.00	20.00	10.00
	कुल योग	500.00	952.19	679.43

वृहद् सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए राज्यों को ऋण सहायता मुहैया कराने के वास्ते भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996–97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया था।

क्षेत्र

1. ऐसा परियोजनाएं जिनकी लागत 500.00 करोड़ रुपए से अधिक हो और राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हों।

2. ऐसी परियोजनाएं जो निर्माण की उन्नत अवस्था में हों और जो थोड़े से अतिरिक्त संसाधनों से पूरी की जा सकें।

पात्रता

1. ऐसी परियोजनाएं जिन्हें योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

2. राज्यों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से बराबर हिस्सा दिया जाना है।

[अनुवाद]

कृषि विशेषज्ञता

3315. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रिका ने भारत से कृषि विशेषज्ञों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

हालांकि, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में, विशेषकर दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग संवर्धन इच्छा विषयक घोषणा का मसौदा प्राप्त हुआ है।

अपर कृष्णा प्रोजेक्ट

3316. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के चरण-I तथा II की पृथक–पृथक कुल अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या अपर कृष्णा प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस परियोजना के अंतर्गत अब तक विश्व बैंक से प्राप्त कुल कितनी ऋण राशि का उपयोग किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) अपर कृष्णा परियोजना की अनुमानित लागत इस प्रकार है :

चरण–I	—	1214.97	करोड़ रुपए (सितम्बर, 90 में अनुमोदित)
चरण–II	—	2786.17	करोड़ रुपए (राज्य द्वारा अप्रैल, 96 में प्रस्तुत)

(ख) जी, नहीं।

(ग) पूरा होने में विलंब के मुख्य कारण निधियों, पुनर्वास, पुनःस्थापना में आने वाली बाधाएं और अन्तर्राज्यीय समस्याएं हैं।

(घ) अपर कृष्णा परियोजना चरण–I वर्ष 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है और चरण–II अनुमोदित परियोजना होने के कारण इसके नौवीं योजना के बाद पूरा होने की संभावना है।

(ङ) इस परियोजना पर लगभग 292 मिलियन अमेरिकी डालर राशि की विश्व बैंक सहायता का पहले ही उपयोग किया जा चुका है।

हज हाउस

3317. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज्य–वार कितने हज हाउसों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या हज यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर ये हज हाउस पर्याप्त नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में और हज हाउस के निर्माण का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन हज हाउसों में मुहैया करायी गयी सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो इन हज हाउसों में मुहैया करायी गयी सुविधाओं का स्तर सुधारने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्रीय सरकार ने भारत में कहीं भी कोई हज हाउस नहीं बनाया है। तथापि हज समिति मुंबई ने मुंबई में एक हज हाउस बनाया है। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल और गुजरात की राज्य हज समितियों ने हज समिति मुंबई से कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त करके क्रमशः कलकत्ता और अहमदाबाद में अपने हज हाउस बनाए हैं।

(ख) मुंबई स्थित हज हाउस मुंबई से सऊदी अरब की हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त तीनों हज हाउसों में उपलब्ध सेवाएं पर्याप्त बताई जाती हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उद्यम पूंजी निधि

3318. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक सौ करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि (वेंचर कैपीटल फंड) लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग 100 करोड़ रु. की एक उद्यम पूंजी निधि स्थापित कर रहा है। उद्यम पूंजी विश्वभर में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के विकास में एक महत्त्वपूर्ण प्रेरक रही है। इस निधि को स्थापित करने का उद्देश्य, भारत में सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में छोटे व मध्यम उद्यमों (एस. एम. ई.) को बढ़ावा देना है।

दुग्ध पाउडर का आयात

3319. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से दुग्ध पाउडर का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान आपूर्तिकर्ताओं देशों/एजेंसियों के नाम और आयात की मात्रा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आयातित दुग्ध पाउडर उच्च गुणवत्ता वाला है, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) संबंधित विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसके प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीजा मंजूर करना

3320. श्री अर्जुन सेठी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने देश के शीर्ष वैज्ञानिकों को वीजा न देने की कार्रवाई वापिस ले ली है;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले पर दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर हुई चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जुलाई, 1998 में अमरीका के गैथर्सबर्ग, मैरीलेंड के अमरीकी नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ स्टेंडर्डस् एण्ड टेक्टनॉलाजी में कार्य कर रहे सात भारतीय वैज्ञानिकों को अपना काम बंद करने तथा अमरीका छोड़ने के लिए कहा गया। इस प्रकार की कार्रवाई एन. आई. एस. टी. में कार्य कर रहे अन्य 23 वैज्ञानिकों के मामले में नहीं की गई।

बाद में अमरीकी प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई भारत के वैज्ञानिकों के लिए सामान्य प्रतिबंध नहीं है, अपितु संस्थाओं के उन शोधकर्ताओं पर है, जिन्हें अमरीका यह मानता है कि वे भारत के नाभिकीय तथा प्रक्षेपास्त्र कार्य में शामिल हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार का विचार यह है कि अवपीड़क और एकपक्षीय उपाय चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो अथवा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अवांछित है। सरकार वीजा देने से इंकार करने और कतिपय भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसंधान परियोजनाओं को समाप्त करने के अमरीका के निर्णय को अनुचित मानती है। हम वीजा देने से इंकार करने और उसे रद्द करने संबंधी किसी लक्षित नीति विशेष कर जो वैज्ञानिक आदान–प्रदान तथा क्रियाकलाप में आड़े आती है, से सहमत नहीं है।

इस मामले की अमरीकी सरकार के साथ उठाया गया है, जिसमें हाल की द्विपक्षीय बातचीत भी शामिल है। अब तक अमरीका के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

[हिन्दी]

समीक्षा समिति गठित करना

3321. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंचवर्षीय योजना के समय पर पूरा नहीं होने और कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की बढ़ती लागत और समय सीमा के कारणों के विश्लेषण हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति ने सरकार को क्या सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पूरे न होने की समीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की लागत और समय में बढ़ोत्तरी का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की स्थायी समितियों की एक क्रियाविधि है :

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ऐसे प्रत्येक मामले में जहां परियोजना लागत में बढ़ोत्तरी 20 प्रतिशत से अधिक हो और उसके साथ ही समय भी 10 प्रतिशत से अधिक लगा हो (अथवा समय और लागत में बढ़ोत्तरी के कोई अन्य ऐसे मानदण्ड हों जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गए हों), संशोधित लागत अनुमान सरकार के अनुमोदनार्थ तभी प्रस्तुत किया जाए जब लागत और समय अधिक लगने के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा चुका हो। तदनुसार, योजना आयोग ने इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु एक क्रियाविधि तैयार की है और अनुपालन हेतु वह सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वित्तीय सलाहकारों में परिचालित की गई है।

[अनुवाद]

बटर ऑयल का आयात

3322. डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वटर ऑयल के आयात का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996–97 और 1998 के दौरान अलग–अलग आयात किए गए बटर ऑयल की कुल मात्रा क्या है;

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान आयात किए जाने वाले बटर ऑयल की कुल प्रस्तावित मात्रा क्या है;

(घ) किन–किन देशों से बटर ऑयल का आयात किया जा रहा है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) बटर ऑयल का आयातित ओ. जी. एल. के अधीन है। बटर ऑयल के आयात के संबंध में इस विभाग के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

अप्रैल, 1996 से मार्च, 1997 की अवधि के लिए बटर ऑयल के आयात की कोई रिपोर्ट नहीं है। अप्रैल, 1997–मार्च, 1998 तथा अप्रैल, 1998–सितम्बर, 1998 के दौरान आयाति बटर ऑयल का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :

	देश का नाम	अप्रैल 1997–मार्च 1998 मात्रा (किलोग्राम)	अप्रैल 1998–सितम्बर 1998 मात्रा (किलोग्राम)
1.	आस्ट्रेलिया	289400	211000
2.	नीदरलैंड	260	–
3.	न्यूजीलैंड	3170200	1791120
	यू. एस. ए.	784	–
	कुल	3460644	2002120

ईराक और क्यूबा को सहायता

3323 : श्री टी. गोविन्दन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, ईराक और क्यूबा के लोगों को सहायता देता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन देशों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटैक) के अन्तर्गत ईराक और क्यूबा को सहायता दे रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन दोनों देशों को दी गई इस सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान आईटैक कार्यक्रम के अन्तर्गत इराक और क्यूबा को भारत द्वारा दी गई सहायता का विवरण

इराक

I. असैनिक प्रशिक्षण

भारत ने विगत तीन वर्षों के दौरान समाचार एजेंसी पत्रकारिता, कम्प्यूटर सोफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, बैंकिंग, उत्पादन प्रबंध, मानकीकरण, पाठ्यक्रम अभिकल्प एवं अनुदेशात्मक सामग्री विकास, ग्रामीण विकास, शहरी विकास प्रबंध, मानव संसाधन आयोजना एवं प्रबंध, वरिष्ठ अधिशासियों के लिए प्रबंध विकास, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण, लेखा परीक्षा, राजनय, लघु उद्योग वित्त पोषण, प्रशिक्षण प्रणाली एवं कौशल, व्यवसाय सलाहकार प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास, वस्त्र परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, शैक्षणिक आयोजना एवं प्रशासन इत्यादि सहित विविध क्षेत्रों में इराकी अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए ईराक को 100 स्लाटों का आबंटन किया।

II. अध्ययन दौरे

विगत तीन वर्षों के दौरान आईटैक कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित यात्राओं का वित्तपोषण किया गया :

1. 11.1.96 से 18.1.96 तक भारत में विभिन्न चिकित्सा प्राधिकारियों के साथ विचार–विनियम करने के लिए इराक से दो चिकित्सकों तथा एक भेषजज्ञ का एक दल भारत की यात्रा पर आया। इस दल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, कुष्ठ संस्थान, आगरा, रैनबैक्सी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र गुड़गांव, डाबर अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, गाजियाबाद इत्यादि का दौरा किया।

2. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के एक 4 सदस्यीय भारतीय दल ने 30.11.96 से 8.12.96 तक इराक की यात्रा की। इस दल ने इराक के कृषि मंत्रालय के प्राधिकारियों से बातचीत की और कृषि संबंधी विभिन्न स्थानों का दौरा किया।

3. कृषि उपमंत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक शिष्टमंडल ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भा.कृ.अं.सं., नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, पी.ए.यू., लुधियाना और सी.ए.जैड.आर.आई., जोधपुर इत्यादि के साथ परस्पर बातचीत करने के लिए 26.4.97 से 6.5.97 तक भारत की यात्रा की।

4. अर्थशास्त्रियों/सांख्यिकीविदों के एक 3 सदस्यीय भारतीय दल ने 11.5.97 से 16.5.97 एक सप्ताह की अवधि के लिए ईराक की यात्रा की।

III. आपदा राहत के लिए सहायता

1995–96 (1) भारतीय जनसेवी उपक्रम द्वारा ईराक को भेजी गई राहत सहायता पर 10.82 लाख रुपये का हवाई भाड़ा भारत–सरकार द्वारा वहन किया गया;

(2) 56 मी. ट. चाय–50 लाख रुपये

(3) दवाइयां और फार्मास्यूटिक्लस–2.85 लाख रुपए

(4) 1000 मी. ट. गेहूं–65.75 लाख रुपये

1996–97 (1) दुग्ध–चूर्ण, शिशु आहार–50 लाख रुपए।

(2) चिकित्सा उपकरण और यंत्र–150 लाख रुपए।

1998–99 स्कूल के लिए लेखन–सामग्री–50.67 लाख रुपए।

क्यूबा

I. असैनिक प्रशिक्षण

भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान राजनय, द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान, मिल–प्रबंधन, कम्प्यूटर–सॉफ्टवेयर, मानकीकरण, जैव–चिकित्सा संबंधी उपकरण, ग्रामीण विकास, शहरी–विकास प्रबंध, उत्पादन प्रबंध, मानव संसाधन आयोजना और प्रबंध वस्त्र गुणवत्ता नियंत्रण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्यूबा के नामित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्यूबा को 60 स्लॉट प्रदान किए।

II. अध्ययन दौरे

कार्यकारी सचिव और शर्करा के प्रथम उपमंत्री के सलाहकार श्री एल्डो ब्लेंकों के नेतृत्व में क्यूबा का एक चार–सदस्यीय शिष्टमंडल शर्करा उत्पादन और इसकी मशीनरी के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए 13 से 25 फरवरी, 1994 तक भारत आया।

III. परियोजनाएं और परियोजना से संबंधित सहायता

1995–96 में सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद (उ. प्र.) द्वारा 58.65 लाख रुपए की लागत पर 10 कि. वाट का सौर

फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। 1997 में 1.42 लाख रुपए के अतिरिक्त पुर्जों की भी आपूर्ति की गई।

IV. **सैन्य प्रशिक्षण**—1995–96 में एक एन.डी.सी. स्लाट का उपयोग किया गया।

V. **आपदा राहत के लिए सहायता**— 1996–97 में 5 लाख रुपए की दवाइयों की आपूर्ति की गई।

कम्प्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले अपराधों से संबंधित विधेयक

3324. श्री अमन कुमार नागरा : क्या **इलैक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले अपराधों से संबंधित विधेयक ऐसे मामलों की जांच हेतु पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए वैधानिक ढांचे का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक में कम्प्यूटर अपराधों, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर डेटाबेस के अनधिकृत प्रयोग तथा कम्प्यूटर के मूल स्रोत के दस्तावेजों में हेरफेर, इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी जैसे अपराधों तथा अन्य किस्म के कम्प्यूटर अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान भी किया गया है।

(ग) और (घ) विधेयक जब कानून का रूप ले लेगा तब कार्रवाई करना संभव होगा।

पाकिस्तान को उत्तरी कोरिया का सहयोग

3325. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री ए. सी. जोस :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 1999 के अंग्रेजी दैनिक 'द पायोनियर' में 'चाईना नोर्थ कोरिया एडिड पाक सी. आई. ए.' शीर्षक से छपी खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचारों के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान का गौरी प्रक्षेपास्त्र उत्तर कोरिया की 800 मील तक मार करने की क्षमता वाले नौडान्डा प्रक्षेपास्त्र का ही एक रूपांतरित रूप है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी स्थानांतरित न किये जाने हेतु उत्तर कोरिया को सूचित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने उपर्युक्त खबरें देखी हैं जो अमरीका की केन्द्रीय आसूचना एजेंसी की इस रिपोर्ट पर आधारित हैं कि कोरिया जनतांत्रिक लोक गणराज्य ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में सहायता प्रदान की है।

(ग) यह बात व्यापक रूप से मान्य है कि गौरी प्रक्षेपास्त्र कोरिया जनतांत्रिक लोक गणराज्य के नोदोंग प्रक्षेपास्त्र का पाकिस्तानी स्वरूप है।

(घ) सरकार ने कोरिया जनतांत्रिक लोक गणराज्य की सरकार का ध्यान इन खबरों की ओर आकर्षित किया है तथा ऐसे कार्यक्रम में कोरिया जनतांत्रिक लोक गणराज्य की भागीदारी के प्रति भारत की चिन्ता जताई गई है जिसका भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

परमाणु युद्ध

3326. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल ऑन फोरेन रिलेशन्स की एक स्वतंत्र टास्कफोर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि भारत और पाकिस्तान परस्पर परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) सितम्बर, 1998 में बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन एण्ड द काउन्सिल ऑन फोरन रिलेशन्स द्वारा–सह–प्रयोजित "भारत और पाकिस्तान के प्रति अमरीकी नीति" पर स्वतंत्र कार्यबल की रिपोर्ट में भारत को अमरीका के महत्त्वपूर्ण सामरिक साझेदार के रूप में स्वीकार किया गया है और यह कहा गया है कि भारत के पास अगली शताब्दी में एशिया में बड़ी शक्ति बनने की क्षमता है। अन्य बातों के साथ–साथ रिपोर्ट में इस "बढ़ती हुई संभावना" का भी उल्लेख है कि दक्षिण एशिया में किसी संघर्ष में उद्देश्य से अथवा अकस्मात् नाभिकीय हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि इस मूल्यांकन को सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नहीं है कि अमरीका और सोवियत संघ के बीच जिस तरह नाभिकीय निवारक स्थिरता बनी रही थी, आगे भी बनी रहेगी। कार्यदल रिपोर्ट के सह–प्रयोजक स्वतंत्र विचारक हैं।

(ख) बताया जाता है कि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि भारत की सोच अक्रामक नहीं है। 21 फरवरी, 1999 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच हस्ताक्षरित ऐतिहासिक लाहौर घोषणा के मध्यम से दोनों सरकारें नाभिकीय हथियारों के आकस्मिक अथवा अनधिकृत प्रयोग के जोखिम को कम करने और संघर्ष से बचने के उद्देश्य से नाभिकीय और पारस्परिक क्षेत्रों में विश्वास पैदा करने के लिए तत्काल उपाय करने पर सहमत हुई।

सरकारिया आयोग

3327. **श्री रंजीब बिस्वाल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारिया आयोग ने कुछ कृषि विभागों की राज्यों को स्थानान्तरित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारिया आयोग के अनुशंसाओं की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

क्रायोजेनिक इंजन

3328. **डॉ. रवि मल्लू :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी अन्तरिक्ष एजेंसी 'ग्लेवकॉस्मॉस' से अनुबंधित प्रथम छह क्रायोजेनिक इंजन भारत पहुंच चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रायोजेनिक इंजन जी. एस. एल. वी. की तीसरी और महत्त्वपूर्ण स्टेज में 12 टन दबाव उत्पन्न करेगा;

(घ) क्या 49 मीटर लम्बे और 402 टन भार वाले जी. एस. एल. वी. से भारत कक्षा में 36000 किमी. की ऊंचाई पर 2.5 टन भार के उपग्रह छोड़ सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो रूस से अन्य क्रायोजेनिक इंजन कब तक भारत पहुंच जाएंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) और (ङ) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ग्लेवकॉस्मॉस, रूस के बीच संशोधित करार के अनुसार ग्लेवकॉस्मॉस को प्रमोचन से पहले भूमि पर उपयोग के लिए एक प्रौद्योगिकीय मॉक–अप, क्रायोजेनिक चरण के भरण परीक्षणों के लिए एक प्रणोदक भरण मॉक–अप तथा 7 उड़ान चरणों की आपूर्ति करनी है। अभी तक प्रौद्योगिकीय मॉक–अप और प्रणोदक भरण मॉक–अप और एक उड़ान चरण भारत में प्राप्त हो गये हैं। प्रथम उड़ान चरण सितम्बर, 1998 में प्राप्त हुआ है। शेष चरणों के प्रत्येक 6 महीने में तैयार होने की आशा है।

(ग) क्रायोजेनिक इंजन में भुतूल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी. एस. एल. वी.) के तृतीय और महत्त्वपूर्ण चरण में लगभग 12 टन प्रणोदक भरा जाता है और यह 7.5 टन का प्रणोद उत्पन्न करता है।

(घ) जी. एस. एल. वी. प्रारंभिक विकासात्मक उड़ानों में लगभग 1600 कि.ग्रा. भार के अन्तरिक्षयानों को भू–स्थायी अन्तरण कक्षाओं (175×36000 कि.मी.) में ले जाएगा। इस क्षमता को प्रचालनात्मक उड़ानों में 2000 कि.ग्रा. श्रेणी तक क्रमिक रूप में बढ़ाया जायेगा।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि

3329. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा संसद सदस्यों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. पी. एल. ए. डी. एस.) के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही धनराशि उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों को भेजी जाने वाली रोजगार आश्वासन योजना, विश्व बैंक योजनाओं और अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में संसद सदस्यों के लिए अलग से कोई कोटा निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजनाओं को कब तक घोषित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) संसद में सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का आबंटन प्रति वर्ष एक करोड़ रु. से बढ़ाकर प्रति सांसद दो करोड़ रु. प्रति वर्ष कर दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वीजा संबंधी नीति

3330. **डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :**

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों के लोगों के लिए वीजा जारी करने से संबंधित कोई समरूप वीजा नीति तैयार की है;

(ख) भारत का कितने पड़ोसी देशों के साथ बिना वीजा के मुक्त प्रवेश का संबंध है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु कुछ अन्य देशों को मुक्त प्रवेश की सूची में जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन देशों के साथ इस क्षेत्र में वार्ता चल रही है; और

(च) भारत सरकार के इन प्रस्तावों के प्रति इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सरकार पारस्परिक संबंध सहित सभी संबद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ वीजा नीति निर्धारित करती है।

(ख) भारत को दो पड़ोसी देशों में वीजा मुक्त प्रवेश प्राप्त है--भूटान और नेपाल।

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आलू और प्याज की कीमतों में वृद्धि

3331. श्रीमती कैलाशो देवी :

श्री नादेन्दला भास्कर राव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आलू और प्याज की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि के कारणों का पता लगाने तथा दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए कोई समिति या आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फलों, सब्जियों और गौण फसलों के अनुमान के लिए सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(च) इससे जानकारी एकत्र करने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान आलू और प्याज के मूल्य सामान्य रहे। तथापि, प्रतिकूल मौसमी स्थिति के कारण उत्पादन में गिरावट आ जाने से वर्तमान वर्ष की कमी वाली अवधि में उनके मूल्य बढ़ गए। कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ग) से (च) भारत सरकार 14 फसलों को शामिल करते हुए 10 राज्यों में पॉयलट आधार पर फलों, सब्जियों और गौण फसलों के लिए फसल अनुमान सर्वेक्षण की स्कीम कार्यान्वित कर रही है। राज्यों/फसलों के संबंध में कवरेज सीमित होने के कारण फलों और सब्जियों का अखिल भारतीय अनुमान लगाना संभव नहीं हो सका है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 32.75 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय पर सभी महत्त्वपूर्ण फसलों को शामिल करते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्कीम को क्रियान्वित करने का विचार किया गया है।

स्कीम के व्यापक क्रियान्वयन पर फलों, सब्जियों और गौण फसलों के क्षेत्र, उपज और उत्पादन का अखिल भारत आधार पर अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना

3332. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली दुग्ध योजना का दूध उपलब्ध न होने के कारण जनता को अपनी जरूरतें पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो दूध की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध न होने के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और अभी इसकी कितनी क्षमता का प्रयोग हो रहा है;

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना संयंत्र की पूर्ण क्षमता के प्रयुक्त न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) आपूर्ति के वर्तमान स्तर से इसकी उत्पादन क्षमता के स्तर तक आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) दिल्ली में दूध की आपूर्ति दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी सहित विभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही है। यद्यपि दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन 4 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करती है। उपभोक्ताओं की मांग को अन्य संगठनों द्वारा पूरा किया जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना की क्षमता दिल्ली के नागरिकों की मांग से काफी कम है।

(ग) संयंत्र की वर्तमान स्थापित क्षमता 5.00 लाख लीटर प्रतिदिन है और इसका वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना, उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता से उत्पादन संचालित करती है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर मुद्दा

3333. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री ए. सी. जोस :

श्री एच. पी. सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस ने हाल ही में अलग–अलग वक्तव्य में कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया है;

(ख) क्या फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका के बीजिटिंग वक्ताओं ने कश्मीर को द्विपक्षीय मामला बताते हुए इसे 1972 के शिमला समझौते के अधीन सुलझाने की बात कही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन दोनों देशों ने पहली बार कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए जम्मू–कश्मीर मामले में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध किया है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) दक्षिण अफ्रीका और फ्रेंच नेताओं ने अभी हाल ही में कहा है कि जम्मू और कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विचार–विमर्श का मामला है। यह विचार उनके द्वारा पहले ही व्यक्त किए जा चुके हैं।

जबलपुर भूकम्प कोष

3334. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने हाल की एक रिपोर्ट में जबलपुर भूकम्प कोष से करोड़ों रुपये के दुर्विनियोग का रहस्योद्घाटन किया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय अनियमितताओं और उक्त भूकम्प कोष से दुरुपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और सरकार ने कुल कितनी भूकम्प राहत और धनराशि प्रदान की है; और

(ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के प्रकाश में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1997–98 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली दुग्ध योजना की क्रेटें

3335. **श्री सतनाम सिंह कैंथ :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध आपूर्ति किए जाने वाले क्रेटों के गंदे होने के कारण कभी भी कोई बीमारी पैदा हो सकती है और दिल्ली में महामारी का रूप ले सकती है;

(ख) दूध आपूर्ति किए जाने वाले क्रेटों की सफाई न होने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही क्या है; और

(घ) सरकार का दूध आपूर्ति किए जाने वाले क्रेटों की सफाई करने को प्राथमिकता देते हुए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) क्रेट, क्रेट वाशर का प्रयोग करके साफ किए जाते हैं। दूध के कड़े जमाव वाले क्रेटों को अलग किया जाता है तथा उन्हें अलग से हाथ के प्रेशर से/उच्च दाब वाले वाटर नोजल का प्रयोग करके साफ किया जाता है। कभी–कभी प्रक्रिया में यांत्रिकी खराबी के कारण ठोस दूध जमाव वाले कुछ क्रेट छूट सकते हैं। तथापि, दुग्ध क्रेटों के माध्यम से महामारी फैलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि क्रेट मुख्य रूप से दूध की थैलियों को रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं तथा दूध प्लास्टिक के क्रेटों की सतह से बिल्कुल भी सम्पर्क में नहीं आता है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ क्रेट वाशर को लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

बिहार के लिए धन

3336. **श्री एच. पी. सिंह :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार को आबंटित कुल धनराशि में से कितना धन खर्च हुआ और किन–किन शीर्षों में यह राशि खर्च हुई;

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में आवश्यक आंकड़े सौंप दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार से इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उपलब्ध कराई गई धनराशि के पूर्णतः खर्च नहीं होने की स्थिति में बची हुई राशि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नियत की जाने वाली धनराशि के साथ जोड़ दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) बिहार की नौवीं योजना (1997–98 से

2001–02 तक) के लिए 16,680 करोड़ रु. (1996–97 की कीमतों पर) का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें राज्य के अपने संसाधनों से 6512.65 करोड़ रु. तथा केन्द्रीय सहायता से 10167.35 करोड़ रु. समाविष्ट हैं।

(ख) बिहार सरकार द्वारा यह बताया गया है कि 1997–98 की वार्षिक योजना के लिए 2268.42 करोड़ रु. के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले, इस अवधि के दौरान किया गया व्यय 1663.87 करोड़ रु. का है। यह व्यय कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग एवं खनिज, परिवहन एवं संचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य आर्थिक सेवाएं तथा सामाजिक सेवाएं शीर्षों के अन्तर्गत किया गया।

(ग) मौजूदा कार्यविधि के अनुसार, राज्य सरकार से योजना के समनुरूप वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर योजना व्यय के संबंध में आवश्यक सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(घ) जी, नहीं।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री द्वारा विषवमन

3337. श्री तारिक अनवर :

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने हाल ही में इस्लामाबाद गए भारतीय संसद सदस्यों को दिए गए एक भोज में भारत के विरुद्ध भाषण देकर विषवमन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जंग ग्रुप के समाचार–पत्रों द्वारा आयोजित भारत, पाकिस्तान संसदीय संमेलन में भाग लेने के लिए 12–13 फरवरी, 1999 को पाकिस्तान की यात्रा पर गए भारतीय सांसदों को संबोधित किया था। विदेश मंत्री ने भारत पर अनेक आरोप लगाए थे। उन्होंने उन मुद्दों के संबंध में भारत की नीतियों की आलोचना की जिन पर ठोस वार्ता प्रक्रिया के अंश के रूप में चर्चा की जा रही है।

ठोस वार्ता प्रक्रिया का उद्देश्य सद्‌भावना और विश्वास बनाना पारस्परिक लाभप्रद सहयोग के स्रोतों का पता लगाना और बकाया मामलों पर बातचीत करना है। वार्ता प्रक्रिया के प्रथम चक्र के दौरान भारत ने विचाराधीन सभी विषयों पर यथोचित, व्यावहारिक और वास्तविक प्रस्ताव पेश किए थे। सरकार को आशा है कि पाकिस्तान की सरकार इन प्रस्तावों पर सकारात्मक उत्तर देगी।

विदर्भ-मराठवाड़ा के लिए विकास बोर्ड

3338. श्री जोगेन्द्र कवाडे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 1994 में महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बोर्ड के गठन के समय राज्य में विकास संबंधी कार्य बचा पाया था;

(घ) यदि हां, तो विकास के कुल बचे कार्य से संपूर्ण किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में समाप्त किए जाने वाले विकास संबंधी बचे कार्य का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) संविधान की धारा 371(2) के अधीन विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए 1994 में तीन विकास बोर्डों की स्थापना की गई थी ताकि, राज्य की समग्र आवश्यकताओं के अधीन, उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए विकासात्मक व्यय हेतु निधियों का उचित आबंटन सुनिश्चित हो सके तथा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं में रोजगार के लिए समुचित अवसरों और तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था हो सके। क्षेत्र–वार/क्षेत्र–कवार असंतुलन का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा गठित सूचक और बैंकलॉग समिति ने महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र के लिए, 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार 6961.02 करोड़ रुपये के वित्तीय बैंकलॉग का अनुमान लगाया है।

भारतीय राजदूत की नजरबंदी

3339. श्री रवि सीताराम नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अगस्त, 1998 को इस्लामाबाद में भारतीय राजदूत और उसके पुत्र को नजरबंद किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों से कड़ा विरोध व्यक्त किया है;

(ग) इस नजरबंदी के क्या कारण थे;

(घ) क्या पाकिस्तान ने पहले भी भारतीय राजदूत को नजरबंद किया था; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल न हो, क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत

सिंह) : (क) से (ङ) जी, नहीं। 14.8.98 को इस्लामाबाद स्थित हमारे मिशन के किसी भी कर्मचारी के अपहरण और अवैध रूप से नजरबंद किए जाने की न तो कोई घटना घटी, न ही हमारे मिशन कर्मचारियों के परिवार के किसी सदस्य के अपहरण अथवा अवैध रूप से नजरबंदी की कोई घटना हुई।

विगत में पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों द्वारा इस्लामाबाद में हमारे मिशन के कर्मचारियों के अपहरण और अवैध रूप से नजरबंदी की घटनाएं होती रही है। ऐसे अवसरों पर सरकार ने तीव्र विरोध प्रकट किया है तथा पाकिस्तान से सभी आवश्यक कदम उठाकर कार्मिकों के साथ व्यवहार से संबंधित द्विपक्षीय आचरण नियम तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रावधानों का पालन करने के लिए कहा, ताकि इस्लामाबाद में हमारे मिशन कार्मिकों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित की जा सके।

समुद्र के जल स्तर में वृद्धि

3340. श्री गोरधन भाई जादवभाई जावीया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1999 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "स्टडी बलेम्स इंडस्ट्री फॉर सी वाटर इंट्रयूजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या तटीय क्षेत्रों के कृषि क्षेत्रों तथा गुजरात के कच्छ जिले में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप किसान उन क्षेत्रों को छोड़कर जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में कच्छ जिले में उद्योगों द्वारा भू-जल के अधिक दोहन के कारण समुद्री जल में अनुचित हस्तक्षेप (सी वाटर इंट्ररूजन) का उल्लेख है;

(ग) जी, हां। सौराष्ट्र तथा कच्छ जिलों के तटीय क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है।

(घ) सौराष्ट्र तथा कच्छ के तटीय क्षेत्रों में लवणता प्रवेश की समस्याओं का अध्ययन करने तथा इनका सामना करने के उपायों की सिफारिश करने के वास्ते गुजरात सरकार (नर्मदा जल संसाधन एवं जल आपूर्ति विभाग, गुजरात) ने वर्ष 1996 और 1998 में क्रमशः उच्च स्तरीय समिति-I तथा II की नियुक्ति की। जैसा कि इन समितियों ने सिफारिश की, वर्ष 1980 से लवणता प्रवेश संबंधी रोकथाम कार्य शुरू किए गए थे। लवणता नियंत्रण तकनीकों के अन्तर्गत, जवारीय नियंत्रकों, बनधाराओं तथा स्थायी अवरोधकों का निर्माण किया गया है। अब तक 13942 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार करने के लिए 214 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा अपराह्न बारह बजे पुनः समबेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

(व्यवधान)

मध्याह्न 12.¼ बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए। माननीय सदस्यो, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। **डॉ. मुरली मनोहर जोशी।**

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें, तथा पश्चिम बंग राज्य प्राथमिक शिक्षा उन्नयन संस्था, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके लेखा परीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : उपाध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2694/99]

(2) (एक) पश्चिम बंग राज्य प्राथमिक शिक्षा उन्नयन संस्था, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग राज्य प्राथमिक शिक्षा उन्नयन संस्था, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2695/99]

[अनुवाद]

इलैक्ट्रोनिक्स विभाग की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2696/99]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2697/99]

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एंक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2698/99]

परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें तथा इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2699/99]

(2) इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन/लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2700/99]

*(व्यवधान)**

यू. पी. प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की वर्ष 1994-95 और 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, उसका वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके लेखापरीक्षित लेखे इत्यादि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) यू. पी. प्रोजक्ट्स एण्ड टयूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1994–95 और 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

*10 मार्च, 1999 को वार्षिक प्रतिवेदन/लेखापरीक्षित लेखे *सभा पटल पर* रखे गये थे।

(ख) (एक) यू. पी. प्रोजक्ट्स एण्ड टयूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथ उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यू. पी. प्रोजक्ट्स एण्ड टयूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1995–96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 2701/99]

(3) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 2702/99]

(5) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैंस कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 2703/99]

(7) जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 2704/99]

(8) कृषि मंत्रालय के वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2705/99]

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगें

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमार मंगलम्) : श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन की ओर से मैं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2706/99]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

राज्य सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 15 मार्च, 1999 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 मार्च, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक 1999 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

अपराह्न 12.04½ बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति तीसरा प्रतिवेदन

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

लोक लेखा समिति

छठे से आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार) : महोदय, मैं लोक

लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) संचार नेटवर्क पर 29 करोड़ रुपये के निष्फल व्यय संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) केन्द्रीय सरकार विनियोग लेखे (1994–95) रक्षा सेवाओं पर लोक सेवा समिति (ग्यारवीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(3) धार्मिक और चेरिटेबल न्यासों के मूल्यांकन पर लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 102वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थि हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी उत्तर देने को तैयार हैं। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

*(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।)*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से सभा का कार्य स्थगित करने के लिए कहा है ताकि हम इस मुद्दे को उठा सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अध्यक्ष महोदय को अपनी बात से सहमत नहीं करा सके और कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। ...*(व्यवधान)।* ऐसा अनिश्चित काल तक नहीं चलने दिया जा सकता है ...*(व्यवधान)।* हमने पहले ही वर्षों तक इसे सहन किया है ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

इस समय, श्री बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण।

अपराह्न 2.1½ बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मैं राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक, 1999 से संबंधित श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन और समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.02 बजे

पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति सातवां तथा नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998–99) के संबंध में पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (1998–99) के संबंध में पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थानों पर वापस जाइए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कृपया आप अपने स्थानों पर वापस जायेंगे ? मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ? कृपया अपने स्थान पर जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जायें। मैं आपकी बात सुनूंगा। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। मैं प्रत्येक दल से एक अथवा दो सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा और फिर प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप अपने स्थानों पर वापस चले जायें। मैं आपकी बात सुनूंगा। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जायें। मैं आपकी बात सुनूंगा। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। इस तरह से हस्तक्षेप न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। लेकिन कृपया पहले अपने स्थानों पर जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपने स्थानों पर वापस चले जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा गुरुवार, 18 मार्च, 1999/27 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।